हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

नियमों का क्रम

नियमः

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम।
2. परिभाषाएं।

अध्याय–2

पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का परीसीमन

3. ग्राम सभा क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना।
4. निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमाएं।
5. निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रस्ताव और इसका प्रकाशन।
6. आक्षेपों का निपटान और अन्तिम आदेश।
7. निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या।
8. पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
9. जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
10. अपील।
11. अन्तिम प्रकाशन ।

अध्याय–3

निर्वाचन नामावली

12. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली।
13. निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना।
14. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरता।
15. निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन।
16. दावे और आक्षेप दाखिल करने की अवधि।
17. पुनरीक्षण प्राधिकारियों की नियुक्ति।
18. दावे और आक्षेप दाखिल करने की रीति।
19. दावे और आक्षेपों की सूचना।
20. दावों और आक्षेपों का निपटान।

21. निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन।

22. निर्वाचक नामावली का विशेष पुनरीक्षण।

23. निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों को ठीक करना।

24. अन्तिम रूप से प्रकाशित सूची में नामों को सम्मिलित करना।

25. निर्वाचक नामावली और उससे सम्बन्धित कागजात की आम रक्षा और परीरक्षण।

26. निर्वाचक नामावली और उससे सम्बन्धित कागजात का निरीक्षण।

27. निर्वाचक नामावली और उससे सम्बन्धित कागजात का निपटारा।

अध्याय–4

पंचायतों में स्थानों का आरक्षण

28. पंचायतों में स्थानों का आरक्षण।

29. राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट।

अध्याय–5

निर्वाचन का संचालन

30. रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति।

31. पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और मतदान कर्मचारी (गणों) की नियुक्ति।

32. निर्वाचन कार्यक्रम।

33. निर्वाचन की सूचना।

34. प्रतीकों की अधिसूचना।

35. अभ्यर्थियों का नामांकन।

36. नामांकन पत्र का प्रस्तुतीकरण।

37. प्रतिभूति निक्षेप।

38. नामांकनों की सूचना।

39. नामांकन पत्रों की संवीक्षा।

40. अभ्यर्थिता वापिस लेना।

41. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची।

42. प्रतीकों का आबंटन।

43. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति।

44. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति।

45. मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति।

46. नियुक्ति का प्रतिसंहरण या निर्वाचन, मतदान और मतगणना अभिकर्ताओं की मृत्यु।

47. अभिकर्ता की अनुपस्थिति।

48. मतदान से पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु।

49. निर्विरोध निर्वाचन।

अध्याय–5क

पोल ड्यूटी मतपत्र

49–क. मतदान ड्यूटीपर आरूढ़ निर्वाचकों का मतदान हेतु हकदार होना ।

49–ख. मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ मतदाताओं द्वारा सूचना ।

49–ग. मतपत्र का प्ररूप ।

49–घ. मतपत्र जारी करना ।

49–ङ. मत देना/वोट रिकार्ड करना ।

49–च. मतपत्र की वापसी ।

अध्याय–6

निर्वाचन के लिए मतदान

50. निर्वाचन में मतदान की रीति।

51. मतपेटी।

52. मतपत्र।

53. मतदान केन्द्रों की सूचना।

54. मतदान केन्द्रों का इन्तजाम।

55. मतदान केन्द्र में मतदाताओं का प्रवेश।

56. मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व मतपेटियों का तालाबन्द और सील करना।

57. मतदाताओं की पहचान।

58. पहचान को चुनौती।

59. मतपत्र जारी किया जाना।

60. मतदान प्रक्रिया।

61. अन्धे या शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान।

62. खराब और वापस किए गए मतपत्र।

63. निविदत्त मत।

64. मतदान का समापन।

65. मतदान के पश्चात् पेटियों का सील बन्द करना।

66. मतपत्रों का लेखा।

67. अन्य पैक्टों का सील बन्द करना।

68. रिटर्निंग अधिकारी को मत पेटियों, पैक्टों आदि का परीक्षण।

69. आपात काल में मतदान का स्थगन।

70. मतदान के स्थगन की प्रक्रियां

71. मत पेटियों को नष्ट (इत्यादि) किए जाने के मामले में पुनः मतदान।

अध्याय–7

मतों की गणना

72. मतों की गणना का पर्यवेक्षण।

73. गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश।

73–क. पोल ड्यूटी मतपत्र के माध्यम से प्राप्त किए गए मतपत्रों की गणना ।

74. मतपेटियों की संवीक्षा करना और खोलना।

75. मतगणना की प्रक्रिया ।

76. मतपत्रों की संवीक्षा करना और अस्वीकृति।

77. गणना की निरन्तरता।

78. मतदान के पश्चात् गणना की सिफारिश करना।

79. मतों की पुनः गणना।

80. मतों की समानता।

अध्याय–8

निर्वाचन के कागज पत्र

81. अभ्यर्थियों की जमा राशियों का समपहरण या वापसी।

82. निर्वाचन सम्बन्धित कागज पत्रों की अभिरक्षा।

83. निर्वाचन कागज पत्रों का प्रस्तुतीकरण और निरीक्षण।

84. निर्वाचन कागज पत्रों का निपटारा।

अध्याय–9

पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन

85. निर्वाचन की बैठक।

85(क). अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाना ।

अध्याय–10

जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन

86. निर्वाचन के लिए बैठक।

86(क). अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाना ।

अध्याय–11

अध्यक्षों के लिए आरक्षण

86. ग्राम पंचायतों के प्रधानों के पदों का आरक्षण।

87. पंचायत समिति में अध्यक्ष के पदों का आरक्षण।

88. जिला परिषद् में अध्यक्ष के पदों का आरक्षण।

89. राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट।

90. अन्य विभागों से सहायता।

91. खर्चों की सीमा।

अध्याय–12

निर्वाचन सम्बन्धी विवाद और अपीलें

92. निर्वाचन सम्बन्धी विवाद।

93. अर्जियों का प्रस्तुत किया जाना।

94. याचिका के साथ प्रतिभूति निक्षेप का दिया जाना।

95. याचिका वापिस लेना।

96. जांच का स्थान और प्रक्रिया।

97. याचिका के आदेशों की सूचना।

98. अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया।

99. अपील का उपशमन।

100. निरसन और व्यावृत्तियां।

प्ररूप 1 से 47

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 7 फरवरी, 1995

संख्या पी0सी0एच–एच0ए0 (3)6/94––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) की धाराओं 183 एवं 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 जिन्हें पूर्व में दिनांक 17–12–1994 को हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया जा चुका है, के नाम से नियम बनाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.–इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 है।

2. परिभाषाएं.–इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ से विरूद्ध न हो,––

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "निर्वाचन क्षेत्र" से यथास्थिति, ग्राम सभा, पंचायत समिति या जिला परिषद, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके प्रतिनिधित्व के लिए किसी सदस्य को निर्वाचित किया जाना है या निर्वाचित किया गया है और ग्राम पंचायत के प्रधान या उप–प्रधान के विषय में समस्त ग्राम सभा क्षेत्र अभिप्रेत है ;

[1]{(ग) ''जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)" से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, पंचायतों के निर्वाचन के संचालन हेतु, नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भी इसके अर्न्तगत है:

परन्तु जहां जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसी जिला के लिए की जाती है वहां राज्य निर्वाचन आयोग उनकी नियुक्तियों के क्रम में, उस क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट करेगा, जिसकी बावत प्रत्येक ऐसा अधिकारी अधिकारिता का प्रयोग करेगा।}

---

[1]. अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)18/2008, दिनांक 8 सितम्बर, 2010 हिमाचल प्रदेश राजपत्र में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को, पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा खण्ड (ग) प्रतिस्थापित किया गया।

(घ) "मतदाता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई निर्वाचक नामावली में पंचायत निर्वाचन के प्रयोजन के लिए दर्ज किया गया है;

(ङ) "निर्वाचक नामावली" से पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची अभिप्रेत है।

(च) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) "मतदान कर्मचारी" से निर्वाचन का संचालन करने में या संचालन में सहायता करने वाला या वाले व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "पीठासीन अधिकारी" से अधिनियम के अधीन मतदान केन्द्र पर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्वाचन के संचालन के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) "रिटर्निंग अधिकारी" से इन नियमों के अधीन निर्वाचन के संचालन के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी है;

(ञ) "रजिस्टीकरण अधिकारी" से निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी है;

(ट) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ठ) "राज्य निर्वाचन आयोग" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ट) के साथ पठित धारा 160 के अधीन गठित आयोग अभिप्रेत है।

(2) उन सब शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय–2

पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

3. ग्राम सभा क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना.–(1) ग्राम पंचायत के सदस्य के निर्वाचन कराने के प्रयोजन के लिए, ग्राम सभा क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा।

(2) निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या धारा 8 के उपबन्धों के अनुसार उप–नियम (1) के अधीन अवधारित की जाएगी।

4. निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमाएं.– (1) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की यथा साध्य समान जनसंख्या होगी और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, भौगोलिक रूप से संहत और संसक्त होगा और प्राकृतिक सीमांए जैसे कि सड़के, पथ, लैन्ज, गलियां,

नदियां, नहरें, नालियां, जंगल, मकान नम्बर, कटक या अन्य ऐसे चिन्ह जिन्हें आसानी से भिन्न किया जा सके, होगें।

(2) निर्वाचन क्षेत्र का ग्राम सभा के नक्शे से, जो उत्तर से पूर्व की ओर आरम्भ होता है और दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर समाप्त होता है, परिसीमन किया जाएगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा।

(4) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की परिसीमाएं निम्नलिखित प्रकार से सभी चार दिशाओं में परिनिश्चित की जाएंगी .–

1. उत्तर में.....द्वारा सीमाबद्ध।
2. दक्षिण में.....द्वारा सीमाबद्ध।
3. पूर्व में.....द्वारा सीमाबद्ध।
4. पश्चिम में.....द्वारा सीमाबद्ध।

5. निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का प्रस्ताव और इसका प्रकाशन.– उपायुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ग्राम सभा क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करके निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रस्ताव को प्रकाशित करवायेगा और ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों की प्रादेशिक सीमाएं भी सूचित करेगा और उस प्रस्ताव को ग्राम पंचायतों के कार्यालय और पंचायत समिति जिसकी प्रादेशिक अधिकारिता में ऐसा सभा क्षेत्र पड़ता है, में जन साधारण के निरीक्षण के लिए खुला रखेगा और ऐसे प्रस्ताव की एक–एक प्रति प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में दो सहजदृष्य स्थानों पर चिपकाकर जन साधारण से सात दिनों के भीतर आक्षेप आमंत्रित करेगा।

6. आक्षेपों का निपटान और अन्तिम आदेश.– उपायुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, नियम 5 के अधीन आक्षेपों की प्राप्ति पर, यदि कोई हो, उनकी जांच करेगा और सात दिन की अवधि के भीतर या सरकार द्वारा यथा–नियत ऐसे कम समय में उन पर विचार करेगा और आक्षेपों को स्वीकार या अस्वीकार किये जाने के विषय में संक्षिप्त कारणों का अभिलिखित किए जाने के पश्चात् ही निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की बाबत अन्तिम आदेश करेगा।

7. निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या.– प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र उसको दिए गए क्रमबार संख्या से जाना जाएगा और यदि व्यवहार्य हो तो उसे नाम भी दिया जायेगा।

8. पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन.– (1) उपायुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, पंचायत समिति क्षेत्र को इतने एक सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगा, जितने सदस्यों की संख्या अधिनियम की धारा–78 की उप–धारा (3) के अधीन निर्धारित होनी, आपेक्षित है।

(2) पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते समय ग्राम पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र एक इकाई होगा। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, पंचायत समिति क्षेत्र के नक्शे से उत्तर से पूर्व की ओर से शुरू करते हुए और दक्षिण से पश्चिम की ओर समाप्त करते हुए किया जाएगा और पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को क्रमवार संख्या और नाम दिया जाएगा। पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या वाली ग्राम सभा के नाम पर रखा जायेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं सभी चार दिशाओं में निम्नलिखित रूप से सीमांकित की जाएगी .–

1. उत्तर में.....द्वारा सीमाबद्ध।
2. दक्षिण में.....द्वारा सीमाबद्ध।
3. पूर्व में.....द्वारा सीमाबद्ध।
4. पश्चिम में.....द्वारा सीमाबद्ध।

(4) उपायुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी समिति क्षेत्र को एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में विभक्त करके निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रस्ताव प्रकाशित करवायेगा और उसमें प्रत्येक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा भी दर्शित करेगा और इस प्रस्ताव को पंचायत समिति के कार्यालय में और पंचायत समिति क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों के प्रत्येक कार्यालय में जन साधारण के निरीक्षण के लिए खुला रखेगा और ऐसे प्रस्ताव की एक–एक प्रति प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में दो सहजदृष्य स्थानों पर चिपकाकर जनसाधारण से सात दिनों के भीतर आक्षेप आमन्त्रित करेगा।

(5) उपायुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उप–नियम (4) के अधीन प्राप्त आक्षेपों की, यदि कोई हो, जांच करेगा और उन पर सात दिन की अवधि के भीतर या सरकार द्वारा यथा नियत कम अवधि में विचार करेगा और ऐसे आक्षेपों के स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के कारणों को संक्षिप्त रूप में अभिलिखित करनें के पश्चात् निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अन्तिम आदेश जारी करेगा।

9. जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन.– (1) उपायुक्त, जिला परिषद् क्षेत्र को उतने एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगा जितने सदस्यों की संख्या, अधिनियम की धारा 89 (2) के अधीन निर्धारित होनी आपेक्षित है।

(2) जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते समय, सभा क्षेत्र एक इकाई होगा। निर्वाचन क्षेत्र, जिला परिषद् क्षेत्र के नक्शे से उत्तर से पूर्व की ओर शुरू करते हुए और दक्षिण से पश्चिम की ओर समाप्त करते हुए, परिसीमित किए जाएगें और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को क्रमबार संख्या और नाम दिया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या वाली ग्राम सभा के नाम पर रखा जायेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं सभी चारों दिशाओं में निम्नलिखित रूप में परिभाषित की जाएंगी .–

1. उत्तर में.....द्वारा सीमाबद्ध।

2. दक्षिण में.....द्वारा सीमाबद्ध।

3. पूर्व में.....द्वारा सीमाबद्ध।

4. पश्चिम में.....द्वारा सीमाबद्ध।

(4) उपायुक्त जिला परिषद् क्षेत्र को एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त करके, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रस्ताव प्रकाशित करवाएगा और उसमें प्रत्येक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा भी दर्शित करेगा और इस प्रस्ताव को जिला परिषद् पंचायत समिति और जिला परिषद् क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत के कार्यालयों में जन साधारण के निरीक्षण के लिए खुला रखेगा और ऐसे प्रस्ताव की एक प्रति प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में दो सहज दृष्य स्थानों पर चिपकाकर जनसाधारण से सात दिनों के भीतर आक्षेप आमन्त्रित करेगा।

(5) उपायुक्त उप–नियम (4) के अधीन प्राप्त आक्षेपों की यदि कोई हो, जांच करेगा और उन पर सात दिन की अवधि के भीतर विचार करेगा और ऐसे आक्षेपों के स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के कारणों को संक्षिप्त रूप में अभिलिखित करने के पश्चात् निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अन्तिम आदेश जारी करेगा।

10. अपील.– उपायुक्त के आदेश से व्यथित कोई मतदाता दस दिन की अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरूद्ध मण्डलायुक्त के पास अपील दायर कर सकेगा और जो अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् 15 दिन की अवधि के भीतर इसे विनिश्चित करेगा और अपने आदेश की संसूचना उपायुक्त को देगा। मण्डलायुक्त द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

[1]{**11. निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अन्तिम प्रकाशन**.–(1) नियम 6, 8 और 9 के अधीन किया गया परिसीमन, नियम 10 के अधीन किए गए मण्डलायुक्त के आदेशों, यदि कोई हों, के दृष्टिगत संशोधित किया जाएगा और परिसीमन को, इस निमित्त प्रस्ताव के प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा। पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अंतिम आदेशों की एक–एक प्रति, उपायुक्त, जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के कार्यालयों के सूचना बोर्डों पर, और ऐसे अन्य स्थानों पर, जैसे उपायुक्त विनिश्चित करे, चिपकाई जाएगी तथा उसकी प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को भी भेजी जाएंगी।

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)18/2008, दिनांक 8 सितम्बर, 2010, हिमाचल प्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर, 2010 के, पृष्ठ 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा नियम 11 प्रतिस्थापित किया गया।

(2) कोई भी निर्वाचक, अंतिम परिसीमन आदेश की प्रति उपायुक्त या, यथास्थिति, जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के सचिव को आवेदन करके अभिप्राप्त कर सकेगा, जिसे वह उक्त निर्वाचक को, प्रति पृष्ठ या उसके भाग के लिए, पांच रूपए की दर से, संदाय पर, रोकड़ रसीद के विरूद्ध उपलब्ध करवाएगा। }

अध्याय–3

निर्वाचक नामावली

12. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली.– पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन नियम 13 से 24 में निर्दिष्ट रीति में तैयार की जाएगी :

[1]{परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग स्वविवेकानुसार, इन नियमों के अधीन निर्वाचन हेतु प्रारूप निर्वाचक नामावली को तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़े आधार (डाटा वेस) का उपयोग कर सकता है:}

परन्तु यह कि निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण व तैयारी, यथास्थिति, तभी की जाएगी जब–जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित हों।

13. निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना.– (1) जब नियम 12 के अधीन निर्देश दिया गया हो, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए इन नियमों के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार करवाएगा ।

(2) निर्वाचक नामावली देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में तैयार की जाएगी।

14. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरता.– कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हित होगा यदि वह.–

(क) भारत का नागरिक नहीं है, या

(ख) विकृत है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) भ्रष्ट आचरण सम्बन्धी विधि और पंचायत/नगरपालिका/विधान सभा/लोक सभा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य अपराधों के अन्तर्गत तत्समय के लिए निरर्हित किया गया है, या

(घ) निर्वाचन क्षेत्र में साधारण निवासी नहीं है, या

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)18/2008-II दिनांक 12 दिसम्बर, 2013, हिमाचल प्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के, पृष्ठ 5353 से 5356 पर प्रकाशित द्वारा प्रथम परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

(ङ) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा–स्थिति निर्वाचक नामावली को तैयार करने या पुनरीक्षण के लिए यथा अधिसूचित तारीख को 18 वर्ष की आयु से कम है, या

[1]{(च) किसी नगरपालिका या किसी अन्य ग्राम सभा में एक मतदाता के रूप में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है।}

15. निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन.– (1) जैसे ही निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार हो जाती है, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) उसकी सूचना सहित प्ररूप–1 में प्रकाशित करेगा तथा उसकी प्रतियां जनसाधारण के निरीक्षण के लिए अपने कार्यालय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के कार्यालय में उपलब्ध करवायेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन आम जनता को उसकी सूचना उन समाचार पत्रों द्वारा जिनका क्षेत्र में व्यापक प्रचलन हो आकाशवाणी तथा निर्वाचन क्षेत्रों में डोंडी पिटवा कर तथा सूचना की प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् के कार्यालयों में तथा ऐसे अन्य उपयुक्त स्थानों पर चिपकवा कर जहां जन साधारण का निर्वाध आवागमन हो, देगा, सूचना में वह तारीख, जिस तारीख तक आरोप तथा दावे प्रस्तुत किये जा सकें और जिस प्राधिकारी या प्राधिकारियों को प्रस्तुत किये जा सकें, दर्शायें जाएंगे।

16. दावे और आक्षेप दाखिल करने की अवधि .– निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए दावा और की गई प्रविष्टि की बाबत प्रत्येक आक्षेप नियम–15 के अधीन प्रारूप निर्वाचक नामावली के प्रकाशित किये जाने की तारीख से दस दिन की अवधि, या ऐसी अवधि जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त नियत की जाये, के भीतर दायर किया जाएगा।

17. पुनरीक्षण प्राधिकारियों की नियुक्ति.– जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली सम्बन्धी दावों और आक्षेपों की सुनवाई के प्रयोजनार्थ एक या एक से अधिक पुनरीक्षण प्राधिकारी/प्रधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा।

18. दावे और आक्षेप दाखिल करने की रीति.– (1) कोई दावा या आक्षेप नियम–15 में निर्दिष्ट सूचना में, विनिर्दिष्ट पुनरीक्षण अधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा और व्यक्तिगत रूप में उसे प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायेगा। नामों को सम्मलित करने के लिए प्रत्येक दावा, नाम सम्मिलित करने के लिए आक्षेप या किसी प्रविष्टि में विशिष्टयों की बावत आक्षेप क्रमशः प्ररूप–2, 3 व 4 में किया जायेगा।

(2) निर्वाचक नामावली में दर्ज़ करवाने के लिए दावा नाम दर्ज़ करवाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा

---

[1]. अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)18/2008, दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा खण्ड (च) जोडा गया ।

जिसका नाम पहले ही उस निर्वाचक नामावली में दर्ज़ हो, जिस निर्वाचक नामावली में दावेदार अपना नाम दर्ज़ करवाना चाहता है। यह दावा यदि डाक द्वारा न भेजा गया हो तो निमित्त लिखित रूप में उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में किसी नाम को दर्ज़ करवाने के विरूद्ध तब तक आक्षेप नहीं करेगा जब तक उसका नाम उस निर्वाचक नामावली में पहले ही दर्ज़ हो।

(4) पुनरीक्षण प्राधिकारी दावे के लिए प्ररूप–5 किसी नाम को सम्मिलित करने के विषय में आक्षेप के लिए, प्ररूप–6 तथा प्ररूप–7 में किसी प्रविष्टि की बाबत आक्षेप के लिए रजिस्टर तैयार करेगा और उसमें, यथास्थिति, प्राप्त प्रत्येक दावे का समय या दावे या आक्षेप की विशिष्टयां दर्ज़ करायेगा।

(5) कोई भी दावा या आक्षेप जो विहित अवधि या विर्निर्दिष्ट रीति के अनुसार नहीं किया गया हो, अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा निर्णय, यथास्थिति, प्ररूप–5, 6 या 7 में तैयार किये गये रजिस्टर में अभिलिखित किया जायेगा।

19. दावों और आक्षेपों की सूचना.– (1) यहां कोई दावा या आक्षेप नियम 18 के उप–नियम (5) के अधीन अस्वीकृत नहीं किया गया हो वहां पुनःरीक्षण अधिकारी, दावे तथा आक्षेप प्रस्तुत करनें की विहित अवधि समाप्त हो जानें पर, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के कार्यालय के सूचना पट्ट पर सभी दावों तथा आक्षेपों की सूची प्ररूप–8, 9 और 10 में प्रदर्शित करेगा।

(2) नाम को सम्मिलित कराने या किसी प्रविष्टि में कतिपय विशिष्टियों को ठीक करनें की बाबत प्रत्येक दावेदार/आक्षेपकर्ता को प्ररूप–11, 12 और 13 में ऐसे दावे या आक्षेप की सुनवाई के स्थान, तारीख और समय की सूचना दी जायेगी और, यथास्थिति, ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा जैसा वह प्रस्तुत करना चाहे।

(3) उस व्यक्ति को भी जिसके विरूद्ध निर्वाचक नियमावली में नाम सम्मिलित करने या काटे जाने के सम्बन्ध में पुनःरीक्षण अधिकारी के पास आक्षेप प्राप्त हुआ है आक्षेप की सुनवाई के लिए नियत स्थान, तारीख और समय की सूचना उसके नवीनतम उपलब्ध पते पर प्ररूप–14 में दी जायेगी। अपने बचाव में जो भी साक्ष्य वह प्रस्तुत करना चाहें उसे प्रस्तुत करने को कहा जायेगा।

20. दावों तथा आक्षेपों का निपटान.– पुनरीक्षण प्राधिकारी नियम–19 के उपबन्धों के अधीन नियत तारीख, स्थान और समय पर इन नियमों के उपबन्धों के अधीन दावों तथा आक्षेपों की सुनवाई करेगा और विनिश्चय करेगा और, यथास्थिति, अपने विनिश्चय का प्ररूप–5, 6 और 7 में रजिस्टर में अभिलिखित करेगा।

(2) पुनःरीक्षण प्राधिकारी के आदेश की प्रति आक्षेपकर्ता या दावेदार के मांगे जाने पर नकद दो रूपये संदत्त करने पर रसीद के लिए तुरन्त दी जाएगी।

(3) उप–नियम (1) के उपबन्धों के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के पास अपील कर सकेगा, जो जहां तक व्यवहार्य हो, उसकी पुष्टि करके या उसे आपन्त करके या दावे या आक्षेप की बाबत अन्य ऐसा आदेश पारित करके, जैसा वह उचित समझें, एक सप्ताह के भीतर विनिश्चिय करेगा।

(4) यदि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को ऐसा प्रतीत हो कि निर्वाचक नामावली की तैयारी के दौरान भूल अथवा गलती से मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज़ करने से छूट गए हैं अथवा ऐसे व्यक्तियों के नाम जो या तो मर चुके हैं या जो अब नहीं रहे हैं या निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी नहीं है, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर दिये गये हैं, और यदि इस विषय में इस उप–नियम के अन्तर्गत उपचारी कार्यावाही की जानी चाहिए तो जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) .–

(क) ऐसे मतदाताओं के नाम व अन्य विशिष्टियों की सूची तैयार करेगा;

(ख) अपने कार्यालय के सूचनापट्ट पर और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के कार्यालयों के सूचना पट्ट, पर सूची की एक प्रति सूचना सहित जिसमें निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नामों में दर्ज़ किये जानें व हटाये जाने के प्रश्न पर विचार किए जाने की निर्धारित तारीख व स्थान की सूचना होगीं, प्रदर्शित करेगा; और

(ग) प्रत्येक आक्षेप पर जो लिखित अथवा मौखिक रूप में प्रस्तुत किया गया हो विचार करने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा क्या सभी नामों को उनमें से कुछ नामों को निर्वाचक नामावली में दर्ज़ किया या हटाया जाये।

21. निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन.– (1) पुनःरीक्षण प्राधिकारी जैसे ही उसको प्रस्तुत किये गये समस्त दावों या आक्षेपों का निपटान कर देता है, तो वह उन्हें रजिस्टर सहित और उन पर पारित आदेशों सहित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अग्रेषित करेगा, जो ऐसे आदेशों का नियम 20 के उप–नियम (3) के अधीन की गई अपील पर पारित आदेशों के अनुसार जैसी भी स्थिति हो, निर्वाचक नामावली को ठीक करवायेगा और ऐसी ठीक की गई निर्वाचक नामावली को प्रकाशित करवायेगा, या यदि वह उचित समझें परिवर्धन/भाजित और उक्त आदेश के अनुसार या नियम–20 (4) के अधीन उसके विनिश्चय के अनुसार की गई शुद्धियों की सूची सहित निर्वाचक नामावली की पूरी प्रति तैयार करके उसे निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवायेगा

और इसकी सूचना प्ररूप–15 में अपने कार्यालय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के कार्यालय में भी प्रदर्शित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर संशोधनों सहित या रहित निर्वाचक नामावली क्षेत्र की नामावली होगी और उप–नियम (1) के अधीन यह प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

22. निर्वाचक नामावली का विशेष पुनःरीक्षण.– नियम 21 के उप–नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी राज्य निर्वाचन आयोग, कारणों को अभिलिखित करके किसी भी समय, किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के ऐसी रीति में विशेष पुनःरीक्षण के निर्देश दे सकेगा जैसा वह उचित समझेः

परन्तु इन–नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे जारी किये गये निर्देशों के समय निर्वाचन क्षेत्र में यथा प्रवृत निर्वाचन नामावली तब तक प्रवृत रहेगी जब तक कि ऐसा निर्देशित विशेष पुनः निरीक्षण पूर्ण हो जाये।

23. निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का ठीक करना.– यदि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को उसे प्ररूप–4 या प्ररूप–16 में आवेदन करने पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच पड़ताल करने पर जैसा वह उचित समझे यह समाधान हो जाता है कि निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि.–

(क) गलत या त्रुटिपूर्ण है;

(ख) इस आधार पर कि सम्बन्धित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या वह साधारणतया निवासी नहीं है या अन्यथा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नहीं है, लोप किया जाना चाहिए, प्रविष्टि का संशोधन या लोप करेगा :

परन्तु खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, कि सम्बन्धित व्यक्ति साधारणतया निवासी नहीं है या अन्यथा वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नहीं है जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सम्बन्धित व्यक्ति को उसके विरूद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु यह और कि नियम 32 के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित हो जाने के पश्चात्, किसी भी समय नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए नियत अन्तिम तारीख से [1]{नौ दिन}, पूर्व तक इस नियम के अन्तर्गत आवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को किया जायेगा।

24. अन्तिम रूप में प्रकाशित सूची में नामों को सम्मिलित करना.– (1) कोई व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है नामावली में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को, पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा ''पांच दिन'' शब्दों के लिए प्रतिस्थापित किया गया ।

प्ररूप 2 में (द्विप्रतिका) आवेदन करेगा और ऐसे आवेदन के साथ दो रूपये नकद संदत्त करके रसीद संलग्न की जायेगी।

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन की प्रति के तुरन्त पश्चात् यह निर्देश करेगा कि उसकी एक प्रति सूचना सहित उसके कार्यालय में सहजदृश्य स्थान पर चिपकाई जाये और आक्षेप इनके चिपकाए जाने की तारीख से चार दिन के भीतर भेजे जायें।

[1]{(3) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उप–नियम (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात, उसे प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करेगा और, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार है, तो तीन दिन की अवधि के भीतर, ऐसे नाम को उसमें सम्मिलित करने के लिए निदेश देगाः

परंतु यदि आवेदक, जिसका नाम सम्मिलित करने हेतु आदेश किया गया है, पहले ही उसी ग्राम सभा के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र या अन्य ग्राम सभा या नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है, तो ऐसा नाम उस निर्वाचक नामावली से हटाया जाएगाः

परंतु यह और कि नियम 32 के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशन के पश्चात्, किसी भी समय इस नियम के अधीन नामांकन पत्रों के फाइल करने के लिए नियत अंतिम तारीख से नौ दिन के अपश्चात्, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन किया जाएगाः

परंतु यह और कि नामांकन करने हेतु अंतिम तारीख को या इसके पश्चात् से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी प्रविष्टि का न तो संशोधन या पक्षांतरण किया जाएगा और न ही उसे हटाया जाएगा।}

(4) जब उप–नियम (1) के अधीन किया गया आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो आवेदन के अस्वीकृत किये जानें की तारीख से दस दिन के भीतर नाम सम्मिलित करने के लिये अपील, राज्य निर्वाचन आयोग को की जायेगी और अपील में उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) उप–नियम (4) के अधीन प्रत्येक अपील के साथ 20/– रूपये नकद संदत फीस की रसीद संलग्न की जायेगी।

25. निर्वाचक नामावली और उससे सम्बन्धित कागज़ात की आम रक्षा और परिरक्षण.– (1) निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक नामावली अन्तिम रूप से प्रकाशित होनें के पश्चात् निम्नलिखित कागज़ात, ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय या राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर तब तक रखी जायेगी जब तक उक्त निर्वाचन की नामावली प्रवृत रहेगी.–

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)18/2008, दिनांक 8 सितम्बर, 2010 हिमाचल प्रदेश राजपत्र, में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को, पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा उप–नियम (3) प्रतिस्थापित किया गया।

(क) निर्वाचक नामावली की पूर्ण अतिरिक्त प्रतियां;

(ख) नियम 20 के अधीन दावों तथा आक्षेपों और आदेशों से सम्बन्धित कागज़ात;

(ग) आवेदन और नियम 23 और 24 के अधीन उन पर दिये गये विनिश्चय;

(घ) नियम 24 (4) के अन्तर्गत अपील सम्बन्धी कागजात;

[1]{ ×××××××××××××××× }

[2]{(2) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा अधिप्रमाणित निर्वाचक नामावली की एक पूर्ण प्रति ऐसे स्थान पर और ऐसी अवधि के लिए रखी जाएगी जैसी राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।}

26. निर्वाचक नामावली और सम्बन्धित कागज़ात का निरीक्षण.– प्रत्येक व्यक्ति को नियम 25 के अधीन निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली का निरीक्षण करने और प्रतिपृष्ठ या पृष्ठ के किसी भाग के लिए 5/– रूपये के नकद संदत्त शुल्क की रसीद पर अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

27. निर्वाचक नामावली और उससे सम्बन्धित कागज़ात का निपटारा.– नियम 25 में निर्दिष्ट कागज़ात का उसमें निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसी रीति में निपटान किया जाएगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग आदेश दे।

अध्याय–4

पंचायतों में स्थानों का आरक्षण

28. पंचायतों में स्थानों का आरक्षण.– (1) पंचायतों के प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व उपायुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अधिनियम की धारा 8, 78 और 89 के उपबन्धों के अनुसार पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और महिलाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करेगा और उनका चक्रानुक्रम अवधारित करेगा।

(2) प्रत्येक पंचायत में जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र वार अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति और महिलाओं की जनसंख्या अवधारित की जायेगी और आरक्षण करने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और महिलाओं की प्रतिशतता तैयार की जाएगी।

---

[1]. अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को, पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा खण्ड (ङ) लोप किया गया।

[2]. अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को, पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा उप नियम (2) प्रतिस्थापित किया गया ।

(3) प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिये पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचन क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया जायेगा और वह निर्वाचन क्षेत्र जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक हो, अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिये आरक्षित किया जायेगा और निर्वाचन क्षेत्र जिसमें अनुसूचित जन जाति के लोगों की जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक हो, अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित किया जायेगा।

(4) यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या एक से अधिक हो तो वह अगला निर्वाचन क्षेत्र जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की प्रतिशतता सबसे अधिक हो, यथास्थिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिये इसी प्रकार आरक्षित किया जायेगाः

परन्तु यदि पंचायत क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सम्पूर्ण जनसंख्या के पांच प्रतिशत से कम हो तो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित नहीं होगा।

(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से निर्वाचन क्षेत्र का [1]{आधा}, यथास्थिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होगा और निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें यथा स्थिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित महिलाओं की संख्या की प्रतिशतता निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या के सम्बन्ध में, पंचायत क्षेत्र में अधिक हो ऐसी महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

(6) यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति, यथास्थिति, से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या एक से अधिक हो, तो, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित महिलाओं को अगली अधिकतम प्रतिशतता वाला चुनाव क्षेत्र ऐसी महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा।

(7) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति जिसमें (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित महिलाएं भी सम्मिलित है) के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर सारे निर्वाचन क्षेत्रों में से [2]{आधा} निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें महिलाओं की संख्या की प्रतिशतता अधिकतम है, ऐसी महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और यदि महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या एक से अधिक हो तो ऐसा अगला निर्वाचन क्षेत्र जिसमें महिलाओं की संख्या की प्रतिशतता

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008–31189–214, दिनांक 8 सितम्बर, 2010, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को, पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा ''एक तिहाई'' शब्दों के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

[2] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा ''एक तिहाई'' शब्दों के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

अधिकतम है सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और इसी प्रकार यह क्रम चलता रहेगा।

[1]{(8) जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित महिलाओं और सामान्य प्रवर्ग से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, प्रथम निर्वाचन की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् चक्रानुक्रम से आरक्षित होंगे। अगले निर्वाचन के समय अगली अधिकतम प्रतिशतता की जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं और सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं सहित, आरक्षित किए जाएंगे और ऐसा ही क्रम पश्चातवर्ती निर्वाचनों के लिए होगाः

परन्तु किसी विशिष्ट प्रवर्ग के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण की तब तक पुनरावृति नहीं होगी, जब तक कि सभी अन्य निर्वाचन क्षेत्र चक्रानुक्रम द्वारा इस परिधि में नहीं आ जातेः

परंतु यह और कि किसी विशिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षण ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में, जहां उस प्रवर्ग की जनसंख्या उस निर्वाचन की कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से कम है, चक्रानुक्रमित नहीं किया जाएगा।}

[2]{(8–क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 के प्रारंभ के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए स्थानों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारंभिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा, मानो कि उक्त निर्वाचन उप–नियम (8) के अधीन प्रथम बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात् स्थानों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।}

(9) इस नियम के अधीन किये गए आरक्षण को उपायुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा अन्तिम रूप दिया जायेगा और उसके द्वारा ऐसे आरक्षण के आदेश की प्रति अपने कार्यालय और जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के सूचना पट्टों पर लगाकर विस्तृत रूप से प्रचार किया जायेगा और वह ऐसे आदेशों की एक प्रति सरकार को भेजेगा और वह अधिसूचना निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के लिए निश्चायक सबूत होगी।

29. राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट.– सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को तुरन्त उपायुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 हिमाचल राजपत्र प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा उप नियम (8) प्रतिस्थापित किया गया।

[2] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा उप नियम (8–क) अन्तःस्थापित किया गया ।

द्वारा किए गए अंतिम परिसीमन और आरक्षण आदेश की एक प्रति परिदत्त कराएगा।

अध्याय–5

निर्वाचन का संचालन

30. रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति.– जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या इस प्रयोजन के लिए, लिखित रूप में उस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, पंचायतों के निर्वाचन के संचालन के लिए एक या अधिक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एक या अधिक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करेगा जो रिटर्निंग ऑफिसर को, निर्वाचन के सम्बन्ध में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग ऑफिसर–सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को रिटर्निंग ऑफिसर के किन्हीं कृत्यों को सौंप सकेगा और इन कृत्यों के निर्वहन में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की शक्तियों का प्रयोग करेगा :

परन्तु इस नियम की कोई भी बात उसी व्यक्ति को एक से अधिक पंचायतों के लिए रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि इस नियम की कोई भी बात रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान संचालन के लिए पीठासीन अधिकारी के कार्य करने में निवारित नहीं करेगी।

31. पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और मतदान कर्मचारी (गणों) की नियुक्ति.– जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या इस निमित्त प्राधिकृत रिटर्निंग आफिसर, पंचायत के प्रत्येक चुनाव के लिए, प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और अपेक्षित संख्या में मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा।

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) उतने मतदान कर्मचारी (गणों) की नियुक्ति भी करेगा जो पंचायतों के निर्वाचन करवाने के लिए आवश्यक होंगे।

32. निर्वाचन कार्यक्रम.– (1) राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के, यथास्थिति, आम निर्वाचन, उप–निर्वाचन के लिए कार्यक्रम तैयार करेगा जिसे उसके पश्चात् "निर्वाचन कार्यक्रम" कहा गया है ;

(2) निर्वाचन कार्यक्रम में वे तारीख/तारीखें, विनिर्दिष्ट होंगी जिनके भीतर, जिन तक.–

1. नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे;
2. नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी;
3. अभ्यार्थी अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले सकेगा;

4. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची चिपकाई जाएगी;

5. मतदान केन्द्रों की सूची चिपकाई जाएगी;

6. मतदान यदि आवश्यक हो.....बजे पूर्वाह्न से ....अपराह्न (मतदान का समय 8 घण्टे से कम नहीं होगा);

7. मतदान की स्थिति में जो समय और स्थान इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा (मतगणना) की जायेगी; और

8. निर्वाचन की घोषणा की जायेगी।

(3) निर्वाचन कार्यक्रम.– नामांकन पत्र के दायर करने से दस दिन पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) और पंचायतों के कार्यालय में और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा यथा अवधारित पंचायत क्षेत्र के सहज दृश्य स्थान पर चिपका कर प्रकाशित किया जाएगा।

(4) नाम निर्देशन पत्र दायर करने की अवधि तीन दिन होगी तथा संवीक्षा की तारीख नाम निर्देशन पत्र दायर करने की अन्तिम तारीख से अगले दिन होगी। संवीक्षा की तारीख से तीसरे दिन तक अभ्यर्थिताएं वापिस ली जा सकेगी। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची लगाने की तारीख वह होगी जो अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिए नियत की गई है। मतदान केन्द्रों की सूची अभ्यर्थिता वापिस लेने की तारीख ठीक पूर्व प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थिता वापिस लेने की तारीख और मतदान की तारीख के मध्य 10 दिन का अन्तर होगा और मतदान अधिमानतः रविवार या अन्य राजपत्रित अवकाश के दिन होगा परन्तु नामांकन पत्र या वापिस लेने का आवेदन, लोक अवकाश के दिन नहीं दिया जाएगा।

(5) राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत हो, किसी भी समय आदेश द्वारा कार्यक्रम को संशोधित, परिवर्तित और फेरफारित कर सकेगा :

परन्तु जब तक, राज्य निर्वाचन आयोग अन्यथा निर्देश नहीं देती, ऐसी किसी आदेश की तारीख से पूर्व की गई कोई कार्यवाही ऐसे आदेश से अधिविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

33. निर्वाचन की सूचना.– जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नियम 32 के अधीन जारी किए गए कार्यक्रम की तारीख को प्ररूप 17 में सूचना अपने कार्यालय या पंचायत के कार्यालय में, और ऐसे अन्य स्थानों पर जैसा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, निर्दिष्ट करेगा.–

(क) निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र आमन्त्रित करने;

(ख) तारीख, समय और स्थान नियत करने जहां और जब नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे ;

(ग) प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करने जिसको नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे ;

(घ) अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करने ;

(ङ) अभ्यर्थिता वापिस लेने की सूचना की प्राप्ति के लिए तारीख, समय, स्थान और प्राधिकारी नियत करना ;

(च) निर्वाचन प्रतीक के आवंटन के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करना ; और

(छ) मतदान की तारीख और समय नियत करने यदि आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण.– खण्ड (ख) (घ) (ङ) और (छ) के अन्तर्गत नियत तारीख वही होगी जो नियम 32 के अधीन विनिर्दिष्ट है।

34. प्रतीकों की अधिसूचना.– राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन में आवंटन के लिए प्रतीकों को राजपत्र में अधिसूचित करेगा।

35. अभ्यर्थियों का नामांकन.– (1) किसी भी व्यक्ति को किसी स्थान/पद के लिए अभ्यर्थियों के रूप में नामांकित करने के लिए प्रस्तावित किया जा सकेगा यदि वह अधिनियम की धारा 122 के उपबधों के अधीन उस स्थान/पद के लिए निर्वाचित होने के लिए निर्हरित नहीं हो।

(2) उप–नियम (1) के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक नामांकन पत्र प्ररूप–18 में होगा

[1]{परन्तु प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ, सम्बद्ध पंचायत द्वारा प्ररूप–18 क में जारी अदेय प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाएगा।}

(3) नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी भी मतदाता को मांगने पर दिया जाएगा।

36. नामांकन पत्र का प्रस्तुतीकरण.– प्रत्येक अभ्यर्थी नियम 33 के अधीन नामांकन पत्रों को प्रस्तुत किए जाने के लिए नियत तारीख को उस निमित्त विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर या तो व्यक्तिगत रूप में या अपने प्रस्तावक के माध्यम से, पंचायत क्षेत्र के अभ्यर्थी और निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता द्वारा प्रस्थापक के रूप में सम्यक् रूप से भरे गए और हस्ताक्षरित नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी को या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को परीदत्त करेगाः

परन्तु यह कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से चार से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे या स्वीकार नहीं किए जाएंगेः

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)18/2008-II दिनांक 12 दिसम्बर, 2013, हिमाचल प्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के, पृष्ठ 5353 से 5356 पर प्रकाशित द्वारा परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया।

परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन मतदाता के रूप में किसी निरर्हता के अध्यधीन है किसी नामांकन पत्र को प्रस्थापक के रूप में हस्ताक्षरित करने का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अपना नामांकन पत्र दायर करने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, रिटर्निंग अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष भारत के संविधान के प्रति प्ररूप–19 में प्रतिज्ञान और निष्ठा की शपथ लेगा और इसे अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न करेगा।

स्पष्टीकरण.– इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा जो अपना नाम लिखने में असमर्थ है लिखित या अन्य कोई कागज़ात पत्र हस्ताक्षरित समझा जाएगा यदि उसने रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में ऐसी लिखित या कागज़ पत्र पर अपना निशान अंगूठा लगाया है। ऐसा अधिकारी उसकी पहचान के बारे में समाधान करके, निशान–अंगूठा को अनुप्रमाणित करेगा।

37. प्रतिभूति निक्षेप.– अभ्यर्थी निर्वाचन के लिए तब तक नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह रिटर्निंग अधिकारी के पास निम्न लिखित के लिए निक्षेप के रूप में नकद रसीद के विरूद्ध जमा नहीं करता या करवाता है.–

(क) किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से ग्राम पंचायत के सदस्य की दशा में सौ रूपये और जहां अभ्यर्थी महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है, पचास रूपये;

(ख) ग्राम पंचाायत के प्रधान या उप–प्रधान की दशा में एक सौ पचास रूपये और जहां अभ्यर्थी महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है, पचहत्तर रूपये;

(ग) पंचायत समिति के सदस्य की दशा में एक सौ पचास रूपये और जहां अभ्यर्थी महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है, पचहत्तर रूपये ;

(घ) जिला परिषद् के सदस्य की दशा में दो सौ रूपये और जहां अभ्यर्थी महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है, एक सौ रूपये :

परन्तु जहां अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी एक स्थान/पद के लिए एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र द्वारा प्रस्तावित की गई है, तो इस नियम के अधीन एक से अधिक प्रतिभूति निक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

38. नामांकनों की सूचना.– रिटर्निंग अधिकारी नियम 35 के उप–नियम (2) के अधीन नामांकन पत्र प्राप्त करने पर नामांकन पत्रों पर इसकी क्रम संख्या लिखेगा और उस पर उस तारीख व समय का कथन करते हुए, जिसको उसे

नामांकन पत्र परिदत्त किया गया था एक प्रमाण–पत्र हस्ताक्षरित करेगा और प्ररूप–20 में नामांकन पत्र, जिसमें अभ्यर्थी और प्रस्थापक के नामांकन पत्र में अन्तर्विष्ट विवरण के समरूप अन्तर्विष्ट हो, अपने और सम्बन्धित पंचायत के कार्यालय में किसी सहज दृश्य स्थान पर चिपकाएगा।

39. नामांकन पत्रों की संवीक्षा.– (1) नियम 33 के अधीन नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख को अभ्यर्थी और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं परन्तु कोई अन्य व्यक्ति नहीं और रिटर्निंग अधिकारी उन्हें सभी अभ्यर्थियों के उन नामांकन पत्रों का परीक्षण करने के लिए जो नियम 35 और 36 में अधिकथित रीति और समय के भीतर परिदत्त किये गए हो, युक्ति–युक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों का परीक्षण करेगा और किसी नामांकन पर किए गये सभी आरोपों को विनिश्चित करेगा और या तो ऐसे आक्षेप पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे किसी नामांकन पत्र को निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर रद्द कर सकेगा, अर्थात.–

(क) नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख को अभ्यर्थी अर्हित नहीं है या इन नियमों या अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपबन्धों के अधीन स्थान के लिए निर्वाचित किए जाने के लिए निरर्हित; या

(ख) नियम 35 या नियम 36 के किन्हीं उपबन्धों की अनुपालना न की गई हो; या

(ग) नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी या प्रस्थापक के हस्ताक्षर असली नहीं है।

(3) उप–नियम (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में अन्तर्विष्ट कोई बात नामांकन पत्र की किसी अनियमितता के आधार पर किसी अभ्यर्थी के नामांकन पत्र को रद्द करने का अधिकार देने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि अभ्यर्थी, दूसरे नामांकन पत्र, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, द्वारा नामांकित हो गया हो।

(4) रिटर्निंग अधिकारी किसी नामांकन पत्र को ऐसी त्रुटि के आधार पर रद्द नहीं करेगा जो कि सारवान स्वरूप की नहीं है।

(5) रिटर्निंग अधिकारी नियम 33 के खण्ड (घ) के अधीन इस निमित्त नियत तारीख और समय पर संवीक्षा करेगा, कार्यवाहियों के स्थगन की अनुमति नहीं देगा सिवाये इसके ऐसी कार्यवाहियों दंगों, खुली हिंसा या नियन्त्रण से बाहर कारणों के कारण वान्छित या वांछित हुई हों:

परन्तु यदि रिटर्निंग अधिकारी या अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से समय–समय में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किये गए आरोपों की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी को इसका खण्डन करने के लिए समय दिया जाएगा और रिटर्निंग

अधिकारी उस तारीख को अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा जिसकी कार्यवाहियां स्थगित की गई हों।

(6) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसकी स्वीकृति और रद्द करने का अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और यदि नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाता है तो वह ऐसे रद्दकरण के कारणों का संक्षिप्त विवरण लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

(7) इस नियम के प्रयोजन के लिए निर्वाचन क्षेत्र की तत्समय प्रवृत निर्वाचक नामावली में परिशिष्ट को ही इस तथ्य के लिए निश्चायक साक्ष्य माना जायेगा कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति उसके निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है।

(8) रिटर्निंग अधिकारी सभी नामांकन पत्रों की संवीक्षा होने और उन्हें स्वीकृत और रद्द करने वाले विनिश्चय के अभिलिखित होने के तुरन्त पश्चात् प्ररूप–21 में विधिमान्य रूप में नामांकित अभ्यर्थियों अर्थात् अभ्यर्थी जिनके नामांकन विधिमान्य पाए गए हैं, की एक सूची तैयार करेगा और रिटर्निंग अधिकारी पंचायतों के कार्यालयों में सूचनापट पर चिपकाएगा।

40. अभ्यर्थिता वापिस लेना.– (1) कोई भी अभ्यर्थी प्ररूप–22 में लिखित सूचना द्वारा, जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित हो और रिटर्निंग अधिकारी को या नियम 33 के खण्ड (ङ) के अधीन इस निमित्त अवधारित प्राधिकारी को परिदत्त किया गया हो, नियम 32 (2) के खण्ड 3 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख को 3 बजे अपराह्न से पूर्व अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले सकेगा और किसी भी व्यक्ति को जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले ली हो वापसी की सूचना को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) सूचना, अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप में या उसके प्रस्थापक द्वारा या अभ्यर्थी द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, दी जा सकेगी।

(3) रिटर्निंग अधिकारी या विनिर्दिष्ट अधिकारी, अभ्यर्थिता वापिस लेने के ऐसी सूचना की प्राप्ति के पश्चात् इस सम्बन्ध में प्ररूप–23 में सूचना अपने कार्यालय या सम्बन्धित पंचायत के कार्यालय में सहज दृश्य स्थान पर लगवायेगा।

41. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची.– (1) नामांकन पत्रों की संवीक्षा सम्पूर्ण होने के पश्चात और उस अवधि के अवसान के पश्चात् जिसके भीतर अभ्यर्थी नियम 40 के अधीन अभ्यर्थिता वापिस ले सकेगा रिटर्निंग अधिकारी प्ररूप–24 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची हिन्दी में तैयार करेगा और इसे अपने कार्यालय या सम्बन्धित पंचायत के कार्यालय में किसी सहज दृश्य स्थान पर लगवायेगा।

(2) तथाकथित सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और पते हिन्दी देवनागरी लिपि में वर्णानुक्रम में होंगे जैसे की नामांकन पत्रों में दिये गए हैं।

42. प्रतीकों का आबंटन.– (1) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो जाने के पश्चात् और यदि अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में क्रम संख्या के अनुसार नियम 34 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतीकों को क्रम संख्या के अनुसार अनुमोदित प्रतीक आबंटित करेगाः

परन्तु यह कि अभ्यर्थी को प्रतीक लेने का कोई चुनाव नहीं होगा ।

(2) जहां उप–नियम (1) के अधीन अभ्यर्थी को प्रतीक आबंटित कर दिया गया हो वहां प्रत्येक अवस्था में अभ्यर्थी को तत्काल इस प्रकार आबंटित प्रतीक के बारे में सूचित किया जाएगा और उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसका एक नमूना दिया जाएगा। उस दशा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में प्रत्येक अभ्यर्थी को आबंटित प्रतीक अन्तर्विष्ट होंगे।

43. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति.– यदि कोई अभ्यर्थी किसी निर्वाचन अभिकर्ता को नियुक्त करने की वांछा रखता है तो ऐसी नियुक्ति या तो नामांकन पत्र या निर्वाचन से पूर्व किसी भी समय प्ररूप–25 में की जाएगी।

44. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति .– (1) किसी निर्वाचन में जहां मतदान होना है, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी व्यक्ति को जो अभ्यर्थी होने या अधिनियम के अधीन पंचायत का सदस्य बनने के लिए निरर्हित नहीं है, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। ऐसी नियुक्ति प्ररूप–26 में दो प्रतियों में लिखित प्रपत्र द्वारा की जाएगी जो, यथास्थिति, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, यथास्थिति, नियुक्ति–पत्र की दूसरी प्रति को मतदान अधिकारी अभिकर्ता को देगा जो मतदान के लिए नियत तारीख को इसे प्रस्तुत करेगा और उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के सामने हस्ताक्षरित करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी मतदान अभिकर्ता को तब तक मतदान केन्द्र में कोई भी कर्तव्य की पालना करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उसने इस उप–नियम के उपबधों का अनुपालन न कर लिया हो।

45. मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति.– निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी भी व्यक्ति को जो अधिनियम के अधीन अभ्यर्थी या मतदाता निरर्हित नहीं है, प्ररूप–27 में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा जो, यथास्थिति, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो, मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता भी नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति को मतगणना अभिकर्ता को देगा जो मतों की गणना के लिए नियत तारीख को इसे प्रस्तुत करेगा और इसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर रिटर्निंग अधिकारी को या उसके द्वारा नियम 75 के अधीन प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी के सामने

हस्ताक्षर करेगा और ऐसे अधिकारी उसको प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी मतगणना अभिकर्ता को मतगणना के लिए नियत स्थान पर किसी भी कर्तव्य का पालन करने के लिए तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक उसने इस उप–नियम के उपबन्धों का अनुपालन न कर लिया हो।

46. नियुक्ति का प्रतिसंहरण या निर्वाचन मतदान और मतगणना अभिकर्ताओं की मृत्यु .– यथास्थिति, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय मतदान आरम्भ होने से पूर्व या मतदान के दौरान लिखित और हस्ताक्षरित घोषणा द्वारा प्रतिसंहरित की जा सकेगी और अभ्यर्थी द्वारा उसकी एक प्रति सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। उपरोक्त अभिकर्ताओं की मृत्यु की दशा में अभ्यर्थी द्वारा नए अभिकर्ता की नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करते हुए की जा सकेगी।

47. अभिकर्ता की अनुपस्थिति.– जहां इन नियमों के अधीन अभिकर्ता की उपस्थिति में किसी कार्य या बात का होना अपेक्षित या प्राधिकृत है तो उस प्रयोजन के लिए नियत तारीख, समय या स्थान पर किसी अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति में किया गया कार्य व बात विधिमान्य नहीं होगी यदि कार्य या बात अन्यथा सम्यक् रूप से की गई हो।

48. मतदान से पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु .– यदि किसी अभ्यर्थी की, जिसका नामांकन संवीक्षा करने पर विधिमान्य पाया गया हो और जिसने अपना नाम वापिस नहीं लिया है, मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु की रिपोर्ट मतदान आरम्भ होने से पूर्व प्राप्त होती है और शेष निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो निर्वाचन प्रत्यादिष्ट नहीं किया जायेगा परन्तु केवल एक अभ्यर्थी के क्षेत्र में रहने की दशा में निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नये सिरे से होगा :

परन्तु उस अभ्यर्थी से नया नामांकन लेना आवश्यक नहीं होगा जो निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करते समय निर्वाचक लड़ने वाला अभ्यर्थी था।

49. निर्विरोध निर्वाचन.– (1) यदि किसी स्थान के लिए नामांकन पत्र वापिस लेने के लिए नियत समय और तारीख के पश्चात् केवल एक अभ्यर्थी शेष रह जाता है जिसका नामांकन पत्र विधिमान्य पाया जाता है; रिटर्निंग अधिकारी तत्काल प्ररूप–28 में अभ्यर्थी को स्थान की पूर्ति के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा और राज्य निर्वाचन आयोग को इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से सूचित करेगा।

(2) यदि किसी स्थान के लिए कोई नामांकन पत्र नहीं भरा गया है या यदि किसी स्थान के लिए कोई भी अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित नहीं किया गया है, तो रिटर्निंग अधिकारी इस तथ्य की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को देगा। जो ऐसी रिक्तियों की समेकित सूची राज्य निर्वाचन आयोग को अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार स्थानों को भरने के लिए उचित कार्यवाही के लिए भेजेगा। यदि निर्वाचन लड़ने वाले

अभ्यर्थियों की संख्या किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक है तो मतदान नियम 33 में विनिर्दिष्ट तारीख को होगा।

[1]{**अध्याय–5क**

पोल ड्यूटी मतपत्र

49–क. मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ निर्वाचकों का मतदान हेतु हकदार होना.– इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को उनके द्वारा पूर्ण करने के अध्यधीन, निर्वाचक, जो उसी ब्लाक (खण्ड) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ हैं, पंचायत के किसी निर्वाचन में मतदान करने के हकदार होंगे।

49–ख. मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ मतदाताओं द्वारा सूचना.– उसी ब्लाक (खण्ड) के भीतर मतदान ड्यूटी पर कोई निर्वाचक, जो किसी निर्वाचन में मतदान करने का इच्छुक हो, उस पंचायत हेतु रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप–28क में इस प्रकार आवेदन करेगा ताकि वह, मतदान की तारीख से कम से कम सात दिन या ऐसी कमतर अवधि, जैसी राज्य निर्वाचन आयोग अनुज्ञात करे, के भीतर उसके पास पहुंचे; और यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ एक निर्वाचक है, तो वह उसको ग्राम पंचायत के सदस्य, उप प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पोल ड्यूटी मतपत्रों को जारी करेगा।

49–ग. मतपत्र का प्ररूप.– उसी ब्लाक (खण्ड) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ निर्वाचकों को जारी किए जाने वाले मतपत्र वैसे ही होंगे, जैसे संबंधित पंचायत के अन्य निर्वाचकों को जारी किए जाते हैं।

49–घ. मतपत्र जारी करना.–(1) ग्राम पंचायत हेतु रिटर्निंग आफिसर द्वारा, ऐसे मतदाता को पोल ड्यूटी मतपत्र, निम्नलिखित सहित व्यक्तिगत रूप से, परिदत्त किए जाएंगे,–

(क) प्ररूप–28ख में दो घोषणा प्ररूप (एक ग्राम पंचायत के लिए और दूसरा पंचायत समिति तथा जिला परिषद् हेतु);

(ख) प्ररूप–28ग में पांच लिफाफे (प्रत्येक मतपत्र के लिए एक);

(ग) प्ररूप–28घ में रिटर्निंग आफिसर को संबोधित दो बड़े लिफाफे (एक ग्राम पंचायत के लिए और अन्य पंचायत समिति तथा जिला परिषद् हेतु); और

(घ) प्ररूप–28ङ में निर्वाचक के मार्गदर्शन हेतु अनुदेश।

(2) ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग आफिसर उसी समय पर,–

---

[1]. अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008, दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा अध्याय 5–क अन्तःस्थापित किया गया ।

(क) निर्वाचन नामावली की चिह्नांकित प्रति में यथा प्रविष्ट मतदाता की निर्वाचक नामावली संख्या को, मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अभिलिखित करेगा;

(ख) निर्वाचक नामावली की चिह्नांकित प्रति में, मतदाता का नाम यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे मतपत्र जारी किया गया है तथापि उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या को उसमें अभिलिखित नहीं करेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता को मतदान केन्द्र पर मतदान करना अनुज्ञात नहीं किया गया है।

(3) किसी निर्वाचन में, निर्वाचन ड्यूटी पर आरूढ़ किसी मतदाता को कोई भी मतपत्र जारी करने से पूर्व, उस मतपत्र की क्रम संख्या को ऐसी रीति में प्रभावी रूप से गुप्त रखा जाएगा जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग निदेश दें।

(4) ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग आफिसर, मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ समस्त मतदाताओं को मतपत्र जारी करने के पश्चात्, निर्वाचक नामावली की चिह्नांकित प्रति को एक पैकेट में सीलबंद करेगा और पैकेट पर इसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन तथा इसे सीलबंद करने की तारीख को अभिलिखित करेगा।

(5) ग्राम पंचायत निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, मतदान ड्यूटीपर आरूढ़ मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्रों के प्रतिपर्णों को भी, पृथक पैकेट में सीलबंद करेगा और पैकेट पर इसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन तथा इसे सीलबंद करने की तारीख को अभिलिखित करेगा।

49–ङ. मत देना/वोट रिकार्ड करना.– (1) कोई मतदाता, जिसने पोल ड्यूटीमतपत्र प्राप्त किया है और मत देना चाहता है वह, प्ररूप–28ङ में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार मतपत्र पर अपना मत दर्ज (रिकार्ड) करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक मतपत्र को प्ररूप–28ग में पृथक लिफाफे में बंद करेगा।

(2) मतदाता, पंचायत के रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अधिकारी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए, की उपस्थिति में प्ररूप–28–ख में घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा।

49–च. मतपत्र की वापसी.– (1) मतदाता अपना मत देने और नियम 49–ङ के अधीन घोषणा हस्ताक्षरित करने के पश्चात् ग्राम पंचायत निर्वाचन हेतु नियुक्त रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अधिकारी, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग इस निमित्त अधिसूचित करे, को ऐसे समय के भीतर जैसा नियत किया जाए तथा प्ररूप–28ङ में उसे संसूचित अनुदेशों के अनुसार मतपत्र और घोषणा को वापस करेगा।

(2) यदि रिटर्निंग आफिसर द्वारा पोल ड्यूटी मतपत्र से युक्त कोई लिफाफा, उप–नियम (1) में नियत समय के अवसान के पश्चात् प्राप्त किया

जाता है तो वह उस पर उस की प्राप्ति की तारीख और समय अंकित करेगा और ऐसे समस्त लिफाफों को इक्कठा पृथक पैकेट में रखेगा।

(3) ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग आफिसर या ऐसा अधिकारी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए, यह सुनिश्चित करेगा कि उस द्वारा प्राप्त किए गए पोल ड्यूटी मतपत्र से युक्त समस्त लिफाफे–

(क) ग्राम पंचायत के निर्वाचन की दशा में, सम्वद्ध ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन हेतु सहायक रिटर्निंग आफिसर को दे दिए गए हैं;

(ख) पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन की दशा में, सम्वद्ध पंचायत समिति निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर को मतों की गणना के समय दे दिए गए हैं; और

(ग) जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन की दशा में सम्वद्ध जिला परिषद् निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर को, मतों की गणना के समय दे दिए गए हैं।}

अध्याय–6

निर्वाचन के लिए मतदान

50. निर्वाचन में मतदान की रीति.– प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान करवाया जाता है, मत, गुप्त मत पत्र द्वारा इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में डालें जाएंगे और कोई मत परोक्षी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा।

51. मतपेटी.– प्रत्येक मतपेटी, राज्य निर्वाचन आयोग के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन ऐसे डिजाईन की होगी कि मतपत्रों को उसमें डाला जा सके, किन्तु उससे पेटी के ताला खोले और सीलें तोड़े बिना न निकाला जा सके।

52. मतपत्र.– (1) निर्वाचन में प्रत्येक मत पत्र ऐसे डिजाईन/रंग के होंगे जैसे राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करें।

(2) पीठासीन अधिकारी को मतदान बूथ के लिए अपेक्षित संख्या के मतपत्र समुचित रसीदें लेकर प्रदान किए जाएंगे और ऐसे जारी किए गए मतपत्रों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

(3) पीठासीन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन के लिए इसे मतदान बूथ में प्रयोग के लिए जारी किए गए मतपत्रों का पृथक रूप में प्ररूप 29 में लेखा रखेगा।

53. मतदान केन्द्रों में सूचना.– (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र के भीतर और बाहर निम्नलिखित प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा .–

(क) मतदान क्षेत्र जिसके मतदाताओं को, मतदान केन्द्र में, मत देने का हक है, को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना ;

(ख) नियम 41 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों की सूची के अनुसार प्रत्येक अभ्यार्थी का देवनागरी लिपि में नाम देते हुए सूचना।

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रत्येक मतदान केन्द्र में, मतदान क्षेत्र की बाबत जिसके मतदाता ऐसे निर्वाचन केन्द्र में मत देने के हकदार हैं ; निर्वाचक नामावली की पर्याप्त संख्या में प्रतियों और ऐसे अन्य उपस्करों और उप साधनों का प्रबन्ध करेगा जो ऐसे मतदान केन्द्र में मतदान करवाने के लिए अपेक्षित हों।

54. मतदान केन्द्रों का इन्तज़ाम .– प्रत्येक मतदान केन्द्र, एक या अधिक मतदान कक्ष इसमें इसके पश्चात संप्रेक्षण से पर्दायुक्त कक्ष के रूप में जिसमें मतदाता एक के बाद दूसरा, अपने मत डाल सके और किसी अन्य मतदाता को तब तक ऐसे कक्ष में प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक मतदाता कक्ष के भीतर से अपना मत डालने के प्रयोजन से बाहर नहीं आता।

55. मतदान केन्द्र में मतदाताओं का प्रवेश.– पीठासीन अधिकारी, मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी एक समय में प्रवेश पाने वाले मतदाताओं की संख्या, विनियमित करेगा और निम्न लिखित व्यक्तियों से भिन्न अन्य सभी व्यक्तियों को वहां से हटाएगा .–

(क) मतदान अधिकारी ;

(ख) निर्वाचन सम्बन्धी ड्युटी पर लोक सेवक ;

(ग) यथास्थिति, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ;

(घ) अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता और इन नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता ;

(ङ) मतदाता की गोद में शिशु ;

(च) अन्धे या शिथिलांग मतदाता जो सहायता के बिना नहीं चल सकता के साथ व्यक्ति ; और

(छ) ऐसा अन्य व्यक्ति जैसा रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी मतदाता की पहचान के प्रयोजन से नियोजित करे।

56. मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व मत पेटियों को तालाबन्द और सील करना.– (1) पीठासीन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक मत पेटी अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा उनके मतदान अभिकर्ताओं जो ऐसे केन्द्र में उपस्थित हों एवं उन्हें तथा अन्य सभी उपस्थित व्यक्तियों को प्रदर्शित करेगा कि यह खाली है।

(2) पीठासीन अधिकारी उप–नियम (1) के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् पेटी को ऐसी रीति में सुरक्षित और सील करेगा कि पेटी में मत पत्रों को डालने के लिए दरार खुली रहें और अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन या मतदान अभिकर्ताओं को जो उपस्थित हों, उसके लिए पेटी में बनी जगह पर यदि वे चाहें अपनी सीलें लगाने को अनुज्ञात करेगा।

(3) मत पेटी के लिए प्रयोग की गई सीलें ऐसी रीति में लगाई जाएंगी कि दोबारा पेटी में ऐसी सील या किसी धागे को, जिस पर सीलें लगाई गई हैं, तोड़े बिना खोलना सम्भव नहीं होगा।

57. मतदाताओं की पहचान .– (1) पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र में ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझें मतदाताओं की पहचान करने में सहायता या उसे अन्यथा मतदान करवाने के लिए सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा :

परन्तु पहचान पत्र, जो भारत के निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मतदाताओं को जारी किए जाएंगे जो पंचायत निर्वाचनों के मतदान के दौरान पहचान का विधिमान्य सबूत होंगे।

(2) ज्यों ही प्रत्येक मतदाता, मतदान केन्द्र में प्रवेश करता है, पीठासीन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी, मतदाता का नाम और निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि में सुसंगत अन्य विशिष्टियों की जांच करेगा और तब क्रम संख्या, नाम और मतदाता की अन्य विशिष्टियां पुकारेगा।

(3) मतपत्र प्राप्त करने के अधिकार का विनिश्चय करने में, यथास्थिति, मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी, निर्वाचन नामावली में किसी प्रविष्टि में लिपिकीय या मुद्रण की लघु त्रुटि पर ध्यान नहीं देगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति वही है जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बन्धित है।

58. पहचान को चुनौती.– (1) कोई अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता किसी व्यक्ति की पहचान को, पीठासीन अधिकारी के पास प्रत्येक चुनौती के लिए पहले दो सौ रूपये नकद जमा करके चुनौती दे सकेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी, ऐसे जमा करने पर निम्नलिखित करेगा.–

(क) चुनौती दिए गए व्यक्ति को प्रतिरूपण के लिए चेतावनी देगा;

(ख) निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि को पढ़ेगा और उसे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति हैं;

(ग) प्ररूप 30 में चुनौती दिए गए वोटों की सूची में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा ;

(घ) उससे उक्त सूची पर उसके हस्ताक्षर लेने की अपेक्षा करेगा।

(3) पीठासीन अधिकारी, उसके पश्चात् चुनौती की संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कर सकेगा .–

(क) चुनौती देने वाले से चुनौती के सबूत में साक्ष्य देने की और चुनौती दिये गए व्यक्ति से उसकी पहचान के सबूत में साक्ष्य देने की अपेक्षा करेगा; या

(ख) चुनौती दिए गए व्यक्ति से उसकी पहचान को सिद्ध करने के प्रयोजन से आवश्यक कोई प्रश्न पूछेगा और उससे सशपथ उत्तर की अपेक्षा करेगा; और

(ग) चुनौती दिए गए व्यक्ति को और, साक्ष्य देने के लिए पेश होने वाले अन्य व्यक्ति को शपथ दिलाएगा।

(4) यदि पीठासीन अधिकारी जांच के पश्चात समझता है कि चुनौती सिद्ध नहीं हुई है तो वह चुनौती दिये गए व्यक्ति को मत देने के लिए अनुज्ञात करेगा, और यदि वह समझता है कि चुनौती सिद्ध हो चुकी है तो वह चुनौती दिए गए व्यक्ति को मत देने से वर्जित करेगा।

(5) यदि पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि चुनौती तुच्छ है या सद्भावपूर्वक नहीं की गई है तो वह निर्देश देगा कि उप–नियम (1) के अधीन जमा को राज्य सरकार को सम्पहृत किया जाए और किसी अन्य दशा में वह जांच की समाप्ति पर चुनौती देने वाले को वापस कर देगा।

59. मतपत्र जारी किया जाना .– (1) मतदान के प्रारम्भ होने के नियत समय से पूर्व किसी मतदाता को कोई मतपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(2) मतदान समाप्त होने के नियत समय के पश्चात् उन मतदाताओं के सिवाए, जो मतदान केन्द्र में मतदान के समय उपस्थित हों, किसी मतदाता को, कोई मत पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक मत पत्र को मतदाता को जारी करने से पूर्व ऐसे सुभेदक चिन्ह से चिन्हित किया जाएगा, जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) निर्देश दें।

(4) मतदान केन्द्र में जहां एक से अधिक पदधारियों के लिए मतदान होना है, प्रत्येक मतदाता को, ऐसे विभिन्न पदों के लिए रखे मत पत्रों को एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) मतदान अधिकारी मतदाता को मत पत्र जारी करने के समय निर्वाचक नामावली की प्रति में मतदाता से सम्बन्धित प्रविष्टि को रेखांकित, यह दिखाने के प्रयोजन से कि उसे मत पत्र जारी कर दिया गया है निर्वाचक नामावली को पृथक करेगा और महिला मतदाता की स्थिति में वह, उसके नाम के बांई ओर निशान लगाएगा। वह निर्वाचक नामावली पर उसकी क्रम संख्या अभिलिखित नहीं करेगा।

(6) मतदान केन्द्र में, कोई व्यक्ति विशिष्ट मतदाता को जारी मत पत्र की क्रम संख्या को नोट नहीं करेगा।

60. मतदान प्रक्रिया .– (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक समय में दो मत पेटियों का उपयोग किया जाएगा, एक ग्राम पंचायत के सदस्यों, प्रधान और

उप–प्रधान के निर्वाचन के लिए तथा दूसरी पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के लिए।

(2) मतदान अधिकारी प्रथम ग्राम पंचायत के सदस्यों, प्रधान और उप–प्रधान के निर्वाचन के लिए पृथकतः मत पत्र जारी करेगा और मतपेटी संख्या 1 में मतों को डालने के पश्चात् वह पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतपत्र जारी करेगा जिसके लिए मत पेटी संख्या 2 का उपयोग किया जाएगा।

(3) मतदाता मत पत्रों को प्राप्त करने पर, तुरन्त कक्ष की ओर जाएगा और मतदाता जिस अभ्यर्थी को मत डालना चाहता है मत पत्र पर मुद्रित उसके चिन्ह पर या नाम के सामने इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध स्थान पर मोहर लगाएगा। वह इसे, मतदान अधिकारी के सामने, सुसंगत सील बन्द मत पेटी में डालेगा।

(4) प्रत्येक मतदाता, अपना मत डालने के यथाशीघ्र मतदान केन्द्र को बिना असम्यक् विलम्ब छोड़ेगा।

61. अन्धे या शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान .– (1) यदि पीठासीन अधिकारी का समाधान हो जाता है कि मतदाता अन्धेपन या अस्वस्थता के कारण मतपत्र पर चिन्ह पहचानने या उस पर निशान बिना सहायता से लगाने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी, मतदाता को, अपने साथ एक साथी, जिसकी उम्र अठारह वर्ष से कम न हो, मतदान कक्ष में उसकी ओर से और उसकी इच्छा अनुसार मतपत्र पर मत रिकार्ड करने और यदि आवश्यक हो तो मतपत्र को इस प्रकार मोड़े ताकि मत को गुप्त रखा जा सके और उसे मत पेटी में डाला जा सके :

परन्तु किसी व्यक्ति को, उसी दिन, किसी मतदान केन्द्र में एक मतदाता से अधिक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी :

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन मतदान वाले दिन मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को, लिखित घोषणा करना अपेक्षित है कि वह, उस द्वारा मतदाता की ओर से रिकार्ड किए गए मत को गुप्त रखेगा और उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र में किसी मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(2) पीठासीन अधिकारी ऐसे सभी मामलों का संक्षिप्त अभिलेख रखेगा।

62. खराब व वापस किए गए मतपत्र .– (1) मतदाता जिसने अपने मतपत्र के साथ इस प्रकार से अनजाने में व्यवहार किया कि इसका मतपत्र के रूप मे सुविधा से उपयोग नहीं किया जा सकता, इसको रिटर्निंग अधिकारी को वापस करने पर और अनजानपन का अपना समाधान करने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दूसरा मतपत्र दिया जाएगा और वापिस किए गए मत पत्र और ऐसे मत पत्र के प्रतिपर्ण पर "खराब–रद्द" चिन्हित किया जाएगा।

(2) यदि मतदाता पत्र प्राप्त करने के पश्चात् इसको उपयोग न करने का विनिश्चय करता है तो वह इसे पीठासीन अधिकारी को वापस कर देगा और इस प्रकार वापिस किए गए मत पत्र और ऐसे मत पत्र के प्रतिपर्ण को पीठासीन अधिकारी द्वारा "वापस रद्द" चिन्हित किया जाएगा।

(3) उप–नियम (1) या उप–नियम (2) के अधीन रद्द सभी मत पत्रों को पृथक पैकेट में रखा जाएगा।

63. निविदत्त मत .– (1) यदि व्यक्ति, स्वयं को निर्वाचक नामावली में नामित विशिष्ट मतदाता का प्रतिनिधित्व करते हुए, दूसरे व्यक्ति के पश्चात् जो ऐसे मतदाता के रूप में पहले ही मतदान कर चुका हो, मतपत्र के लिए आवेदन करता है तो आवेदन ऐसे, प्रश्नों के सम्यक् रूप से उत्तर देने के पश्चात् जैसे पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछे जायें मत पत्र को इसमें इसके पश्चात निर्दिष्ट निविदत्त मतपत्र, उसी रीति में जैसे कोई अन्य मतदाता, मत पत्र प्राप्त करता, प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) निविदत्त मतपत्र, मत पेटी में डालने की बजाए ऐसे व्यक्ति द्वारा पीठासीन अधिकारी को दिए जाएंगे। पीठासीन अधिकारी, तब, मतपत्र को पृथक करने के प्रयोजन को पृथक पैकेट में रखेगा। मतदान के अन्त में ऐसे सभी निविदत्त मतपत्रों वाला पैक्ट सील बन्द किया जाएगा। ऐसे मतों की गणना मतगणना के समय नहीं की जाएगी।

(3) ग्राम का नाम, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, मतदाता का नाम, निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या और मतदान केन्द्र को, जिससे निर्वाचन नामावली सम्बन्धित है, प्ररूप–31 में सूची दर्ज किया जाएगा जिसका शीर्षक "निविदत्त मत की सूची" होगा। ऐसे मत प्राप्त करने उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अपने हस्ताक्षर करेगा या अपना अंगूठा निशान लगाएगा।

(4) पंचायत समिति के सदस्य प्रधान, उप–प्रधान और जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन से सम्बन्धित प्ररूप–31 में तैयार किया जाएगा।

64. मतदान का समापन.– (1) पीठासीन अधिकारी, नियम 32 के अधीन इस निमित्त नियत समय में मतदान केन्द्र बन्द करेगा और उसके पश्चात् किसी मतदाता को मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं होने देगा :

परन्तु मतदान केन्द्र में इसके बन्द होने से पूर्व उपस्थित सभी मतदाताओं को अपने मत डालने की अनुमति होगी।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या मतदाता, मतदान केन्द्र में इसके बन्द होने से पूर्व उपस्थित था तो इसका पीठासीन अधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

65. मतदान के पश्चात् मत पेटियों का सील बन्द करना.– (1) पीठासीन अधिकारी यथा शक्याशीघ्र मतदान के बन्द होनें के पश्चात् अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन या मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मत पेटी के छिद्र (दरार) को बन्द करेगा और जहां मत पेटी में छिद्र (दरार) बन्द करने के लिए

यांत्रिक युक्ति न हो तो वह छिद्र (दरार) को सील बन्द करेगा और उपस्थित किसी निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता को यदि वह ऐसा चाहे अपनी सील लगाने की अनुमति देगा।

(2) मतपेटी को उसके पश्चात् सील बन्द और सुरक्षित किया जाएगा।

(3) जहां पहली पेटी के पूरे भर जाने के कारण दूसरी मत पेटी की आवश्यकता हो तो उप–नियम (1) और (2) के अधीन यथा उपबन्धित दूसरी मत पेटी का उपयोग करने से पूर्व पहली पेटी को बन्द सील और सुरक्षित किया जाएगा।

66. मतपत्रों का लेखा .– (1) पीठासीन अधिकारी, मतदान के बन्द होने पर मत पत्र लेखे को प्ररूप–29 में तैयार करेगा और इसे पृथक लिफाफे में संलग्न करेगा जिस पर "मत पत्र लेखा" लिखा जाएगा।

(2) यथास्थिति, पंचायत समिति के सदस्य, प्रधान, उप–प्रधान और जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन के लिए मत पत्रों का लेखा पृथक रूप से तैयार किया जाएगा।

67. अन्य पैकेटों का सील बन्द करना.– (1) पीठासीन अधिकारी तब निम्नलिखित पैकेटों को तैयार और सील बन्द करेगा .–

(क) निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति ;

(ख) निर्वाचक नामावली की अन्य प्रति ;

(ग) उपयोग किए गए और अप्रयुक्त मत पत्र के प्रतिपर्ण ;

(घ) रद्द किए गए मत पत्र ;

(ङ) निविदत्त मत पत्रों का लिफाफा और निविदत्त मतपत्रों की सूची;

(च) आपत्ति जनक मत पत्र ;

(छ) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्देशित अन्य पत्रों का सील बन्द पैकेट में रखना।

स्पष्टीकरण .– सदस्य, प्रधान, उप–प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में पृथक पैकेट तैयार किये जाएंगे।

(2) उप–नियम (1) के अधीन निर्दिष्ट प्रत्येक पैकेट पीठासीन अधिकारी की सीलों से और उपस्थित अभ्यर्थियों निर्वाचन अभिकर्ताओं की सीलों से जो उस पर अपनी सील लगाना चाहे सील बन्द कर दिया जाएगा।

68. रिटर्निंग अधिकारी को मत पेटियों, पैक्टों आदि का प्रेषण .– पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित ऐसे स्थान पर जैसे कि रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी निर्देश देगा या दिलवायेगा .–

(क) मत पेटियां ;

(ख) मत पत्र लेखा ;

(ग) नियम–67, में निर्दिष्ट मोहर बन्द पैकेट ; और

(घ) सभी अन्य पत्र/मतदान पर प्रयोग होने वाली सामग्री ;

(2) रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के सम्पूर्ण निदेशाधीन प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निर्वाचन प्रोग्राम के अनुसार ग्राम पंचायत से सम्बद्ध मत पेटियों का ग्राम पंचायत मुख्यालय को, और पंचायत समिति तथा जिला परिषद् से सम्बद्ध मत पेटियों को पंचायत समिति मुख्यालय को, सुरक्षित वहन करने के लिए पर्याप्त इन्तजाम करेगा। भवन जिसमें मत पेटियां रखी जाती हैं, सशस्त्र–पुलिस/होम गार्ड बल द्वारा पर्याप्त रूप से पहरे में रखी जाएगी।

69. आपात काल में मतदान का स्थगन.– (1) यदि निर्वाचन में मतदान के लिए किसी मतदान केन्द्र की कार्यावाहियां किसी दंगे या खुली हिंसा द्वारा अवरोधित या वांछित की जाती हैं या किसी निर्वाचन में किसी प्राकृतिक विपत्ति, या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक के कारण किसी मतदान केन्द्र पर मतदान कराना संम्भव नहीं होता है तो ऐसे मतदान केन्द्र के रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी मतदान के स्थगन की घोषणा ऐसी तारीख तक के लिए करेगा जैसी बाद में नियत की जाए और जहां मतदान पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगित किया जाता है वहां सम्बद्ध रिटर्निंग अधिकारी को इसकी तुरन्त सूचना देगा।

(2) जब कभी मतदान उप–नियम (1) के अधीन स्थगित किया जाता है रिटर्निंग अधिकारी, राज्य निर्वाचन अधिकारी को, जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से ऐसी परिस्थितियों की तुरन्त रिपोर्ट करेगा, जो यथाशक्य शीघ्र कोई दिन निश्चित करेगा जिसको मतदान किया जायेगा, और मतदान केन्द्र और समय नियत करेगा जहां पर जिसके दौरान मतदान किया जाएगा।

(3) यथा पूर्वोक्त प्रत्येक ऐसे मामले में, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नियम 32 में अधिकथित रीति में उप–नियम (2) के अधीन नियत मतदान की तारीख, स्थान और समय प्रकाशित करेगा और मूल मतदान को विनिश्चित कर रहे नियमों के उपबन्ध, इस नियम के अधीन किए जाने वाले पुनः मतदान को यथाशक्य परिवर्तन सहित लागू होंगे।

70. मतदान के स्थगन की प्रक्रिया.– (1) यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान नियम 69 के अधीन स्थगित किया जाता है तो नियम 64 से 67 (दोनों सम्मिलित हैं) के उपबन्ध जहां तक व्यवहार्य हों, लागू होंगे, मानों कि मतदान नियम 64 के अधीन इस निमित्त नियत समय पर बन्द कर दिया गया था।

(2) रिटर्निंग अधिकारी मतदान केन्द्र जहां ऐसा मतदान स्थगित किया गया है के पीठासीन अधिकारी को मत पत्र निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां और इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित सभी अन्य निर्वाचन सामग्री का उपबन्ध करेगा।

(3) नियम 50 से 69 (दोनों सम्मिलित हैं) के उपबन्ध स्थगित मतदान के संचालन के सम्बन्ध में एक से लागू होंगे जैसे वे ऐसे स्थगन के पहले मतदान के सम्बन्ध में लागू होते थे।

71. मत पेटियों को नष्ट (इत्यादि) किए जाने के मामले में पुनः मतदान.– (1) यदि किसी मतदान में–

(क) मतदान केन्द्र पर प्रयोग की गई मत पेटी, पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में अवैध रूप से बाहर निकाल ली जाती है या घटनावश या साशय नष्ट कर दी जाती है या गुम हो जाती है या उस विस्तार तक क्षतिग्रस्त अथवा बिगाड़ दी जाती है कि उस निर्वाचन केन्द्र पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता; या

(ख) किसी मतदान केन्द्र पर प्रक्रिया में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता की जाती है जिससे मतदान संभाव्यता निष्फल हो जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी मामले की रिपोर्ट तुरन्त निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को करेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य निर्वाचन आयोग सभी सारवान परिस्थितियों को ध्यान में रखनें के पश्चात्, या तो .–

(क) मतदान केन्द्र पर मतदान को शुन्य घोषित कर देगा और उस मतदान केन्द्र पर पुनः मतदान कराने के लिए दिन और समय नियत करेगा और ऐसे नियत दिन और समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी वह उचित समझे; या

(ख) यदि यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र पर पुनः मतदान का परिणाम, किसी भी ढंग से निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा या प्रक्रिया में त्रुटि या अनियमितता, सारवन नहीं है तो रिटर्निंग अधिकारी को ऐसे निर्देश जारी करेगा जैसे वह उचित समझे।

(3) अधिनियम के उपबन्ध और तद्धीन बनाए गए नियम या किए गए आदेश ऐसे प्रत्येक पुनः मतदान को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान को लागू होते है।

अध्याय–7

मतों की गणना

72. मतों की गणना का पर्यवेक्षण.– प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान किया जाता है, मतों की गणना या तो रिटर्निंग अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा यथा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी के पर्यवेक्षण और निदेशाधीन की जाएगी। निर्वाचन लडनें वाले अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता और गणन अभिकर्ता का ऐसी गणना के समय उपस्थित होने का अधिकार होगा।

73. गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश.– (1) रिटर्निंग अधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी मतों की गणना के लिए नियत स्थान से निम्नलिखित के सिवाए अन्य सभी व्यक्तियों को अपवर्जित करेगा .–

(क) ऐसे व्यक्ति जिन्हे वह गणना में अपनी सहायता करने को नियुक्त कर सके;

(ख) राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;

(ग) निर्वाचन से सम्बद्ध लोक सेवक जो ड्यूटी पर तैनात है ; और

(घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो निर्वाचन में या उसके बारे में अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा कार्य करता रहा है।

(3) रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी यह विनिश्चित करेंगे कि कौन सा गणन अभिकर्ता या अभिकर्ता किसी विशिष्ट गणन टैवव या गणन आवेलों पर गणना की निगरानी रखेगा।

(4) कोई व्यक्ति जो मतों की गणना के दौरान स्वयं अवचार करता है या रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारियों के विधि पूर्ण निर्देशों की पालना करने में असफल रहता है तो मतों की गणना के स्थान से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ड्युटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा।

[1]{**73–क. पोल ड्यूटी मतपत्र के माध्यम से प्राप्त किए गए मतपत्रों की गणना**.– (1) रिटनिर्गं आफिसर इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति में प्रथमतः पोल ड्यटूी मतपत्रों का निपटान करेगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्ररूप–28घ में प्राप्त किया गया कोई भी लिफाफा इस निमित्त नियत समय के अवसान के पश्चात् नहीं खोला जाएगा और ऐसे किसी लिफाफे में रखे गए किसी भी मत की गणना नहीं की जाएगी।

(3) अन्य लिफाफे एक के बाद एक खोले जाएंगे और जैसे ही प्रत्येक लिफाफा खोला जाता है, रिटर्निंग आफिसर प्ररूप–28ख में अतंर्विष्ट घोषणा की प्रथमतः जाचं करेगा और यदि उक्त घोषणा नहीं पाई जाती है या सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा अनुप्रमाणित नहीं हुई है, या अन्यथा सारभूत रूप से त्रुटिपुण है, या यदि मतपत्र की क्रम सख्ंया, (प्ररूप–28ख) में प्रविष्ट की गई क्रम सख्ंया

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा नियम 73क अन्तःस्थापित किया गया ।

से, प्ररूप–28ग में लिफाफे पर पृष्ठाकिंत क्रम सख्या से भिन्न है तो उस लिफाफे को नहीं खोला जाएगा और उसपर समुचित पृष्ठाकंन करने के पश्चात्, रिटनिर्गं आफिसर इसमें अतंर्विष्ट मतपत्र को रद्द करेगा।

(4) इस प्रकार पृष्ठांकित प्रत्येक लिफाफा और इसके साथ प्राप्त घोषणा को परूप–28घ में बनाए लिफाफे में रखा जाएगा और प्ररूप–28घ में ऐसे समस्त लिफाफे अलग पैकेट में रखे जाएंगे जो मुहरबदं किए जाएंगे और उन पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम गणना की तारीख और इसकी संक्षिप्त अन्तर्वस्तु को अभिलिखित किया जाएगा।

(5) रिटर्निंग आफिसर तय प्ररूप–28ख की समस्त घोषणाओं जो उसे व्यवस्थित रूप में प्राप्त हुई हों, को अलग पैकेट में रखेगा और उन्हें प्ररूप–28ग में किसी लिफाफे को खोलने से पूर्व मुहरबदं करेगा और उस पर उप–नियम (4) में निर्दिष्ट विशिष्टियों को अभिलिखित करेगा ।

(6) प्ररूप–28घ में लिफाफे जो इस नियम के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन पहले से ही व्यवहृत नहीं किए गए हैं तब एक के बाद एक खोले जाएंगे और रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतपत्र की छानबीन करेगा और उस पर अभिलिखित (दर्ज) मतपत्र की वैधता विनिश्चित करेगा।

(7) पोल ड्यिटूी मतपत्र अस्वीकृत हो जाएगा यदि,–

(क) मत को अभिलिखित (दर्ज) करने के चिन्ह के अतिरिक्त उस पर कोई अन्य चिन्ह अंकित किया गया हो या कोई लेखन किया गया हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती है; या

(ख) यदि उस पर मत दर्ज नहीं हुआ हो; या

(ग) यदि एक से अधिक प्रत्याशियों के लिए मत दर्ज किए गए हों ; या

(घ) यदि यह अप्रमाणित (जाली) मतपत्र है; या

(ङ) यदि यह इस तरह से क्षतिग्रस्त या विकृत हुआ है कि प्रामाणिक मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है; या

(च) यदि इसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता को भेजे गए लिफाफे के साथ वापिस नहीं भेजा गया है।

(8) पोल डियटूी मतपत्र पर अभिलिखित (दर्ज) मत अस्वीकृत किया जाएगा यदि मत के लिए दर्शाया गया चिन्ह मतपत्र पर इस रीति से लगाया जाता है कि यह संदेहजनक लगे कि किस प्रत्याशी को मतदान किया गया है।

(9) पोल डियटूी मतपत्र पर अभिलिखित (दर्ज) मत केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि मत देने के लिए दर्शाया गया चिन्ह स्पष्ट नहीं है या एक से अधिक बार लगाया गया है, यदि मतपत्र को चिह्नित करने के

तरीके से आश्य सपष्टतः प्रतीत होता हो कि मत किस विशिष्ट अभ्यर्थी को डाला गया है।

(10) रिटनिर्गं आफिसर प्रत्येक प्रत्याशी के पक्ष में अभिलिखित (डाले गए) समस्त विधिमान्य मतों की गणना करेगा और कुल मतों को निम्नलिखित रीति में परिणाम शीट पृष्ठ पर अभिलिखित करेगा, अर्थात्:–

(क) ग्राम पचांयत के सदस्य के मामले में प्ररूप–32 में ;

(ख) प्रधान/उपप्रधान के मामले में प्ररूप–34 में;

(ग) पंचायत समिति के सदस्य के मामले में प्ररूप–36 में;

(घ) जिला परिषद् के सदस्य के मामले में प्ररूप–38 में, और इसकी घोषणा करेगा।

(11) समस्त वैध मतपत्र और अस्वीकृत मतपत्र अलग–अलग पुलिन्दे में पैकटे में रखे जाएंगे जो रिटनिर्गं आफिसर और प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणना अभिकर्ताओं की मोहरों से सीलबदं किए जाएंगे, यदि वे उस पर अपनी सील लगाना चाहें, और उस प्रकार मोहरबदं पैकेट पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतगणना की तारीख और इसकी अन्तर्वस्तु का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित किया जाएगा।}

74. मतपेटियों की संवीक्षा करना और खोलना.– (1) रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी, उसी पद के लिए एक से अधिक मतदान केन्द्र में प्रयोग हुई मतपेटियों को खोलेंगे और सम सामयिक रूप से उसमें मतदान किए गए मतों का स्टेज करेंगे।

(2) गणना टेबल पर किसी मत पेटी को खोलने से पूर्व टेबल पर उपस्थित गणना अभिकर्ताओं को कागज पत्र की या ऐसी अन्य मोहरें जो उन पर लगाई गई हों, की जांच करने दी जाएगी ताकि उनका समाधान हो सके कि वे अक्षत हैं।

(3) रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी अपना समाधान करेगा कि किसी भी मत पेटी से वास्तव में हस्तक्षेप नहीं हुआ है।

(4) यदि रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी मत पेटी में हस्तक्षेप हुआ है, तो वह उस पेटी में अन्तर्विष्ट मतों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र में नियम 71 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा।

75. मतगणना की प्रक्रिया .– रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, नियम 32 के अधीन नियत तारीख, समय और स्थान पर, निम्नलिखित रीति में मत की गणना आरम्भ करेगा, अर्थात्.–

(i) ग्राम पंचायत के पदों/स्थानों के लिए मतों की गणना ग्राम पंचायत मुख्यालय में और पंचायत समिति और जिला परिषद्

के सदस्यों के लिए खण्ड मुख्यालय में निर्वाचन प्रोग्राम के अनुसार होगी।

(ii) रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी क्रमांक संख्या के अनुसार हरेक निर्वाचन क्षेत्र की मतपेटी को बाहर निकालेगा और अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को मतपेटी (पेटियों) और उस पर लगी मोहर का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करेगा ताकि उनका समाधान हो जाए कि वे अक्षत हैं।

(iii) प्रत्येक मतपेटी को खोले जाने के पश्चात् अभ्यर्थियों या निर्वाचन अभिकर्ताओं, जो उपस्थित हों, को मत पेटी, को निरीक्षण करने और उनका समाधान करने दिया जाएगा कि मत पेटी के भीतर सही लेवल लगे हुए है।

(iv) सभी मत पत्र प्रत्येक पेटी से बाहर निकाले जाएंगे और खाली पेटी अभ्यर्थियों या निर्वाचन अभिकर्ताओं को उनके समाधान के लिए दिखाई जाएगी कि पेटी के भीतर कोई मत पत्र बाकी नहीं रह गया है।

(v) प्रत्येक पेटी से निकाले गए मत पत्रों को उसी पद से सम्बद्ध अन्य मत पेटियों से निकाले गए मत पत्रों के साथ मिलाया जाएगा और उसके पश्चात् हर सीट/पद के लिए पृथकतः उनकी छटाई की जाएगी। ग्राम पंचायत के सदस्य (सदस्यों) के मत पत्र उसी टेबल पर रहने दिए जाएंगे और प्रधान और उप–प्रधान के पद के मतपत्र गणना के बिना ही रिटर्निंग अधिकारी को बाद में गणना के लिए दे दिये जाएंगे। गणना के पश्चात् ग्राम पंचायत के सदस्यों का परिणाम प्ररूप–32 पर (रिज़ल्टशीट) तैयार करके प्ररूप–33 पर घोषित किया जाएगा। ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों के परिणाम घोषित किए जाने के उपरान्त उप–प्रधान/प्रधान के पदों के लिए परिणाम की घोषणा, गणना के पश्चात् प्ररूप–34 पर रिज़ल्ट शीट तैयार करके प्ररूप 35 पर की जाएगी।

(vi) खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के लिए हर–एक निर्वाचन से सम्बद्ध मत पेटियों से निकाले गए मत पत्रों को अन्य मत पेटियों से निकाले गए मत पत्रों के साथ मिलकर पृथकतः छंटाई की जाएगी। पंचायत समिति सदस्यों के स्थान के मत पत्रों को उसी टेबल पर रखा रहने दिया जाएगा और जिला परिषद् सदस्यों के स्थान के मत पत्रों को मतपत्र लेखा के साथ मिलान करके, बिना गणना के ही अन्य टेबल पर कर दिया जाएगा। पंचायत समिति सदस्यों के स्थानों के लिए गणना पहले की जाएगी और पंचायत

समिति के सदस्यों का परिणाम प्ररूप–36 पर रिजल्ट शीट तैयार करके प्ररूप–37 पर घोषित किया जाएगा। इसके पश्चात् जिला परिषद् के सदस्य के लिए गणना की जाएगी और गणना के पश्चात् प्ररूप–38 भाग–1 पर रिजल्ट–शीट तैयार की जाएगी। मतपत्र लेखा प्ररूप–38 भाग–1 सहित और मोहर बन्द लिफाफे में मत पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजा जाएगा जो प्राप्त किए गए प्ररूप–38–। को संकलन करने के पश्चात् प्ररूप–37 भाग–।। में रिजल्ट शीट तैयार करेगा और प्ररूप–39 पर परिणाम घोषित करेगाः

[1]{परन्तु प्ररूप 33, 35, 37 और 39 में परिणाम की घोषणा केवल तभी की जाएगी जब अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या उसके गणना अभिकर्ता को नियम 79 के अधीन पुनः गिनती करने के अधिकार का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।}

76. मत पत्रों की संवीक्षा और अस्वीकृति .– (1) मतपेटी में अन्तर्विष्ट मतपत्र अस्वीकार किए जाएंगे यदि.–

(क) इस पर कोई चिन्ह या लिखित हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती हो ;

(ख) यह जाली मत पत्र हो ;

(ग) यह इस तरह से क्षतिग्रस्त या विभिन्न रूप का हो गया हो जिससे उसकी पहचान कि यही वास्तविक मत पत्र है, नहीं की जा सकती हो ;

(घ) इस पर ऐसी क्रमांक संख्या हो या इसकी ऐसी शक्ल हो जो किसी विशिष्ट मतदान केन्द्र पर प्रयोग के लिए प्राधिकृत मतपत्र का क्रमांक संख्या या शक्ल से यथास्थित भिन्न हो;

(ङ) इस पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जो निम्न नियम 59 के उप–नियम (3) के उपबन्धों के अधीन उस पर लगा होना चाहिए था ;

(च) यह पीठासीन अधिकारी द्वारा चिन्हित नहीं किया गया हो ;

(छ) यह एक से अधिक सदस्यों के स्तम्भों पर चिन्हित किया गया हो ;

(ज) यह ऐसा उपस्कर द्वारा और ऐसी रीति में चिन्हित किया गया हो जो इस प्रयोजन ने लिए विहित उपस्कर और रीति से भिन्न हो :

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा परन्तुक जोड़ा गया ।

परन्तु जहां रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी ने अपने समाधान करने पर निर्देश दिया है कि खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में उल्लिखित कोई ऐसी त्रुटि, मतदान केन्द्र पर प्रयोग में लाये गये किन्हीं मत पत्रों या सभी के बारे में, पीठासीन अधिकारी या सम्बद्ध मतदान अधिकारी की ओर से की गई गलती या असफलता के कारण हुई है, जिसको अनदेखा कर दिया जाए तो मत पत्र खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन ऐसी त्रुटि के मात्र आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा परन्तु यह और कि यदि मतदाता द्वारा लगाया गया चिन्ह मत पत्र के दो स्तम्भों में फैल जाता है तब मत उस अभ्यर्थी के हक में गिना जाएगा जिसके स्तम्भ में चिन्ह का ज्यादा भाग आता हो।

(2) उप–नियम (1) के अधीन किसी मतपत्र को अस्वीकार करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी प्रत्येक उपस्थित गणन अभिकर्ता को मतपत्र का निरीक्षण करने का युक्ति–युक्त अवसर देगा और उसे या किसी अन्य मत पत्र को छूने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी अस्वीकृत मत पत्र पर अक्षर (अस्वीकृत) और संक्षिप्त रूप में अस्वीकार के आधारों को अपने हाथ से या रबड़ की मोहर द्वारा अभिलिखित करेगा।

(4) इस नियम के अधीन सभी अस्वीकृत मतपत्रों को एक साथ बांधा जाएगा।

77. मतदान की निरन्तरता.– रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी जहां तक व्यवहार्य हो, मतों की गणना की निरन्तरता बनाए रखेगा और किसी अन्तराल के दौरान जब गणना लम्बित की जानी हो तो निर्वाचन से सम्बन्धित मत पत्रों, पैकेटों और अन्य कागज पत्रों को अपनी मोहर और ऐसे अभ्यर्थियों या निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणना अभिकर्ताओं जो अपनी मोहर लगाने के लिए इच्छुक हो की मोहरों से मोहर बन्द करेगा और ऐसे अन्तरालों के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानियां रखने का प्रबन्ध करवाएगा।

78. मतदान के पश्चात गणना की सिफारिश करना .– (1) यदि नियम 71 के अधीन पुनः मतदान होता है, तो रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी मतदान के समापन पर मतों की गणना उसके द्वारा इस निमित्त नियत तारीख, समय और स्थान पर प्रारम्भ करेगा और जिसकी सूचना अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ताओं को पहले ही दी जा चुकी हो।

(2) नियम [1]{75,} 76 और 77 के उपबन्ध जहां तक हो अगली गणना के लिए लागू होंगे।

[1]{**79. मतों की पुनःगणना**.– (1) नियम 75 के अधीन गणना पूरी होने और रिजल्टशीट तैयार करने के पश्चात्, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी

---

[1]. अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।

(पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी रिजल्टशीट की विशिष्टियों की घोषणा करेगा।

(2) ऐसी घोषणा किए जाने के पश्चात् अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका कोई गणना अभिकर्ता, यथास्थिति, लिखित में या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, पहले से ही गणना किए गए समस्त मतपत्रों या किन्हीं मतपत्रों की पुनः गणना करने के लिए आधार दर्शाते हुए, आवेदन करेगाः

परंतु यदि पुनःगणना के लिए युक्तियुक्त समय के भीतर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता हैं तो नियम 75 के खण्ड (V) और (VI) के उपबन्धों के अनुसार परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

(3) उप–नियम (2) के अधीन पुनः गणना के लिए आवेदन पर, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी मामले का विनिश्चय करेगा और आवेदन को पूर्ण रूप से या भागतः स्वीकार कर सकेगा या यदि उसे यह तुच्छ या अयुक्तियुक्त लगे तो अस्वीकृत कर सकेगा :

परन्तु, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर (अधिकारी), या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चिय लिखित में होगा और जिसमें इस निमित्त कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

(4) यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उप–नियम (3) के अधीन आवेदन को या तो पुर्णतः या भागतः स्वीकार (अनुज्ञात) करने का विनिश्चय करता है तो वह–

(क) अपने विनिश्चय के अनुसार मतपत्रों की पुनःगणना करेगा;

(ख) ऐसी पुनःगणना के पश्चात् उस विस्तार तक जहां तक आवश्यक है परिणाम में संशोधन करेगा; और

(ग) उसके द्वारा किए गए ऐसे संशोधन की घोषणा करेगा।

(5) उप–नियम (4), के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में किए गए मतदान की कुल संख्या की घोषणा किए जाने के पश्चात्, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, रिजल्टशीट को पूर्ण करके उस पर हस्ताक्षर करेगा और तत्पश्चात् पुनःगणना के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा।}

---

[1]. अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा नियम 79 प्रतिस्थापित किया गया ।

80. मतों की समानता.– यदि मतों की गणना के पूरा होने के पश्चात किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मतों में समानता पाई जाती है और एक मत की बढ़ौतरी उसमें से किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार बनाती है तो रिटर्निंग अधिकारी तुरन्त उन अभ्यर्थियों के बीच लाट द्वारा विनिश्चय करेगा और मानने के लिए अग्रसर होगा कि जिस अभ्यर्थी की ओर लाट जाता है उसने एक अतिरिक्त मत प्राप्त कर लिया है।

अध्याय–8

निर्वाचन के कागज पत्र

81. अभ्यर्थियों की जमा राशियों का समपहरण या वापसी.– (1) नियम 37 के अधीन जमा राशियां या तो जमा करने वाले व्यक्तियों को या उसके विधिक प्रतिनिधि को वापस किया जाएगा या इस नियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार को समपहृत की जाएंगी।

(2) इस नियम में इसमें इसके पश्चात् जमा वर्णित मामलों के सिवाए, निर्वाचन के परिणाम घोषित करने के पश्चात् जमा यथाशक्य शीघ्रता से वापस किया जाएगा।

(3) यदि अभ्यर्थी को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्शित नहीं किया गया हो या यदि मतदान के प्रारम्भ से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो जमा यथाशक्य शीघ्र सूची के प्रकाशन के पश्चात् या उसकी मृत्यु के पश्चात् वापस किया जाएगा।

(4) उप–नियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जमा समपहृत हो जाएगा, यदि निर्वाचन पर मतदान किया गया हो और अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं हुआ हो तथा उसको डाले गए वैध मतों की संख्या सभी अभ्यर्थियों को डाले गए वैध मतों की पूर्ण संख्या के छठवें भाग से अधिक न हो।

82. निर्वाचन सम्बन्धित कागज पत्रों की अभिरक्षा.– ग्राम पंचायत के सदस्यों, प्रधान, उप–प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य के निर्वाचन से सम्बद्ध कागज पत्र खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे और जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन से सम्बद्ध कागज पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे।

83. निर्वाचन कागज पत्रों का प्रस्तुतीकरण और निरीक्षण.– जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा के दौरान.–

(क) अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट ;

(ख) प्रयुक्त वैध मतपत्रों के पैकेट चाहे वैध, निविदित्त या अस्वीकृत; और

(ग) मतदाता की चिन्हित प्रतिलिपियों के पाकेट सूचियां नहीं खोले जाएंगे और उनकी विषय वस्तु सक्षम न्यायालय के आदेश के

सिवाए किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निरिक्षित नहीं की जाएगी या उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाएगी।

[1]{**84. निर्वाचन कागज पत्रों का निपटारा**.– नियम 61, 62, 67 और 83 में निर्दिष्ट निर्वाचन पत्र और पैकेटस हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (साधारण) नियम, 1997 के नियम 124 के अधीन राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की अवधि तक रखे जा सकेंगे और तत्पश्चात् राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय या लम्बित विधिक कार्यवाहियों में दिए गए प्रतिकूल किसी निदेश के अध्यधीन नष्ट किए जाएंगे।}

[2]{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}

अध्याय–9

पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन

85. निर्वाचन की बैठक.– (1) पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों के परिणामों की घोषणा के पश्चात् सम्बन्धित उपायुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत खण्ड विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारी के सिवाए कोई अन्य अधिकारी (इसमें इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट) अपनी अध्यक्षता के अधीन अधिनियम की धारा 127 के अधीन शपथ या राज्य निष्ठा के प्रतिज्ञान के प्रयोजन के लिए [3]{XXXXXXXXXX} यथाशक्य शीघ्र तारीख नियत करेगा, जो अधिनियम की धारा 79 के अनुसार परिणामों की घोषणा से एक सप्ताह के पश्चात् की नहीं होगी।

[4]{(1–क) सम्बन्धित उपायुक्त या उस द्वारा, विकास खण्ड अधिकारी के सिवाए, प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, यथाशक्य सम्भव परन्तु उप–नियम(1) के अधीन शपथ या राज्य निष्ठा का प्रतिज्ञान दिलाए जाने या किए जाने के सात दिनों के अपश्चात्, अपनी अध्यक्षता में, सभी निर्वाचित सदस्यों की, उनमें से किसी एक को पंचायत समिति का अध्यक्ष और दूसरे किसी को उपाध्यक्ष चुने जाने के लिए बैठक बुलाएगाः

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा नियम 84 प्रतिस्थापित किया गया ।

[2] अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)18/2000 तारीख 30–12–2005 हिमाचल प्रदेश राजपत्र तारीख 30–12–2005 के पृष्ठ 5627–5646 में प्रकाशित द्वारा अध्याय–8क जोड़ा गया तथा अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)18/2008 तारीख 20–10–2008 हिमाचल प्रदेश राजपत्र तारीख 21–10–2008 के पृष्ठ 4317–4318 में प्रकाशित द्वारा लोप किया गया ।

[3] अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)12/2000 तारीख 26–12–2000 हिमाचल प्रदेश राजपत्र तारीख 27–12–2000 के पृष्ठ 4775–4777 में प्रकाशित द्वारा शब्दों "और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए" का लोप किया गया ।

[4] अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)12/2000 तारीख 26–12–2000 हिमाचल प्रदेश राजपत्र तारीख 27–12–2000 के पृष्ठ 4775–4777 में प्रकाशित द्वारा उप नियम (1–क) जोड़ा गया ।

परन्तु यह कि राज्य सरकार या विशेष आदेश द्वारा, इस उप–नियम के अधीन पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से एक सप्ताह के पश्चात् परन्तु एक महीने के अपश्चात् अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन बैठक करने की अनुमति प्रदान कर सकेगी .–

i. यदि प्राकृतिक आपादाओं के कारण सात दिनों के भीतर बैठक बुलाई जानी सम्भव नहीं है;

ii. यदि विधि और व्यवस्था की गम्भीर समस्या के कारण सात दिनों के भीतर बैठक बुलाना सम्भव या वांछनीय नहीं है; और

iii. यदि विद्यमान पंचायतों की कालावधि के अवसान के 15 दिनों से अधिक अवधि पूर्व निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।}

[1]{(1–ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति होने की घोषणा के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्रता से किन्तु सात दिनों के पश्चात् नहीं, सम्बद्ध उपायुक्त या पंचायत समिति के सचिव के सिवाय, उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की अध्यक्षताधीन, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों को निर्वाचित करने के लिए सभी निर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलाएगाः

परन्तु अधिक कठोर प्राकृतिक विपत्ति या हिमाचल प्रदेश में सुसंगत क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति अथवा दूसरे देश द्वारा भारत के विरूद्ध युद्ध या आक्रमण द्वारा प्रभावित होने पर या मानव नियन्त्रण से परे किसी अन्य कारण से यदि सात दिन में ऐसा निर्वाचन धारित करना सम्भव न हो तो, सरकार, ऐसी प्रश्नगत रिक्ति होने के पश्चात् सात दिन के बाद किन्तु तीस दिन के बाद नहीं, ऐसे निर्वाचन धारित करने को अनुज्ञात कर सकेगी।}

(2) पीठासीन अधिकारी सभी हकदार सदस्यों को प्ररूप–40 में कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए सूचना जारी करेगा।

(3) ऐसी सूचना की एक प्रतिलिपि पंचायत समिति कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित की जाएगी।

(4) बैठक की तारीख से कम से कम पांच दिन पूर्व उनके स्थायी पते पर सूचना भेजी जाएगी और जिसमें बैठक की तारीख, समय, स्थान और प्रयोजन अन्तर्विष्ट होंगे।

[2]{(5) उप–नियम (1) के अधीन शपथ या राज्य निष्ठा के प्रतिज्ञान के प्रयोजन के लिए बलाई गई बैठक के लिए कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी।

---

[1] अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)18/2000 तारीख 30–12–2005 हिमाचल प्रदेश राजपत्र तारीख 30–12–2005 के पृष्ठ 5627–5646 में प्रकाशित द्वारा उप नियम (1–ख) जोड़ा गया ।

[2] अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)12/2000 तारीख 26–12–2000 हिमाचल प्रदेश राजपत्र तारीख 27–12–2000 के पृष्ठ 4775–4777 में प्रकाशित द्वारा उप नियम (5) प्रतिस्थापित किया गया तथा अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)18/2000 तारीख 30–12–2005 हिमाचल प्रदेश राजपत्र तारीख

यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु बैठक के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई से होगी। यदि बैठक के लिए नियत समय के पश्चात् दो घण्टे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित न हो तो बैठक स्थगित हो जाएगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगन होने पर, प्रथम बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर द्वितीय बैठक बुलाई जाएगी और यदि गणपूर्ति के अभाव में द्वितिय बैठक भी स्थगित हो जाती है, तो पश्चातवर्ती बैठकें अन्तिम स्थगित बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर बुलाई जाएगी तथा अधिनियम की धारा 146 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन ऐसे सदस्यों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी जो पश्चातवर्ती बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके लिए ऐसी बैठकों के नोटिस में विनिर्दिष्ट उल्लेख किया जाएगा। द्वितीय और पश्चातवर्ती बैठकों के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों के साधारण बहुमत से होगी।}

(6) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी, यथास्थिति, लिखित रूप में नामानिर्दिष्ट किया जाएगा और प्ररूप–41 में नामांकित पत्र दो सदस्यों जिनमें एक प्रस्थापक और दूसरा समर्थक होगा। किसी भी सदस्य को एक पद के लिए एक अभ्यर्थी से अधिक का प्रस्तावित या समर्थित करने की अनुमति नहीं होगी। [1]{गणपूर्ति के पूर्ण होने} के पश्चात् एक घण्टे के भीतर नामांकन पत्र पीठासीन अधिकारी को परिदत्त किया जाएगा। इन नियमों के उल्लंघन में हस्ताक्षरित और परिदत्त कोई नामांकन पत्र अविधिमान्य होगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसा घोषित किया जाएगा।

(7) पीठासीन अधिकारी द्वारा सदस्यों की उपस्थिति में नामांकन पत्रों के परिदान के लिए आबंटित एक घण्टे के समापन के पश्चात् उनकी संविक्षा की जाएगी। किसी नामांकन पत्र के प्रति आक्षेप पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा जो प्रत्येक नामांकन पत्र पर उचित विचार करने के पश्चात् स्वीकार या अस्वीकार करेगा। किसी आक्षेप को अस्वीकार किए जाने की दशा में वह इसके कारणों को अभिलिखित करेगा।

(8) बैठक का पीठासीन अधिकारी बैठक में पढ़ेगा .–

(क) अभ्यर्थी का नाम जिसका नामांकन पत्र अविधिमान्य घोषित किया गया है और उसके कारण ; और

(ख) समयक् रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों के नाम।

(9) (1) यदि निर्वाचन के लिए मात्र एक ही अभ्यर्थी हो तो वह समयक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

30–12–2005 के पृष्ठ 5627–5646 में प्रकाशित द्वारा पुनःप्रतिस्थापित किया गया और अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(3)17/2009 तारीख 24–2–2009 हिमाचल प्रदेश राजपत्र, तारीख 26–2–2009 के पृष्ठ 7879–7880 पर प्रकाशित द्वारा पुनःप्रतिस्थापित किया गया ।

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों "अधिनियम की धारा 127 के अधीन शपथ देने या राज्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करने" के स्थान पर रखा गया ।

[1]{××××××××××××××××××××××××××}।

(10) यदि अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक हो तो निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा।

(11) पीठासीन अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को हिन्दी की देवनागरी लिपि में वर्णक्रम से लिखे गए उनके नामों के सन्दर्भ में क्रम संख्या देगा और प्रत्येक अभ्यर्थी को समनुदेशित क्रम संख्या, को सदस्यों के सामने घोषित करेगा।

(12) पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित प्ररूप में मत पत्र को तैयार करवाएगा .–

मतपत्र

पंचायत समिति.....

निर्वाचन के अभ्यर्थियों के नाम.....

(1)

(2)

(3)

(4)

इत्यादि

तारीख.....

हस्ताक्षर,

बैठक के पीठासीन अधिकारी।

(कार्यालय मोहर सहित)

(13) मत पत्र बैठक पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और एक पत्र प्रत्येक सदस्य को हरेक निर्वाचन के लिए दिया जाएगा जो उस अभ्यर्थी के नाम के सामने [2]{प्रयोजन के लिए उपलब्ध करवाई गई मोहर को लगाकर मतपत्र को चिह्नित करेगा} जिसे मत देना चाहता है यदि सदस्य निरक्षरता, अन्धापन या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण मत अंकित करने के लिए अयोग्य हो जाता है तो बैठक का पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्य की इच्छा के अनुसार मतपत्र पर मत अंकित करेगा। मतपत्र सदस्य द्वारा न तो हस्ताक्षरित किया जाएगा न ही किसी अन्य ढंग से चिन्हित किया जायेगा जिससे उसकी पहचान का पता लग सके। यदि चिन्हित पत्र इस तरह से हस्ताक्षरित या विकृत हो जाता तो मत शुन्य हो जाएगा।

---

[1]. अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)18/2000–।। तारीख 30–12–2005 हिमाचल प्रदेश राजपत्र तारीख 30–12–2005 के पृष्ठ 5627–5646 में प्रकाशित द्वारा उप नियम (9) के खण्ड (2) का लोप किया गया ।

[2] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा कोष्टों तथा शब्दों "क्रास (ग) का चिन्ह लगाएगा" के स्थान पर रखे गए ।

(14) मतपत्र प्रयोजन के लिए उपबन्धित पेटी में डाला जाएगा।

(15) (1) पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में मतपत्रों की पेटी को खोलेगा, मतपत्रों को गिनेगा और उनकी संख्या कथन में अभिलिखित करेगा।

(2) मतपत्र अविधिमान्य होगा .–

(क) यदि इस पर सदस्य के हस्ताक्षर हों या कोई शब्द हो या कोई 10 पृश्य रूपण हो जिसमें उसकी पहचान हो सके ; या

(ख) यदि उस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के सामने चिन्ह लगे हों ; या

(ग) यदि उस पर चिन्ह ऐसे लगाया है जिससे यह संदेह हो जाये कि मत एक या दो या अधिक अभ्यार्थियों को दिया गया है; या

(घ) यदि उस पर कोई चिन्ह नहीं लगाया गया हो ; या

(ङ) यदि उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हुए हों।

(16) मतदान के अन्त में पीठासीन अधिकारी मतों की सर्वाधिक संख्या प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को समयक् रूप से निर्वाचन घोषित करेगा।

(17) मतों की समानता की दशा में, निर्वाचन का निश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा लाट द्वारा किया जाएगा।

(18) पीठासीन अधिकारी बैठक में व्यवस्था बनाए रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन निष्पक्ष संचालित किया गया है।

(19) बैठक की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पीठासीन अधिकारी.–

(क) बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख तैयार करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा। बैठक में कोई सदस्य यदि चाहता है तो ऐसे अभिलेख पर उसे हस्ताक्षर चिपकाने की अनुमति होगी; और

(ख) अधिनियम की धारा 126 के उपबन्धों के अनुसार विहित प्राधिकारी की हैसियत से स्वयं हस्ताक्षरित करके प्रारूप–42 में सूचना उसमें निर्वाचित व्यक्तियों को दर्शाते हुए, पंचायत समिति के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करेगा और ऐसे नोटिस की एक प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजेगा।

(20) (क) पीठासीन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन के सम्बन्ध में गिने गए और अस्वीकार किए गए मतपत्रों को पृथक–पृथक पेटियों में डालेगा, प्रत्येक पेटी को मोहर बन्द करेगा और उस पर उसकी विषय वस्तु, निर्वाचन जिससे यह सम्बन्ध है, और उसकी तारीख का वर्णन करेगा। ऐसी मोहर बन्द पेटियों को सक्षम न्यायालय के आदेशाधीन के सिवाए खोला नहीं जाएगा, इसकी विषय वस्तु का निरीक्षण या प्रस्तुतिकरण नहीं किया जाएगा।

(ख) मतपत्र, जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में एक वर्ष तक रहेगा, और उसके पश्चात् तब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न हो, या लिपिक कार्य लिम्बित हो

[1]{**85.क. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाना**.– अधिनियम की धारा 126 के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों के नामों के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात, सम्बद्ध उप–मण्डल अधिकारी(नागरिक) द्वारा, यथास्थिति, नव–निर्वाचित, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों को राज्य निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा ।}

अध्याय 10

जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन

86. निर्वाचन के लिए बैठक.– (1) जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य के परिणाम की घोषणा के पश्चात् सम्बन्धित उपायुक्त, अधिनियम की धारा 127 के अधीन राज्य निष्ठा के प्रतिज्ञान या शपथ के प्रयोजन के लिए, और यथाशक्य शीघ्र किन्तु अधिनियम की धारा 90 के अनुसार परिणामों की घोषणा से एक सप्ताह से अधिक नहीं, अपनी अध्यक्षता में (इसमें इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्देशित) [2]{XXXXXXXXXX} बैठक की तारीख नियत करेगा।

[3]{(1–क) सम्बन्धित उपायुक्त या यथाशक्य सम्भव परन्तु उप–नियम (1) के अधीन शपथ या राज्य निष्ठा का प्रतिज्ञान दिलाए जाने या किए जाने के सात दिनों के अपश्चात्, अपनी अध्यक्षता में, सभी निर्वाचित सदस्यों की, उनमें से किसी एक को जिला परिषद् का अध्यक्ष और दूसरे किसी उपाध्यक्ष चुनने के लिए बैठक बुलाएगाः

परन्तु यह कि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस उप–नियम के अधीन जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से एक सप्ताह के पश्चात् परन्तु एक महीने के अपश्चात् अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन बैठक करने की अनुमति प्रदान कर सकेगी .–

i. यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण सात दिनों के भीतर बैठक बुलाई जानी सम्भव नहीं है;

ii. यदि विधि और व्यवस्था की गम्भीर समस्या के कारण सात दिनों के भीतर बैठक बुलाना सम्भव या वांछनीय नहीं है; और

---

[1]. अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)18/2008, तारीख 20–10–2008, हिमाचल प्रदेश राजपत्र, तारीख 21–10–2008 के पृष्ठ 4317–4318 में प्रकाशित द्वारा नियम 85–क अतःस्थापित किया गया ।

[2] अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)12/2000, तारीख 26–12–2000, हिमाचल प्रदेश राजपत्र, तारीख 27–12–2000 के पृष्ठ 4775–4777 में प्रकाशित द्वारा शब्दों "जिला परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए" का लोप किया गया ।

[3]. अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)12/2000, तारीख 26–12–2000, हिमाचल प्रदेश राजपत्र, तारीख 27–12–2000 के पृष्ठ 4775–4777 में प्रकाशित द्वारा उप नियम (1–क) जोड़ा गया ।

iii. यदि विद्यमान पंचायतों की कालावधि के अवसान के 15 दिनों से अधिक अवधि से पूर्व निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिए गए हैं ।}

[1]{(1–ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति होने की घोषणा के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्रता से किन्तु सात दिन के पश्चात् नहीं, सम्बद्ध उपायुक्त या मुख्यकार्यकारी अधिकारी और जिला परिषद् के सचिव के सिवाय, उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की अध्यक्षताधीन, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों को निर्वाचित करने के लिए, सभी निर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलाएगा :

परन्तु अधिक कठोर प्राकृतिक विपत्ति अथवा हिमाचल प्रदेश में सुसंगत क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति अथवा दूसरे देश द्वारा भारत के विरूद्ध युद्ध या आक्रमण द्वारा प्रभावित होने पर या मानव नियन्त्रण से परे किसी अन्य कारण से यदि सात दिन में ऐसा निर्वाचन धारित करना सम्भव न हो तो, सरकार, ऐसी प्रश्नगत रिक्ति होने के पश्चात्, सात दिन के बाद किन्तु तीस दिन के बाद नहीं, ऐसा निर्वाचन धारित करने को अनुज्ञात कर सकेगी।}

(2) उपायुक्त सभी निर्वाचित सदस्यों को प्ररूप–40 में सूचना जारी करेगा।

(3) ऐसी सूचना की एक प्रति जिला परिषद् कार्यालय और उपायुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शित की जाएगी।

[2]{(4) उप–नियम (1) के अधीन शपथ या राज्य निष्ठा के प्रतिज्ञान के प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक के लिए गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी। यथास्थित, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु बैठक के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई से होगी। यदि बैठक के लिए नियत समय के पश्चात् दो घण्टे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित न हो तो बैठक स्थगित हो जाएगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगन होने पर, प्रथम बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर द्वितीय बैठक बुलाई जा सकेगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगन होने पर, प्रथम बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर द्वितीय बैठक बुलाई जाएगी और यदि गणपूर्ति के अभाव में द्वितिय बैठक भी स्थगित हो जाती है, तो पश्चातवर्ती बैठकें अन्तिम स्थगित बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर बुलाई जाएगी तथा अधिनियम की धारा 146 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के अधिन ऐसे सदस्यों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी जो पश्चातवर्ती बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके लिए ऐसी बैठकों के नोटिस में विनिर्दिष्ट उल्लेख किया जाएगा। द्वितीय और पश्चातवर्ती बैठकों के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों के साधारण बहुमत से होगी।}

---

[1] अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)18/2000, तारीख 30–12–2005, हिमाचल प्रदेश राजपत्र, तारीख 30–12–2005 के पृष्ठ 5627–5646 में प्रकाशित द्वारा उप नियम (1–ख) जोड़ा गया ।

[2]. अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)18/2005, तारीख 30–12–2005, हिमाचल प्रदेश राजपत्र, तारीख 30–12–2005 के पृष्ठ 5627–5646 में प्रकाशित द्वारा उप नियम (4) प्रतिस्थापित किया गया तथा अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(3)17/96, तारीख 24–2–2009, हिमाचल प्रदेश राजपत्र, तारीख 26–2–2009 के पृष्ठ 7879–7880 में प्रकाशित द्वारा पुनःप्रतिस्थापित किया गया ।

(5) सूचना ऐसी बैठक से 5 दिन पूर्व उनके स्थाई पतों पर प्रेषित की जाएगी और इसमें बैठक की तारीख, समय और प्रयोजन अन्तर्विष्ट होगा।

(6) यथास्थिति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी प्ररूप–41 में नामांकन पत्र भरेगा जो दो निर्वाचित सदस्यों द्वारा, एक द्वारा प्रस्थापक के रूप में और दूसरे द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षरित किया जाएगा। किसी भी सदस्य को एक से अधिक अभ्यर्थियों को प्रस्ताव और समर्थन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। [1]{गणपूर्ति के पूर्ण होने} के पश्चात् घण्टे के भीतर नामांकन पत्र पीठासीन अधिकारी को दिए जाएंगे। इन नियमों के उलंघन में हस्ताक्षर किए गए या दिए गए, नामांकन पत्र अविधिमान्य होगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसा घोषित किया जाएगा।

(7) पीठासीन अधिकारी नामांकन पत्र की संवीक्षा नामांकन पत्रों को देने के लिए आवंटित एक घण्टे के अवसान के पश्चात् सदस्यों की उपस्थिति में करेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा, किसी नामांकन के प्रति आक्षेप अभिलिखित की जाएगी जो ठीक विचार करने के पश्चात् प्रत्येक नामांकन को अस्वीकार या स्वीकार करेगा। किसी आक्षेप की अस्वीकृति की स्थिति में अस्वीकृति के लिए कारणों को संक्षिप्त में अभिलिखित करेगा।

(8) बैठक का पीठासीन अधिकारी बैठक में निम्नलिखित पढ़ेगा .–

(क) उन अभ्यर्थियों के नाम जिनके नामांकन पत्रों को अविधिमान्य घोषित किया गया हो और उसके कारण ; और

(ख) सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों के नाम।

(9) (1) यदि निर्वाचन के लिए केवल एक ही अभ्यर्थी हो तो वह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा

[2]{××××××××××××××××××××××××}।

(10) यदि अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक हो तो निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा।

(11) पीठासीन अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके वर्ण क्रमानुसार हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखे नामों के प्रति निर्देश से क्रम संख्या देगा और तब प्रत्येक अभ्यर्थी को दी गई क्रम संख्या सदस्यों को घोषित करेगा।

(12) पीठासीन अधिकारी मतपत्र को निम्नलिखित प्ररूप में तैयार कराएगा .–

मतपत्र

..... जिला परिषद् .....

---

[1]. अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों "अधनियम की धारा 127 के अधीन शपथ देने या राज्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करने" के स्थान पर रखे गए ।

[2]. अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)18/2000–।। तारीख 30–12–2005 हिमाचल प्रदेश राजपत्र तारीख 30–12–2005 के पृष्ठ 5627–5646 में प्रकाशित द्वारा उप नियम (9) खण्ड(2) का लोप किया गया ।

निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी का नाम

1.

2.

3.

आदि

बैठक के पीठासीन अधिकारी, के
मोहर सहित हस्ताक्षर।

(13) पीठासीन अधिकारी द्वारा मत पत्रों को हस्ताक्षरित किया जाएगा और एक–एक पत्र प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को प्रत्येक निर्वाचन के लिए दिया जाएगा जो अभ्यर्थी, जिसे वह मत देना चाहता हो के सामने [1]{ प्रयोजन के लिए उपलब्ध करवाई गई मोहर को लगाकर मतपत्र को चिह्नित करेगा}। यदि सदस्य निरक्षरता, अन्धेपन या अन्य शारीरिक आशक्तता के कारण अपना मत देने में अस्मर्थ हो तो बैठक का पीठासीन अधिकारी, ऐसे सदस्य की इच्छा के अनुसार मत पत्र पर मत रिकार्ड करेगा। सदस्य द्वारा मत पत्र हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा न ही किसी अन्य प्रकार से चिन्हित किया जाएगा जिससे उसकी पहचान का पता चले। यदि पत्र, इस प्रकार हस्ताक्षरित या चिन्हित या विकृत किया जाता है तो मत शुन्य होगा।

(14) मत पत्र, प्रयोजन के लिए उपबन्धित पेटी में डाला जाएगा।

(15) (1) मतदान के समापन के तुरन्त पश्चात् पीठासीन अधिकारी उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में मत पत्रों वाली पेटी को खोलेगा, उनकी गणना करेगा और कथन में उनकी संख्या का अभिलेख करेगा।

(2) मतपत्र अविधिमान्य होगा .–

(क) यदि उन पर सदस्य के हस्ताक्षर या शब्द या दिखाई देने वाला कोई संकेत हो जिससे उसकी पहचान की जा सकती हो ; या

(ख) यदि उस पर एक या अधिक सदस्यों के सामने चिन्ह लगाया गया हो ; या

(ग) यदि उस पर चिन्ह इस प्रकार अंकित किया गया हो जिससे यह संदेह हो कि एक या दो या अधिक अभ्यर्थियों को आशयित मत दिया गया हो ; या

(घ) उस पर कोई चिन्ह न लगाया गया हो ; या

(ङ) उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न हुए हों।

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा कोष्टों तथा शब्दों "क्रास (ग) का चिन्ह लगाएगा" के स्थान पर रखे गए ।

(16) मतदान के अन्त में, पीठासीन अधिकारी सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(17) मतों की समानता की दशा में, पीठासीन अधिकारी द्वारा, लाट द्वारा निर्वाचन का विनिश्चय किया जाएगा।

(18) बैठक पीठासीन अधिकारी, बैठक में व्यवस्था बनाए रखेगा और ध्यान रखेगा कि निर्वाचन निष्पक्ष रूप से संचालित हुआ है।

(19) बैठक के समापन के तुरन्त पश्चात् पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित करेगा.–

(क) बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख तैयार करेगा और इसे हस्ताक्षरित करेगा। बैठक में कोई सदस्य ऐसे अभिलेख पर अपने हस्ताक्षर चिपकाने के लिए अनुज्ञात होगा यदि वह ऐसा चाहता हो; और

(ख) निर्वाचित सदस्यों के नाम कथित करता हुआ अधिनियम की धारा 126 के उपबन्धों के अनुसार विहित प्राधिकारी की हैसियत से प्ररूप–42 में सूचना पट पर प्रकाशित करेगा।

(20) (क) पीठासीन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन से सम्बद्ध गिने गए और अस्वीकार किए गए मत पत्रों को पृथक–पृथक पैकटों में रखेगा। ऐसे पैक्टों को मोहर बन्द करेगा और उन पर उनकी विषय वस्तु का निर्वाचन जिससे वे सम्बन्धित हैं, और उनकी तारीख के वर्णन की टिप्पणी करेगा। इस प्रकार मोहर बन्द किए गए पैकटों को खोला नहीं जाएगा और सक्षम न्यायालय में आदेशाधीन के सिवाए उनकी विषय वस्तु का निरीक्षण या उनका प्रस्तुतीकरण नहीं किया जाएगा।

(ख) पैकेट जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत की सुरक्षित अभिरक्षा में एक वर्ष तक रहेगी और उसके पश्चात् नष्ट की जाएगी जबकि सक्षम न्यायालय या लम्बित विधिक कार्यवाहियों द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

[1]{**86.क. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाना**.– अधिनियम की धारा 126 के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों के नामों के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात, सम्बद्ध उपयुक्त द्वारा, यथास्थिति, नव–निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों को राज्य निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा ।}

अध्याय–11

अध्यक्षों के लिए आरक्षण

87. ग्राम पंचायतों के प्रधानों के पदों का आरक्षण .– (1) ग्राम पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व राज्य सरकार या इस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस अधिनियम की धारा 125 के उपबन्धों के अनुसार खण्ड

---

[1] अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)18/2008 तारीख 20–10–2008 हिमाचल प्रदेश राजपत्र तारीख 21–10–2008 के पृष्ठ 4317–4318 में प्रकाशित द्वारा नियम 86–क अतःस्थापित किया गया ।

में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत के प्रधानों के आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या अवधारित करेगा।

(2) प्रधानों के पदों के आरक्षण के प्रयोजन के लिए सामान्य प्रवर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और महिलाओं की जनसंख्या की गणना ग्राम सभा के क्रमानुसार की जाएगी और ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता तैयार की जाएगी।

(3) प्रत्येक खण्ड में ग्राम पंचायत के प्रधानों के पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए, खण्ड में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता वाली ग्राम सभा, अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित की जाएगी और अनुसूचित जन जाति के लोगों की अधिकतम प्रतिशतता वाली ग्राम सभा, अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित की जाएगी।

(4) यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित किये जाने अनुसूचित जन जाति वाले पदों की संख्या एक से अधिक है तो अगली अधिकतम जनसंख्या की प्रतिशतता वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की ग्राम सभा यथास्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित रखी जाएगी और आगे ऐसा ही क्रम जारी रहेगा।

परन्तु यदि खण्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति की कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से कम हो, तो कोई भी पद आरक्षित नहीं रखा जाएगा।

(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों में से [1]{आधा} पद, यथास्थिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होंगे और खण्ड में जिस ग्राम सभा में यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के सम्बन्ध में अधिकतम होगी ऐसी महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(6) यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए, यथास्थिति, आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या एक से अधिक हो तो, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं की अधिकतम जनसंख्या की प्रतिशतता रखने वाली अगली ग्राम सभा ऐसी महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और आगे ऐसा ही क्रम जारी रहेगा।

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों "एक तिहाई " के स्थान पर रखा गया ।

(7) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं को सम्मिलित करते हुए) के पदों को छोड़ कर समस्त पदों से [1]{आधा} पद महिलाओं और जिस ग्राम सभा में महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता अधिकतम होगी सामान्य प्रवर्ग महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और आगे भी ऐसा ही क्रम जारी रहेगा।

(8) जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित पद, प्रथम निर्वाचन की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष बाद चक्रानुक्रम से होंगे। आगामी निर्वाचन के समय अगली जनसंख्या से अधिकतम प्रतिशतता वाली ग्राम सभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित होंगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए [2]{ ××××××××××××××××××} और ऐसा ही क्रम पश्चातवर्ती निर्वाचन के लिए होगा :

परन्तु किसी विशिष्ट प्रर्वग के लिए किसी पद के आरक्षण की तब तक पुनरावृति नहीं की जायेगी जब तक कि खण्ड में अन्य समस्त पद चक्रानुक्रम के अन्तर्गत नहीं आ जातेः

[3]{परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षण को ऐसी ग्राम सभा में, जहां पर उस प्रवर्ग की जनसंख्या उस ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से कम है, चक्रानुक्रमित नहीं किया जाएगा।}

[4]{(8–क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 के प्रारम्भ होने के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारम्भिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा मानो उक्त निर्वाचन उप–नियम (8) के अधीन पहली बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, पदों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न ग्राम सभाओं में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।}

(9) इस नियम के अधीन किया गया आरक्षण राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अन्तिम रूप दिया जायेगा और ऐसे आरक्षण के आदेश की प्रति उसके तथा ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के कार्यालय में चिपकाकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और आदेश को राजपत्र में

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों "एक तिहाई " के स्थान पर रखा गया ।

[2] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा कोष्टों तथा शब्दों "(और पहले आरक्षित पद सामान्य प्रवर्ग के सदस्यों के लिए अनारक्षित होंगे)" का लोप किया गया ।

[3] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा परन्तुक जोड़ा गया ।

[4] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा उन नियम (8क) अंतःस्थापित किया गया ।

प्रकाशन हेतु प्रति राज्य सरकार को भेजी जायेगी और यह अधिसूचना खण्ड में प्रधान पदों के आरक्षण का निश्चयक सबूत होगी।

88. पंचायत समिति में अध्यक्ष के पदों का आरक्षण.– (1) पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व राज्य सरकार या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, अधिनियम की धारा 125 के उपबन्धों के अनुसार, जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित की जाने वाली पंचायत समिति के अध्यक्ष के पदों की संख्या को अवधारित करेगा।

(2) पंचायत समितियों के अध्यक्ष से पदों के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, सामान्य प्रवर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की जनसंख्या पंचायत समिति–वार निकाली जायेगी और पंचायत समिति की कुल जनसंख्या के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता तैयार की जाएगी।

(3) प्रत्येक जिले में पंचायत समिति के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जिला में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रखे जायेंगे। अनुसूचित जाति की अधिकतम प्रतिशतता की जनसंख्या वाली पंचायत समिति अनुसूचित जाति के सदस्य के लिए आरक्षित होगी और अनुसूचित जनजाति की अधिकतम प्रतिशतता की जनसंख्या वाली पंचायत समिति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए आरक्षित रखी जायेगी।

(4) यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या एक से अधिक हो तो अगली अधिकतम जनसंख्या की प्रतिशतता वाली पंचायत समिति, यथास्थिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित होगी जिसमें, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता अधिकतम है और आगे भी ऐसा ही क्रम जारी रहेगा।

(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों में से, यथास्थिति, [1]{ आधा} पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होंगे और, यथास्थिति, जिले में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता वाली पंचायत समिति ऐसी महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जायेगीं।

(6) यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या, यथास्थिति, एक से अधिक है तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता वाली अगली पंचायत समिति, ऐसी

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों "एक तिहाई " के स्थान पर रखा गया ।

महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जायेगी, और आगे भी ऐसा ही क्रम जारी रहेगा।

(7) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए) के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर, समस्त पदों में से [1]{आधा} पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और महिलाओं की अधिकतम जनसंख्या की प्रतिशतता वाली पंचायत समिति सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और आगे भी ऐसा ही क्रम जारी रहेगा।

(8) जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित पद, प्रथम निर्वाचन की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष बाद चक्रानुक्रम से होंगेः आगामी निर्वाचन के समय अगली अधिकतम जनसंख्या की प्रतिशतता वाली पंचायत समिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और सामान्य प्रवर्ग से सम्बन्धित महिलाओं को सम्मिलित करते हुए [2]{ ××××××××××××××××××} और ऐसा ही क्रम पश्चातवर्ती निर्वाचनों के लिए होगा परन्तु किसी, विशिष्ट प्रवर्ग के लिए किसी पद का आरक्षण तब तक दोहराया नहीं जाएगा जब तक कि जिले में अन्य समस्त पद चक्रानुक्रम के अन्तर्गत नहीं आ जातेः

परन्तु किसी विशिष्ट प्रर्वग के लिए किसी पद के आरक्षण की तब तक पुनरावृति नहीं की जायेगी जब तक कि खण्ड में अन्य समस्त पद चक्रानुक्रम के अन्तर्गत नहीं आ जातेः

[3]{परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षण को ऐसी पंचायत समिति में, जहां पर उस प्रवर्ग की जनसंख्या उस पंचायत समिति की कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से कम है, चक्रानुक्रमित नहीं किया जाएगा।}

[4]{(8–क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 के प्रारम्भ होने के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारम्भिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा मानो उक्त निर्वाचन उप–नियम (8) के अधीन पहली बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, पदों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न पंचायत समितिओं में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।}

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों "एक तिहाई " के स्थान पर रखा गया ।

[2] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा कोष्टों तथा शब्दों "(और पहले आरक्षित पद सामान्य प्रवर्ग के सदस्यों के लिए अनारक्षित होंगे)" का लोप किया गया ।

[3] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा परन्तुक जोड़ा गया ।

[4] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा उप नियम (8क) अंतःस्थापित किया गया ।

(9) इस नियम के अधीन किये गये आरक्षण को राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अन्तिम रूप दिया जायेगा और उसके ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद् के कार्यालय में सूचना पट पर ऐसे आरक्षण की आदेश की प्रति चिपकाकर व्यापक प्रचार किया जायेगा और उसकी प्रति राजपत्र में आदेश के प्रकाशन हेतु सरकार को भेजी जायेगी और यह अधिसूचना, जिलों में अध्यक्ष के पद के आरक्षण का निश्चयक सबूत होगा।

89. जिला परिषद् में अध्यक्ष के पदों का आरक्षण.– (1) जिला परिषद् के प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व राज्य सरकार या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अधिनियम की धारा 125 के उपबन्धों के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले जिला परिषद् के अध्यक्ष के पदों की संख्या अवधारित करेगा।

(2) जिला परिषद् के अध्यक्ष के पदों के आरक्षण के प्रयोजन के लिए सामन्य प्रवर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की जनसंख्या जिला परिषद्–वार निकाली जाएगी और जिला परिषद् की कुल जनसंख्या के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता तैयार की जाएगी।

(3) राज्य में जिला परिषद् के अध्यक्ष के पद, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रखे जायेंगे। अनुसूचित जाति की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता वाली जिला परिषद् अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित होगी और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता वाली जिला परिषद्, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित रखी जायेगी।

(4) यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या एक से अधिक हो, तो जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अगली जिला परिषद् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए यथास्थिति आरक्षित होगी और आगे भी ऐसा ही क्रम जारी रहेगा।

(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों में से, यथास्थिति, [1]{आधा} पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होगें और, यथास्थिति, राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता वाली जिला परिषद् ऐसी महिला के लिए आरक्षित रखी जायेगी।

(6) यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या, यथास्थिति, एक से अधिक है तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों "एक तिहाई " के स्थान पर रखा गया ।

जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता वाली जिला परिषद्, यथास्थिति, ऐसी महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी और आगे भी ऐसा ही क्रम जारी रहेगा।

(7) समस्त स्थानों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं को सम्मिलित करके) को अपवर्जित करते हुए [1]{आधा} स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और महिलाओं की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता वाली जिला परिषद् सामान्य महिला के लिए आरक्षित होगी और आगे भी ऐसा ही क्रम जारी रहेगा।

(8) जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामान्य प्रवर्ग से सम्बन्धित महिलाओं के आरक्षित पद, प्रथम निर्वाचन की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष के बाद चक्रानुक्रम से आरक्षित होंगे। अगले निर्वाचन के समय अगली अधिकतम प्रतिशत की जनसंख्या वाली जिला परिषद् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए [2]{ ××××××××××} और पश्चातवर्ती निर्वाचन के लिए यही क्रम चलता रहेगा :

परन्तु किसी विशिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षित किसी पद की तब तक पुनरावृति नहीं होगी, जब तक की राज्य के अन्य सभी स्थान चक्रानुक्रम द्वारा इस परिधी में नहीं आ जातेः

[3]{परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षण को ऐसी जिला परिषद् में, जहां पर उस प्रवर्ग की जनसंख्या उस जिला परिषद् की कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से कम है, चक्रानुक्रमित नहीं किया जाएगा।}

[4]{(8–क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 के प्रारम्भ होने के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारम्भिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा मानो उक्त निर्वाचन उप–नियम (8) के अधीन पहली बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, पदों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न जिला परिषदओं में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।}

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों "एक तिहाई " के स्थान पर रखा गया ।

[2] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा कोष्टों तथा शब्दों "(और पहले आरक्षित पद सामान्य प्रवर्ग के सदस्यों के लिए अनारक्षित होंगे)" का लोप किया गया ।

[3] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा परन्तुक जोड़ा गया ।

[4] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा उप नियम (8क) अंतःस्थापित किया गया ।

(9) इस नियम के अधीन किए गए आरक्षण को राज्य सरकार या उसकी ओर से प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा अन्तिम रूप दिया जायेगा और उसके द्वारा ऐसे आरक्षण के आदेश की एक प्रति अपने कार्यालय और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के कार्यालय के सूचना पटों पर चिपका करके व्यापक रूप से प्रचार किया जायेगा और वह ऐसे आदेश की प्रति सरकार की राजपत्र में आदेश के प्रकाशन के लिए भेजेगा और यह अधिसूचना राज्य में अध्यक्ष के पदों के आरक्षण के लिए निश्चयक सबूत होगी।

90. राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट.– सरकार इन नियमों के अधीन किए गए अन्तिम आरक्षण आदेश जारी किए जाने के पश्चात् शीघ्र इसकी एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी।

91. अन्य विभागों से सहायता .– राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी विभाग के किसी सरकारी अधिकारी/पदधारी की, निर्वाचन के सुचारू और शान्तिपूर्वक संचालन के लिए सहायता प्राप्त कर सकेगा।

[1]{**92 निर्वाचन खर्चों के लेखे और उसकी अधिकतम सीमा**.–(1)जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी, अधिनियम की धारा 121–क की उप–धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार रजिस्टर में प्ररूप–44 में निर्वाचन के सम्बन्ध में दिन प्रतिदिन के आधार पर पृथक और सही लेखा बनाएगा :

परन्तु जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन पर, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा उपगत किए जाने वाले खर्चों की अधिकतम सीमा तीस हजार रूपए होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन वर्णित रजिस्टर पर उपगत और अभिलिखित किए गए खर्चों के समर्थन में सभी दस्तावेजों जैसे कि वाऊचरों, प्राप्तियों और अभिस्वीकृतियों इत्यादि को सही रूप में बनाए रखेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित प्राधिकृत किए गए किसी अन्य अधिकारी को जब कभी ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, रजिस्टर के साथ सम्बद्ध दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाएगा।

(3) निर्वाचन खर्चों का लेखा प्ररूप–45 में निर्वाचन के खर्चों के ब्यौरे के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), को प्ररूप–44 में प्रस्तुत करेगा। निर्वाचन खर्चे का लेखा प्ररूप–46 में घोषणा द्वारा समर्थित होगा।

(4) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) निर्वाचन के खर्चे के लेखे की प्ररूप–47 में अभिस्वीकृत करेगा।}

अध्याय–12

निर्वाचन सम्बन्धी विवाद और अपीलें

[1] अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)18/2005 तारीख 30–12–2005 हिमाचल प्रदेश राजपत्र तारीख 30–12–2005 के पृष्ठ 5627–5646 में प्रकाशित द्वारा नियम 92 प्रतिस्थापित किया गया ।

93. निर्वाचन सम्बन्धी विवाद.– पंचायतों के निर्वाचन से सम्बन्धी विवाद अधिनियम के अध्याय–11 के उपबन्धों के अनुसार निपटाये जायेंगे।

94. अर्जियों का प्रस्तुत किया जाना .– (1) अधिनियम की धारा 168 के अधीन निर्वाचन याचिका प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् स्थित है।

(2) निर्वाचन याचिका के साथ प्रत्यार्थी की संख्या के बराबर याचिका और इसके अनुलग्नकों की प्रतियां संलग्न करेगा।

(3) अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (1) के परन्तुक मे निर्दिष्ट शपथ–पत्र प्ररूप 43 में होगा और जो मैजिस्ट्रेट को दिखाया जायेगा।

95. याचिका के साथ प्रतिभूति निक्षेप का दिया जाना .– याची निर्वाचन याचिका को प्रस्तुत करते समय प्रतिभूति राशि के रूप में 300/–रू0 सरकारी खजाने या उप–खजाने में उचित शीर्ष लेखे के अधीन उस प्राधिकृत अधिकारी के नाम जमा करवायेगा जिसे याचिका प्रस्तुत की गई या की जानी है।

96. याचिका वापिस लेना.– (1) निर्वाचन याचिका याची द्वारा उस प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा से वापिस ली जा सकेगी जिसे, यथास्थिति, याचिका प्रस्तुत की गई है या अन्तरित की गई हो।

(2) जब याचिका वापिस लेने का आवेदन किया गया हो तो इसकी सूचना याचिका के दूसरे सभी पक्षकारों को दी जायेगी जिसमें आवेदन की सुनवाई की तारीख नियत होगी।

(3) याचिका वापिस लेने का कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा यदि प्राधिकृत अधिकारी जिसे याचिका, यथास्थिति, प्रस्तुत या अन्तरित की गई है की राय में ऐसा आवेदन किसी सौदेबाजी या प्रतिफल के अधीन प्रेरित होकर किया गया हो, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(4) यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी, जिसे यथास्थिति याचिका प्रस्तुत है या अन्तरित की गई है, प्रतिभूति निक्षेप के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा177 में अधिकथित उपबन्धों के अनुसार आदेश पारित करेगाः

परन्तु जहां याचिका वापिस लेने का आवेदन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो आदेश की एक प्रति निदेशक को भेजी जायेगी।

97. जांच का स्थान और प्रक्रिया .–(1) जांच का स्थान सम्बन्धित अधिकारी का मुख्यालय होगा जिसे याचिका प्रस्तुत या अन्तरित की गई है :

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी जिसे, यथास्थिति, याचिका प्रस्तुत या अन्तरित की गई है का समाधान होने पर कि विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं जिससे यह वांछनीय हो जाता है कि जांच किसी अन्य स्थान पर होनी चाहिए तो वह इस प्रयोजन के लिए कोई अन्य सुविधाजनक स्थान नियत कर सकेगा।

(2) सर्वसाधारण जनता को उस स्थान पर जाने के लिए स्वतन्त्रता होगी जहां निर्वाचन याचिका पर जांच की जायेगी।

(3) जांच के लिए समय तथा स्थान की सूचना पक्षकारों को सुनवाई की प्रथम तारीख से पूर्व ऐसी अवधिके भीतर दी जायेगी जो सात दिन से कम न हो।

98. याचिका के आदेशों की सूचना .– प्राधिकृत अधिकारी जिसे, यथास्थिति, निर्वाचन याचिका प्रस्तुत या अन्तरित की गई है निर्वाचन याचिका की सुनवाई की समाप्ति पर, आदेश की एक प्रति अपील प्राधिकारी और निदेशक को भेजेगा।

99. अपील प्रस्तुत करने में प्रक्रिया .– अधिनियम की धारा174 और 175 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति तीस दिन की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 181 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों को अपील कर सकेगा :

परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त तीस दिन की अवधी के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी अपील को समय पर पर्याप्त हेतुक से निवारित दायर करने से हुआ था।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपील करने के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करते समय आदेश की प्रति प्राप्त करने में व्यतीत अवधि अपवर्जित की जायेगी।

(3) अपीलार्थी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उप–नियम (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील ज्ञापन के रूप में होगी जिसके साथ खजाना चालान संलग्न होगा जिसके द्वारा 300 रूपये की फीस के रूप में सरकारी खजाने या उप खजानें में समुचित शीर्ष लेखे के अधीन इसे अपील प्राधिकारी के नाम जमा किए जायेंगे जिसे अपील प्रस्तुत की गई हो या की जानी हो। ज्ञापन में जिस आदेश के विरूद्व अपील की गई है, के प्रति आक्षेप दर्शित होंगे, और उस आदेश की प्रति भी ज्ञापन के साथ संलग्न की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर अपील अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी, जिसके आदेश के विरूद्व अपील की गई है, से अभिलेख मंगवाने और पत्रकारों को सुनवाई के अवसर प्रदान करने और ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जो आवश्यक हो, करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझता हो और अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा।

(5) अपील में पारित किए गए आदेश की प्रति निदेशक को भेजी जायेगी।

100. अपील का उपशमन.– यदि अपील पर विनिश्चय से पूर्व अपीलार्थी या प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तो अपील का उपशमन हो जायेगा,

अपील प्राधिकारी इस दशा का नोटिस मण्डलायुक्त और निदेशक पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश को भिजवाएगा।

101. निरसन और व्यावृतियां.– (1) हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत और पंचायत समिति (निर्वाचन) नियम,1991, हिमाचल प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का सहयोजन) नियम, 1973 आदि हिमाचल प्रदेश पंचायत समिति(सदस्यों का सहयोजन) नियम, 1973 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों (जिनके अन्तर्गत जारी किए गए आदेश और दिए गए निर्देश भी हैं) के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन सदैव की गई समझी जायेगी।

प्ररूप–1

(नियम 15 देखें)

निर्वाचक नामावली के प्रकाशन की सूचना

प्रेषित :

ग्राम सभा/पंचायत समिति/जिला परिषद्

.....जिला, हिमाचल प्रदेश,

के निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....के मतदाता।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती कि निर्वाचक नामावली, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अनुसार तैयार की गई है और उसकी प्रति मेरे कार्यालय और ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों..... ..... निरीक्षण के लिए कार्यालय समय में उपलब्ध है।

यदि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा हो, या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी कोई आक्षेप हो या किसी प्रविष्टि में किन्हीं, विशिष्टियों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो तो उसे जहां तक समुचित हो प्ररूप 2, 3 और 4 में तारीख.....को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा।

प्रत्येक ऐसा दावा या आक्षेप पुनरीक्षण प्राधिकारी (पूरा पता)..... .....को सम्बोधित किया जाना चाहिए और यह या तो

व्यक्तिगत रूप में या अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि उक्त तारीख के भीतर उसके पास पंहुच जायें।

जिला निर्वाचन अधिकारी,(पंचायत)।

स्थान..............................

तारीख.............................

———————

[1]{प्ररूप–2

{नियम 18(1) और 24 देखें}

नाम सम्मिलित करने के लिए दावा आवेदन

प्रेषित :

पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी,

ग्राम पंचायत————————————

विकास खण्ड————————————

जिला——————————हिमाचल प्रदेश।

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूं कि मेरा नाम...................................... ग्राम पंचायत..........................के लिए.......................निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किया जाए।

मेरा पूरा नाम ....

मेरे पिता/माता/पति का नाम ....

---

[1] प्रारूप–2 अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1) 18/2008.।। तारीख 30–12–2005, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में तारीख 30–12–2005 के पृष्ट 5627–5646 पर प्रकाशित द्वारा प्ररूप–2 प्रतिस्थापित किया गया ।

मेरे निवास स्थान का विवरण :–

मकान संख्या .....

गली/मुहल्ला/ग्राम .....

डाकघर .....

तहसील और जिला .....

मैं एतद्द्वारा अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास से घोषणा करता/करती हूं किः–

(1) मैं भारत का/की नागरिक हूं।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियम 14 के अधीन खण्ड (इ) द्वारा अधिसूचित तारीख को मेरी आयु.....वर्ष.....मास थी/होगी।

(3) मैं प्रायः उपर्युक्त पता पर निवास करता/करती हूं।

(4) मैंने किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपने नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन नहीं किया है।

(5) मेरा नाम हिमाचल प्रदेश में उक्त या किसी अन्य ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है।

या

मेरा नाम ग्राम पंचायत.....के वार्ड संख्या.....विकास खण्ड .....जिला .....की निर्वाचन नामावली के क्रमांक.....पर सम्मिलित किया गया है और मैं एतद्द्वारा निवेदन करता/करती हूं कि उसे निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए।

स्थान..... .....

तारीख.....

दावेदार के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा

(पूरा डाक पता)।

मैं निर्वाचन नामावली के उसी भाग में सम्मिलित हूं जिसमें दावेदार ने सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन किया है, अर्थात.....है। सम्बन्धित भाग संख्या.....मेरा उसमें क्रमांक.....है। मैं इस दावे का समर्थन करता/ करती हूं और इसे प्रतिहस्ताक्षरित करता/करती हूं।

मतदाता के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता.....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषण करता/करती हूं कि मुझे जानकारी है कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई सूचना किसी दशा में गलत साबित होती है तो मैं भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन अपराधिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी।

दावेदार के हस्ताक्षर।

———————————

जो अनावश्यक हो काट दें।}

————————

प्ररूप–3

(नियम 18 देखे)

नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप

प्रेषित :

पुनरीक्षण प्राधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र.....

महोदय,

मैं ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्..... में निर्वाचन क्षेत्र के .....की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या..... .....पर श्री .....के नाम को सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कारणों से आक्षेप करता हूं .–

....

....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है, मेरा नाम इस निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है।

पूरा नाम.....

पिता/पति/माता का नाम.....

क्रम संख्या.....

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्.....से सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा संख्या.....

आक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा,

(पूरा डाक पता).....

मैं उसी निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक हूं जिसमें आक्षेपित व्यक्ति का नाम है अथार्त .....ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् से सम्बन्धित ..... निर्वाचन क्षेत्र ....से सम्बन्धित और संख्या..... मेरी उसमें क्रम संख्या.....है मैं इस आक्षेप का समर्थन करता हूं तथा इसको हस्ताक्षरित करता हूं।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा,

(पूरा डाक पता)

प्ररूप–4

(नियम 18 और नियम 23 देखें)

किसी भी प्रविष्टि में विशिष्टियों सम्बन्धी आक्षेप

प्रेषित :

पंचायत निर्वाचन के लिए

पुनरीक्षण अधिकारी,

.....निर्वाचन क्षेत्र।

निवेदन है कि.....के निर्वाचन क्षेत्र.....की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या.....पर मेरे से सम्बन्धित प्रविष्टि अशुद्ध है। इसे निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जायें.–

.....

.....

स्थान.....

तारीख.....

निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान,

(पूरा पता डाक)

प्ररूप–5

{नियम 18(4) और 20(1) देखें}

नाम सम्मिलित करने के दावों का रजिस्टर

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्.....
निर्वाचन क्षेत्र.....

क्रम संख्या	नाम, पिता का नाम व पता	दावा प्रस्तुत करने की तारीख	पक्षकारों की उपस्थिति में टिप्पणी सहित विनिश्चय की तारीख	विनिश्चय ———————— स्वीकृत	अस्वीकृत
1	2	3	4	5	6

पुनरीक्षण, प्राधिकारी के हस्ताक्षर	पुनरीक्षण अधिकारी के विनिश्चय की कार्यान्वयन करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख
7	8

————————

प्ररूप–6

{नियम 18(4) और 20(1) देखें}

नाम सम्मिलित किए जाने सम्बंधी आक्षेपों का रजिस्टर

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्.....
.....निर्वाचन क्षेत्र.....

क्रम संख्या	वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में आक्षेप किया गया	निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या	पिता/पति का नाम और पता तथा आक्षेपकर्ता	आक्षेपकर्ता की निर्वाचन नामावली में क्रम	आक्षेप प्रस्तुत करने की तारीख

	है		का पता	संख्या	
1	2	3	4	5	6

पक्षकारों की उपस्थिति की बाबत टिप्पणी सहित विनिश्चय की तारीख	विनिश्चय		पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	पुनरीक्षण अधिकारी के विनिश्चय को कार्यान्वयन करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख
	स्वीकृत	अस्वीकृत		
7	8	9	10	11

प्ररूप–7

{नियम 18(4) और 20(1) देखें}

प्रविष्टि की विशिष्टियों सम्बन्धी आक्षेप का रजिस्टर

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्.....
निर्वाचन क्षेत्र.....

क्रम संख्या	आक्षेपकर्ता का नाम	आक्षेप प्रस्तुत करने की तारीख	निर्वाचक नामावली में यथा विद्यमान विशिष्टियां	आक्षेपकर्ता द्वारा यथा आवेदित शुद्ध विशिष्टियां	विनिश्चय	
					स्वीकृत	अस्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7

पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	पुनरीक्षण अधिकारी के विनिश्चय को कार्यन्वित करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर तथा तारीख
8	9

प्ररूप–8

{नियम 19 (1) देखें}

दावों की सूची

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्...
निर्वाचन क्षेत्र..

प्राप्ति की तिथि	क्रम संख्या	दावेदार का नाम	पिता/पति/ माता का नाम	पता	सुनवाई की तारीख समय और स्थान
1.	2.	3.	4.	5.	6.

पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर।

प्ररूप–9

{नियम 19(1) देखें}

नाम सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी आक्षेपों की सूची

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्..
....निर्वाचन क्षेत्र..

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्या	आक्षेपकर्ता का पूरा नाम	आक्षेपित नाम की विशिष्टियां		संक्षिप्त आक्षेप	सुनवाई की तारीख समय और स्थान
			प्रविष्टि की निर्वाचक नामावली में क्रम सं0	पूरा नाम		
1	2	3	4	5	6	7

पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

———————

प्ररूप–10

{नियम 19(1) देखें}

निर्वाचक नामावली में विशिष्टियों सम्बन्धी आक्षेप सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्या	आक्षेप करने वाले निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि की क्रम सं0 और भाग संख्या	आक्षेप का स्वरूप	सुनवाई की तारीख, समय और स्थान
1	2	3	4	5	6

———————————————————————————————————

पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर।

प्ररूप–11

{नियम 19(2) देखें}

दावे की सुनवाई की सूचना

प्रेषित :

(दावेदार का पूरा नाम और पता).....

.....

सन्दर्भ.–आक्षेप संख्या.....

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आपके दावे की सुनवाई.....(स्थान में).....बजे.....[1]{तारीख.....200.....} को की जाएगी। आपको स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ऐसे साक्ष्यों सहित जो आप प्रस्तुत करना चाहें, सुनवाई के समय उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

स्थान..... पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख..... .....निर्वाचन क्षेत्र।

प्ररूप–12

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा चिन्ह, शब्द और अंक "तारीख..... .....19....." के स्थान पर रखे गए ।

{नियम 19(2) देखें}

आक्षेप की सुनवाई के लिए सूचना

प्रेषित :

(आक्षेपकर्ता का पूरा नाम व पता).....

सन्दर्भ–आक्षेप संख्या.....।

.....का नाम सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में आपके आक्षेप पर सुनवाई.....(स्थान) में .....बजे ..... दिनांक.....199 [1]{तारीख.....200.....} को की जायेगी।

आपको निर्देश दिया जाता है कि.....आप स्वयं या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ऐसे साक्ष्यों सहित, जो आप प्रस्तुत करना चाहें, सुनवाई के समय उपस्थित हों ।

स्थान..... पुनरीक्षण प्राधिकारी

तारीख.....

प्ररूप–13

{नियम 19(2) देखें}

निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि में प्रविष्टियों सम्बन्ध आक्षेप की सूचना

प्रेषित :

आक्षेपकर्ता का पूरा नाम तथा पता.....

सन्दर्भ–आक्षेप संख्या.....।

आपसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के विषय में आपके आक्षेप की सुनवाई.....स्थान में.....बजे ..... [2]{तारीख.....200.....} को होगी। आपको निर्देश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ऐसे साक्ष्य सहित जो आप तुरन्त करना चाहें सुनवाई के समय उपस्थित हों।

स्थान..... पुनरीक्षण प्राधिकारी,

तारीख..... .....निर्वाचन क्षेत्र।

प्ररूप–14

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा चिन्ह, शब्द और अंक "तारीख..... .....19....." के स्थान पर रखे गए ।

[2] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा चिन्ह, शब्द और अंक "तारीख..... .....19....." के स्थान पर रखे गए ।

{ नियम 19(3) देखें}

आक्षेप की सुनवाई की सूचना

प्रेषित :

(उस व्यक्ति का नाम व पूरा पता जिसके सम्बन्ध में आक्षेप किया गया है)...

....

सन्दर्भ–आक्षेप संख्या..

आपके नाम को ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् ....की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या..........................पर सम्मिलित किए जाने/हटाए जाने सम्बन्धी.................................(आक्षेपकर्ता का पूरा नाम व पता) के आक्षेप की सुनवाई .... स्थान में ....बजे.........दिनांक................ .....199 को की जाएगी।

आपको निर्देश दिया जाता है कि आप स्वयं के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ऐसे साक्ष्यों सहित जो आप प्रस्तुत करना चाहें सुनवाई के समय उपस्थित हों।

आक्षेप के आधार संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है .–

(क)..

(ख)..

(ग)..

स्थान...

तारीख..

पुनरीक्षण प्राधिकारी,

..........निर्वाचन क्षेत्र।

———

[1]{प्ररूप–15

{नियम 21 (1) देखें}

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की सूचना

सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्.................. के निर्वाचन क्षेत्र संख्या.. ....(निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के प्रारूप में पुनरीक्षण प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेशित परिवर्धन/लोप (हटाया जाना) और शुद्धिकरण को उक्त प्रारूप नामावली में समाविष्ट कर दिया गया है या

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा प्ररूप–15 प्रतिस्थापित किया गया।

ऐसे संशोधनों की सूची हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अनुसार तैयार हो गई है और इस प्रकार शुद्ध(ठीक) की गई निर्वाचक नामावली की एक प्रति संशोधनों की सूची सहित अंतिम रूप में प्रकाशित कर दी गई है।

स्थान.................... जिस्ट्रीकरण अधिकारी।

तारीख.................. ।}

प्ररूप–16

(नियम 23 देखें)

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि हटाए जाने के लिए आवेदन

सेवा में

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),

जिला..(हि0 प्र0)।

महोदय,

मैं यह निवेदन करता हूं कि........................निर्वाचन क्षेत्र की नामावली की क्रम संख्या............................पर की गई प्रविष्टि जो श्री/श्रीमती.............. पुत्र/पत्नी/पुत्री.........................से सम्बन्धित है, को हटा दिया जाये, क्योंकि वह व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किये जाने का हकदार नहीं है.–

....

....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं इस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हूं तथा मेरा नाम क्रम संख्या... पर दर्ज है।

स्थान........................ आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

तारीख............................ पूरा पता.......................................

———————————————

* अनुचित शब्द काट दें।

टिप्पणी.– कोई व्यक्ति, जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है जिसको वह जानता है कि मिथ्या या उसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता है प्रवृत विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

प्ररूप–17

(नियम 33 देखें)

निर्वाचक कार्यक्रम का नोटिस

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि.....

(1) ग्राम सभा के प्रधान/उप–प्रधान/ग्राम सभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य, पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य, जिला परिषद् के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य; निर्वाचित करने के लिए, जैसा, नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है, निर्वाचन किया जाना है।

(2) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक द्वारा नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के रूप मे नियुक्त अधिकारी को नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थान, तारीख और समय पर परिदत्त किए जा सकेंगे.–

.....जिला की.....(तहसील) में.....(खण्ड)

जिला परिषद् का नाम	जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	ग्राम सभा का नाम	ग्राम सभा के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम
1	2	3	4	5	6

अधिकारी जिसके समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

जिला परिषद् के सदस्यों के लिए	पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए	ग्राम पंचायत के प्रधान और उप–प्रधान तथा सदस्यों के लिए	स्थान	तारीख और समय
7	8	9	10	11

(3) नामांकन पत्र के प्ररूप, यथास्थिति, क्रमशः ग्राम पंचायत कार्यालय या स्तम्भ 7, 8, 9 में विनिर्दिष्ट, अधिकारी से और उक्त सारणी के स्तम्भ 10 और 11 में विनिर्दिष्ट स्थान और तारीख पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे।

(4) यथास्थिति, स्तम्भ 7, 8, 9 में विनिर्दिष्ट, अधिकारी द्वारा उक्त सारणी के स्तम्भ 10 में विनिर्दिष्ट स्थान पर .....(समय) ..... (तारीख) को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी।

(5) अभ्यर्थिता वापिस लेने के नोटिस को, यथास्थिति, अभ्यर्थी या इस प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रस्थापक द्वारा स्तम्भ 7 या स्तम्भ 8 या स्तम्भ 9 में विनिर्दिष्ट स्थान पर..... .....(तारीख) को.....तक (समय) परिदत किए जा सकेंगे।

(6) अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिए नियत समय के अवसान के तुरन्त पश्चात्, यथास्थिति, उक्त स्तम्भ 7 या स्तम्भ 8, स्तम्भ 9 में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आबंटित किए जाएंगे और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची अपने कार्यालय के बाहर चिपकायेगा।

(7) निर्वाचन करवाए जाने की दशा में मतदान.....नीचे दी गई सारणी में दी गई तारीख और स्थान पर.....और.....(समय) के बीच होगा।

(8) मतदान के सम्पूर्ण होने पर मतगणना निम्न सारणी में दिए गए स्थान, तारीख और समय पर आरम्भ की जायेगी और गणना के पश्चात् परिणाम घोषित किया जाएगा।

सारणी

जिला परिषद् का नाम	जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	ग्राम सभा का नाम	ग्राम सभा के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम
1	2	3	4	5	6

मतदान की तारीख	मतगणना का स्थान	मतगणना की तारीख और समय	ग्राम पंचायत के प्रधान, उप–प्रधान और सदस्य के परिणाम की घोषणा का स्थान, तारीख और प्राधिकृत अधिकारी का नाम	पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों के परिणाम की घोषणा के लिए स्थान और तारीख और प्राधिकृत अधिकारी

7	8	9	10	11

स्थान.....
तारीख..... जि0 नि0 अ0(पंचायत)।

————————————————————

*जो लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी .– एक ही निर्वाचन या उप–निर्वाचन की स्थिति में उक्त सारणियों के स्तम्भ/स्तम्भों को जो लागू नहीं होते हैं, भरने की आवश्यकता नहीं है।

————————

[1]{**प्ररूप–18**

(नियम 35 देखें)

नामांकन पत्र

*ग्राम सभा.....के.....(निर्वाचन क्षेत्र) से सदस्य का निर्वाचन।

*ग्राम सभा .....से प्रधान का निर्वाचन।

*ग्राम सभा .....से उप–प्रधान का निर्वाचन।

*पंचायत समिति.....के .....निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन।

*जिला परिषद्.....के.....निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन।

मैं उक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी का नामांकन करता हूं .–

अभ्यर्थी का नाम.....

पिता या पति का नाम.....

डाक पता.....

उसका नाम ग्राम सभा/ पंचायत समिति/जिला परिषद्.....के ....निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में क्रम संख्या..... पर दर्ज है।

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)18/2008-II दिनांक 12 दिसम्बर, 2013, हिमाचल प्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के, पृष्ठ 5353 से 5356 पर प्रकाशित द्वारा प्ररूप–18 प्रतिस्थापित किया गया।

मेरा नाम.....ग्राम सभा/पंचायत समिति/जिला परिषद् के ....निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में क्रम संख्या..... पर दर्ज है।

तारीख..... प्रस्थापक का नाम और हस्ताक्षर ।

मैं .....उपर्युक्त, वर्णित अभ्यर्थी, इस नामांकन से अनुमत हूं और एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि .–

(क) मैंनें .....वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है;

(ख) मैंने राज्य सरकार, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् या सहकारी सोसाईटी से सम्बन्धित या उन द्वारा या उनकी ओर से पट्टे पर ली गई अथवा अधिगृहित की गई किसी भूमि का अधिक्रमण नहीं किया है और अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य निरर्हता से भी ग्रस्त नहीं हूँ।

(ग) मैं यह भी घोषित करता हूं कि मैं.....जाति/जनजाति का सदस्य हूं जो अनुसूचित जाति/जनजाति है।

(घ) मैंने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 (2) के अधीन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से जारी यथा अपेक्षित ''अदेय प्रमाण–पत्र'' संलग्न कर दिया है।

स्थान..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

तारीख.....

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नॉमांकन पत्र क्रम संख्या.....

यह नामांकन पत्र मुझे.....अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा..... ..... (स्थान) पर.....(समय) पर..... (तारीख) को परिदत्त किया गया था।

तारीख..... रिटर्निंग ऑफिसर।

(नामांकन पत्र को मंजूर या नामंजूर करने का रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय)

मैंनें विधि के अनुसार नामांकन पत्र की जाँच–पड़ताल कर ली है और मेरा विनिश्चय निम्न प्रकार से है .–

तारीख..... रिटर्निंग ऑफिसर।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के नामांकन पत्र को न तो अस्वीकृत किया गया है और न ही उसने अपनी अभ्यर्थिता वापिस ली है और इसलिए एतद्द्वारा उसे............... ....(प्रतीक का नाम) आबंटित किया जाता है।

तारीख................................ रिटर्निंग ऑफिसर।

नामांकन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा तथा नाम वापस लेने की सूचना

(इसे नामांकन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सौंपा जाएगा)।

नामांकन पत्र की क्रम संख्या... ।

ग्राम पंचायत ....के.......................निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य/प्रधान/ उप–प्रधान/पंचायत समिति ....के .... निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के निर्वाचन/जिला परिषद्........................के......................निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के निर्वाचन के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी..................................., अभ्यर्थी के नामांकन पत्र अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा मुझे........................(तारीख).................... (समय) पर मेरे कार्यालय में परिदत्त किए गए थे। सभी नामांकन पत्रों की ....(स्थान)........................(तारीख)...............................(समय) पर संवीक्षा की जाएगी।

अभ्यर्थिता.................................(तारीख)............................(समय) तक वापिस ली जा सकेगी। अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिए नियत समय के अवसान के तुरन्त पश्चात् प्रतीक आबंटित किया जा सकेगा।

तारीख................................ रिटर्निंग ऑफिसर।

————————————————————

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

———

[1]{ प्ररूप 18–क

(नियम 35 (2) देखें)

अदेय प्रमाण पत्र

...................................ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् कार्यालय.......... ....जिला.......................... प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत अभिलेख के अनुसार, श्री/श्रीमती/कुमारी....................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री........... .... निवासी ग्राम पंचायत............................ ग्राम................................

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)18/2008-II दिनांक 12 दिसम्बर, 2013, हिमाचल प्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के, पृष्ठ 5353 से 5356 पर प्रकाशित द्वारा प्रारूप 18–क अन्तःस्थापित किया गया।

डाकघर.............................. विकास खण्ड................... जिला.....................................
हिमाचल प्रदेश से, पंचायत द्वारा अधिरोपित कर का कोई बकाया या सभा, समिति या जिला परिषद् को देय किसी प्रकार का बकाया या प्रतिधारित रकम, जो सभा, समिति या जिला परिषद् निधि का भाग है, की कोई रकम देय नहीं है।

सचिव
जिला परिषद / पंचायत समिति.........
सचिव / सहायक..................................
ग्राम पंचायत...
विकास खण्ड...
जिला..

टिप्पण:—* ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

**** जो लागू न हो उसे काट दें।''।

प्ररूप—19

(नियम 36देखें)

राज्य की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्ररूप

मैं ....ग्राम पंचायत....................... / पंचायत समिति.................जिला परिषद्........................में भरे जाने वाले स्थानों के लिए नामांकित किया गया अभ्यर्थी परमात्मा के नाम शपथ लेता हूं / सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूं कि और मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूंगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

प्ररूप—20

(नियम 38 देखें)

नामांकन की सूचना

ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद्.......................................के लिए निर्वाचन। एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त निर्वाचन के लिए कि निम्नलिखित नामांकन आज...................................3 बजे दोपहर तक प्राप्त कर लिए हैं।

नामांकन पत्र की क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता	स्थान / पद जिसके लिए अभ्यर्थी नामांकित है
1	2	3	4	5	6

अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थी की जाति / जनजाति का विवरण	निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी की क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	निर्वाचक नामावली में प्रस्तावक की क्रम संख्या
7	8	9	10

स्थान.....

तारीख..... रिटर्निंग अधिकारी।

————————————————————

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–21

{नियम 39(8) देखें}

विधिमान्य नामांकित अभ्यर्थियों की सूची

ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद्.....के निर्वाचन क्षेत्र.....
.....से निर्वाचन।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	स्थान / पद
1	2	3	4	5

स्थान.....

तारीख..... .....

रिटर्निंग अधिकारी

————————————————————

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–22

{नियम (40) देख}

अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना

*जिला परिषद्.....के.....निर्वाचन क्षेत्र सं0.....
पंचायत समिति.....के.....निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....ग्राम पंचायत.....के.....निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....
प्रधान/उप–प्रधान का.....ग्राम सभा से निर्वाचन।

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी

.....

मैं (नाम तथा पता) उक्त निर्वाचन के लिए नामांकित अभ्यर्थी एतद्द्वारा/सूचना देता हूं कि मैं अभ्यर्थिता वापिस लेता हूं।

स्थान.....

तारीख.....

.....विधिमान्य नामांकित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

————————————————————————————————

यह सूचना मुझे अभ्यर्थी/श्री.....अभ्यर्थी/अभ्यर्थी के प्रस्तावक/अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा.....(तारीख).....(समय) मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।

तारीख.....

.....
रिटर्निंग अधिकारी

————————————————

*जो लागू न हो काट दें।

नाम के वापिस लेने के लिए रसीद

(नोटिस परिदत्त करने वाले व्यक्ति को सौंपी जानी है)

अभ्यर्थिता वापिस लेने का नोटिस

.....निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी.....(नाम) द्वारा अभ्यर्थिता वापिस लेने का नोटिस/ अभ्यर्थी के प्रस्तावक/अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मुझे.....(तारीख) को.....(समय) पर मेरे कार्यालय पर परिदत्त किया गया था।

तारीख.....

.....
रिटर्निंग अधिकारी
.....निर्वाचन।

*जो लागू न हो काट दें।

प्ररूप–23

{नियम 40(3) देखें}

अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् ..... के लिए.... .....निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन।

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने उक्त निर्वाचन से अपनी अभ्यर्थिता/अभ्यर्थिताएं वापिस ली है.–

अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	स्थान/पद जिसके लिए अभ्यर्थिता वापिस ली गई है	टिप्पणी
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
इत्यादि			

तारीख.....

समय..... रिटर्निंग अधिकारी।

प्ररूप–24

{नियम 41(1) देखें}

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् ..... के लिए.... .....निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आबंटित प्रतीक
1	2	3	4

तारीख.....

स्थान..... रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर।

प्ररूप–25

{नियम 43 देखें}

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप

मैं .....ग्राम पंचायत.....खण्ड.....से सदस्य के निर्वाचन के लिए।

ग्राम पंचायत.....खण्ड.....के प्रधान/उप–प्रधान के निर्वाचन के लिए।

पंचायत समिति.....के निर्वाचन क्षेत्र.....से पंचायत समिति के सदस्य के लिए।

जिला परिषद्.....के निर्वाचन क्षेत्र सं0.....में होने वाले उक्त निर्वाचन के लिए एतद्द्वारा श्री..... को सं0..... पर .....जो निर्वाचन के लिए स्थान नियत है निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूं।

स्थान.....

तारीख..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

मैं निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

स्थान.....
तारीख.....

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

अनुमोदित

स्थान.....
तारीख..... रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर।

————————————————————

*जो लागू न हो काट दें।

प्ररूप–26

{नियम 44 देखें}

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

.....ग्राम पंचायत के .....निर्वाचन क्षेत्र के लिए सदस्य के निर्वाचन।

ग्राम पंचायत के प्रधान/उप–प्रधान जिला परिषद्/पंचायत समिति..... .....के निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....के लिए सदस्य का निर्वाचन।

मैं.....को उक्त निर्वाचन के लिए एतद्द्वारा श्री..... मतदान केन्द्र सं0.....पर जो मतदान के लिए स्थान नियत है, मतदान अभिकर्ता नियुक्त करता हूं।

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

स्थान.....

तारीख.....

मैं मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

स्थान.....

तारीख.....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

मतदान अभिकर्ता की घोषणा जो पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उक्त निर्वाचन में, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध है।

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए ।

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

स्थान.....

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर।

————————————————————

*जो लागू न हो काट दें।

————————

प्ररूप–27

(नियम 45 देखें)

मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति

ग्राम पंचायत.....के लिए .....निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन.....

प्रधान ग्राम पंचायत.....के निर्वाचन।

उप–प्रधान ग्राम पंचायत.....के निर्वाचन।

पंचायत समिति की.....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।

जिला परिषद् .....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।

मैं.....उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभ्यर्थी हूं निम्नलिखित व्यक्तियों को.....(स्थान) पर होने वाली मतगणना के लिए मतगणना के समय उपस्थित रहने के लिए अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं।

स्थान.....

तारीख..... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

मैं मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

स्थान.....

तारीख..... अभ्यर्थी अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतगणना अभिकर्ता की घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं उक्त निर्वाचन में, ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध है।

मतगणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए।

स्थान.....

तारीख..... रिटर्निंग अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।

————————————————————

*जो लागू न हो काट दें।

प्ररूप–28

(नियम 49 देखें)

निर्विरोध/सविरोध निर्वाचन में परिणाम की घोषणा

ग्राम सभा.....के निर्वाचन क्षेत्र के लिए सदस्य का निर्वाचन।

ग्राम सभा.....से प्रधान का निर्वाचन।

ग्राम सभा.....उप–प्रधान का निर्वाचन।

पंचायत समिति.....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।

जिला परिषद्.....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम,1994 के नियम 49 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि .–

श्री.....पुत्र श्री.....पता.....के पद/स्थान हेतु निर्वाचित हुआ है।

(हस्ताक्षर,)

स्थान.....

तारीख..... रिटर्निंग अधिकारी।

जो असंगत हो उसे काट दें।

यहां निम्नलिखित में से एक अनुकल्प अन्तःस्थापित करें जैसा संगत हो.–

1) ग्राम सभा.....के .....निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का पद।

2) ग्राम सभा .....से प्रधान का पद।

3) ग्राम सभा .....के उप–प्रधान का पद।

4) पंचायत समिति.....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का पद।

5) जिला परिषद्.....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का पद।

[1]{ प्ररूप–28क

{नियम 49–ख देखें}

रिटर्निंग आफिसर को सूचना का पत्र

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

पंचायत.....

विकास खण्ड.....

जिला..... (हिमाचल प्रदेश)

श्रीमान,

मैं उसी खण्ड (ब्लाक) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ एक मतदाता हूं और मेरा नाम ग्राम पंचायत..... पंचायत समिति..... जिला परिषद्..... ..... के वार्ड संख्या..... के लिए निर्वाचिक नामावली के ..... क्रम संख्या ..... पर प्रविष्ट (दर्ज) है।

मैं उक्त पंचायतों के आगामी निर्वाचनों (चुनावों) में ग्राम पंचायत.....के वार्ड संख्या ..... से अपना मत डालने हेतु आशयित हूं।

स्थान..... भवदीय,

तारीख.....

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा प्ररूप–28क, प्ररूप–28ख, प्ररूप–28ग, प्ररूप–28घ, और प्ररूप–28ङ जोड़े जाएंगे ।

———————

प्ररूप–28ख

{नियम 49–घ (1) (क), 49–ङ (2) और 73–क (3) एवं (6) देखें}

मतदाता द्वारा घोशणा

..... के लिए निर्वाचन

(इस तरफ (स्थान) का प्रयोग केवल तभी किया जाना है जब मतदाता घोषणा पर स्वयं हस्ताक्षर करता है)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ही वह मतदाता हूं जिसे उपर्युक्त निर्वाचन में क्रम संख्या ..... वाला पोल ड्यूटी मतपत्र जारी किया गया है।

मतदाता के हस्ताक्षर।

तारीख.....

पता.....

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

.....मतदाता द्वारा उपर्युक्त घोषणा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित की गई है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं/जिसकी..... (पहचानकर्ता) जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं द्वारा मेरे समाधान हेतु पहचान करवाई गई है।

अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर, यदि कोई हो.....

पदनाम.....

पता.....

तारीख.....

———————

प्ररूप–28ग

{नियम 49–घ (1) (ख) और 73–क (5) एवं (6) देखें}

पोल ड्यूटी मतपत्र के लिए लिफाफा

(केवल एक मतपत्र डालें)

क.

गणना से पूर्व लिफाफा खोला न जाए

•.....निर्वाचन क्षेत्र से.....का निर्वाचन (पंचायत के पद का नाम जिसके लिए निर्वाचन होना या किया जाना है)

पोल ड्यूटी मतपत्र

मतपत्र की क्रम संख्या.....

• निर्वाचन के उचित दस्तावेजों को यहां अन्तःस्थापित किया जाना है।

प्ररूप–28घ

{नियम 49–ङ (1) (ग) और 73–क (5) देखें}

पोल ड्यूटी मतपत्रों के लिए बड़ा लिफाफा

ख.

निर्वाचन–तुरंत

पोल ड्यूटी मत पत्र

गणना से पूर्व लिफाफा खोला न जाए

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर

•..... निर्वाचन क्षेत्र से ..... के लिए (पंचायत के पद का नाम जिसके लिए निर्वाचन किया जाना है) का निर्वाचन।

प्रेषक के हस्ताक्षर .....

———————

प्ररूप–28ङ

{नियम 49–ङ (1) (घ) और 49–छ (1) देखें}

मतदाताओं की जानकारी के लिए निर्देश

(पंचायतों के निर्वाचन में उपयोग किए जाएं)

.....से .....के लिए •निर्वाचन।

व्यक्ति, जिनके नाम एतद्द्वारा भेजे गए मतपत्र पर मुद्रित किए गए है, उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं। आप अपना मत, उस अभ्यर्थी, जिसे आप मत देना चाहते हैं, के नाम के विरूद्ध स्पष्टतः एक चिन्ह लगाकर, अभिलिखित (रिकार्ड) करें।

चिन्ह ऐसे लगाया जाना चाहिए ताकि वह व्यक्ति, जिसे आप अपना मत दे रहें हैं स्पष्टतया और संदेह से परे इंगित हो सके। यदि लगाया गया ऐसा चिन्ह संदेहास्पद लगता है कि किस व्यक्ति को आपने अपना मत दिया है तो आपका मत अवैध हो जाएगा।

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है। कृप्या याद रखें कि आपके पास केवल एक मत है। तद्नुसार आपको एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मतदान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित (रिकार्ड) करने के लिए अपेक्षित चिन्ह के सिवाय, अपने हस्ताक्षर नहीं करें या कोई शब्द न लिखें या कोई चिन्ह चिह्नित न करें अथवा जहां कहीं भी हस्ताक्षर या लेखन न करें।

मतपत्र पर अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात्, मतपत्र को एतद्द्वारा भेजे गए 'क' '।' चिन्हित छोटे लिफाफे में रखें। लिफाफा बंद कर दें और इसे मोहर बंद या अन्यथा से सुरक्षित करें।

तब आप प्ररूप–28ख में घोषणा को हस्ताक्षरित करें।

आपकी घोषणा हस्ताक्षरित होने और आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित हो जाने के पश्चात्, प्ररूप–28घ में दी गई घोषणा और मतपत्र युक्त 'क' '।' चिह्नित छोटे लिफाफे को भी 'ख' 'ठ' चिन्हित बड़े लिफाफे में रखें। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् इसे रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त व्यक्तिगत तौर पर प्राधिकृत किसी अधिकारी को सौंप दें। 'ख' 'ठ' चिह्नित लिफाफे पर दिए गए स्थान पर आपको अपने पूरे हस्ताक्षर करने होंगे।

• निर्वाचन के समुचित विशिष्टियों को यहां पर अन्तःस्थापित किया जाना है।

आप यह अवश्य सुनिश्चित करें कि लिफाफा,... ..... को•

.....से• पहले रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त किसी अधिकारी को दे दिया गया है। कृप्या नोट करें कि–

(i) यदि आप उपर्युक्त इंगित रीति में अपनी घोषणा को अनुप्रमाणित या प्रमाणित करवाने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा; और

(ii) यदि लिफाफा, ... को• ..... के पश्चात्• रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास पहुंचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी

.....•

(• यहां मतों की गणना के आरम्भ होने के लिए नियत घण्टे और तारीख को विनिर्दिष्ट करें)।}

———————————

प्ररूप–29

{नियम 52(3) और 66 देखें}

मत पत्र लेखा

ग्राम पंचायत.....के .....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।

ग्राम पंचायत.....के प्रधान/उप–प्रधान का निर्वाचन।

पंचायत समिति.....के .....निर्वाचन क्षेत्र .....से सदस्यों का निर्वाचन

जिला परिषद् .....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या.....

		क्रम संख्या	कुल संख्या
1.	मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए मतपत्र।	.....	.....
2	अप्रयुक्त मतपत्रों की संख्या	.....	.....
3	प्रयुक्त मत पत्र(1–2=3)	.....	.....
4	प्रयुक्त मत पत्रों की संख्या परन्तु मतपेटी में अन्तस्थापित नहीं।	.....	.....

	(क) रद्द किए मतपत्रों की संख्या	————————.	.....
	(ख) निविदत्त मतों के लिए प्रयुक्त मतपत्र	.....	.....
	(ग) मुद्रण/लिखित गलती के लिए रद्द किए मत–पत्रों की संख्या	————————	————————————
	क+ख+ग	————————	————————————
5	मत पेटी में मत पत्रों की संख्या (3–4=5)		

स्थान.....

तारीख..... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर।

प्ररूप–30

(नियम 58 देखें)

आपेक्षित मतों की सूची

1. .....निर्वाचन के लिए आक्षेप किए गए मतों का विवरण

ग्राम पंचायत.....के.....निर्वाचन क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन।

ग्राम पंचायत.....के प्रधान/उप–प्रधान के लिए निर्वाचन।

पंचायत समिति.....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन

जिला परिषद् .....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्यों का निर्वाचन

मतदान केन्द्र संख्या.....स्थान .....

क्रम संख्या	आक्षेपकर्ता का नाम	मतदाता का नाम	मतदाता सूची में क्रम संख्या	ग्राम का नाम जिससे मतदाता सूची सम्बद्ध है	आक्षेप किए गए व्यक्ति का वर्तमान पता
1	2	3	4	5	6

आक्षेप किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान	पहचानकर्ता का नाम यदि कोई है	पीठासीन अधिकारी के आदेश	आक्षेपकर्ता के जमा प्रतिदाय प्राप्त करने पर हस्ताक्षर
7	8	9	10

स्थान.....
तारीख..... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर।

———————

प्ररूप–31

(नियम 63 देखें)

निविदत्त मतों की सूची

ग्राम पंचायत.....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।

ग्राम पंचायत.....से प्रधान/उप–प्रधान का निर्वाचन।

पंचायत समिति.....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।

जिला परिषद्.....के .....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या.....

क्रम संख्या	मतदाता का नाम	निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में क्रम संख्या	ग्राम का नाम जिससे मतदाता सूची संबद्ध है	निविदत्त मत पत्रों की क्रम संख्या	उस व्यक्ति को जारी किए गए मतपत्र की क्रम सं0 जिसमें पहले ही मतदान	मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान

					कर दिया हो	
1	2	3	4	5	6	7

स्थान..... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर।

तारीख.....

———————

प्ररूप–32

(नियम 75 देखें)

सदस्य निर्वाचन के लिए गणना का परिणाम–पत्र

ग्राम पंचायत.....के.....निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या.....स्थान.....

क्रम संख्या	अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों का जोड़
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) अस्वीकृत मतों की कुल संख्या.....

(ग) डाले गए मतों की कुल संख्या.....

(घ) निविदत्त मतों की कुल संख्या.....

(ङ) अभियुक्तियां.....

गणना का स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर (ग्राम पंचायत) या
रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।

प्ररूप–33

(नियम 85 देखें)

निर्वाचन के विवरण का प्ररूप

.....ग्राम पंचायत के.....
निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3

विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

अविधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

डाले गए मतों की कुल संख्या.....

मैं घोषणा करता हूं कि.....(नाम).....की सदस्य सम्यक् निर्वाचित किया गया है।

.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

या

[1]{तारीख.....200.....} रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।

————————

प्ररूप–34

(नियम 75 देखें)

प्रधान/उप–प्रधान के मतों की गणना का परिणाम पत्रक

ग्राम पंचायत.....

सम्मिलित मतदान केन्द्रों की संख्या.....

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मत
1	2	3

(अ) विधिमान्य मतों का कुल योग.....

(आ) अस्वीकृत मतों का कुल योग .....

(इ) डाले गए मतों का कुल योग .....

(ई) निविदत्त मतों का कुल योग .....

गणना का स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर या रिटर्निंग अधिकारी

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा चिन्ह, शब्द और अंक "तारीख.....19....." के स्थान पर रखे गए ।

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।

———————

प्ररूप–35

(नियम 75 देखें)

प्रधान/उप–प्रधान के निर्वाचन के लिए विवरण का प्ररूप

ग्राम पंचायत.....

प्रधान/उप–प्रधान के निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

(क) विधिमान्य मतों का कुल योग .....

(ख) अस्वीकृत मतों का कुल योग .....

(ग) डाले गए मतों का कुल योग (क+ख).....

(घ) निविदत्त मतों का कुल योग .....

मैं घोषणा करता हूं कि.–

नाम

तथा

सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है

रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा
प्राधिकृत अधिकरी के हस्ताक्षर।

तारीख.....

————————

प्ररूप–36

(नियम 75 देखें)

पंचायत समिति के निर्वाचन में मतों की गणना का परिणाम पत्रक

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

(अ) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(आ) अस्वीकृत मतों की कुल संख्या.....

(इ) डाले गए मतों की कुल संख्या (अ+आ).....

(ई) निविदत्त मतों की कुल संख्या.....

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकरी के हस्ताक्षर।

प्ररूप–37

(नियम 75 देखें)

पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन का विवरण प्ररूप

पंचायत समिति.....के.....निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से पंचायत समिति के सदस्य का निर्वाचन।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3

विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

डाले गए मतों की कुल संख्या.....

मैं घोषणा करता हूं कि.–

नाम .....

पता .....

.....

सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है।

[1]{तारीख.....200.....} रिटर्निंग अधिकारी।

प्ररूप–38(भाग–1)

(नियम 75 देखें)

जिला परिषद् के सदस्यों के मतों की गणना का परिणाम पत्र

निर्वाचन क्षेत्र सं0.....

खण्ड स्तर की मतगणना

.....खण्ड में स्थित, निर्वाचन क्षेत्र सं0.....में जिला परिषद्

के मतदान केन्द्रों की संख्या.....

क्रम संख्या	अभ्यर्थियों के नाम	अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) अस्वीकृत मतों की कुल संख्या.....

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा चिन्ह, शब्द और अंक "तारीख.....19....." के स्थान पर रखे गए ।

(ग) डाले गए मतों की कुल संख्या.....

(घ) निविदत्त मतों की कुल संख्या.....

मतगणना का स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी।

———————

प्ररूप–38(भाग–2)

(नियम 75 देखें)

.....जिला परिषद् के सदस्यों की भर्ती की गणना का परिणाम–पत्र

निर्वाचन क्षेत्र

सं0.....

क्रम संख्या	अभ्यर्थियों के नाम	विभिन्न खण्डों में स्थित मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थी द्वारा प्रज्ञपत किए गए मतों की संख्या			
1	2	खण्ड	खण्ड	खण्ड	योग

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) अस्वीकृत मतों की कुल संख्या.....

(ग) डाले गए कुल मतों की संख्या (क+ख).....

(घ) निविदत्त मतों की कुल संख्या.....

मतगणना का स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी / रिटर्निंग

अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, (जिला परिषद्)।

————————————

प्ररूप–39

(नियम 75 देखें)

जिला परिषद्.....के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या.....से जिला परिषद् सदस्य का निर्वाचन।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3

विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

अविधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

डाले गए मतों की कुल संख्या.....

मैं घोषणा करता हूं कि.–

नाम.....

पता.....

सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है।

रिटर्निंग अधिकारी।

.....[1]{तारीख.....200.....}

[2]{××××××××××××××××××××}

प्ररूप–40

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा चिन्ह, षब्द और अंक "तारीख..... .....19....." के स्थान पर रखे गए ।

[2] प्रारूप–39क से प्रारूप–39ग तक अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1) 18/2000.।। तारीख 30–12–2005, हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में तारीख 30–12–2005 के पृष्ट 5627–5646 पर प्रकाशित द्वारा जोड़े गए तथा अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1) 18/2008 तारीख 20–10–2008, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में तारीख 21–10–2008 के पृष्ट 4317–4318 पर प्रकाशित द्वारा लोप किया गया ।

(नियम 85 और 86 देखें)

[1]{पंचायत समिति/जिला परिषद् के सदस्यों के लिए शपथ या निष्ठा पर किया गया प्रतिज्ञान या पंचायत समिति/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन}

सेवा में

पदाधिकारी,

जिला परिषद्/पंचायत समिति

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 85/86 के अनुसरण में, मैं.....

(विहित प्राधिकारी) एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि जिला परिषद्/पंचायत समिति की बैठक.....(तारीख) को.....बजे .....(स्थान) में अधिनियम की धारा 79/90 के अधीन जिला परिषद्/ पंचायत समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन या, सदस्यों को शपथ या निष्ठा पर किए गए प्रतिज्ञान की अभिकथन करने के लिए बुलाई गई है।

स्थान.....

तारीख.....

————————————————— विहित प्राधिकारी।

जो लागू न हो काट दें।

————————

प्ररूप–41

(नियम 85 और 86 देखें)

जिला परिषद् और पंचायत समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद के निर्वाचन के लिए नामांकन–पत्र का प्ररूप

जिला परिषद्/पंचायत समिति का नाम.....

अभ्यर्थी का पूरा नाम.....

विवरण सहित मतगणना सूची की क्रम संख्या.....

पिता/पति का नाम.....

पूरा पता.....

प्रस्तावक का पूरा नाम.....

समर्थक का पूरा नाम.....

---

[1] अधिसूचना संख्या पी0सी0एच.ए0(1)12/2000 तारीख 26–12–2000 हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) तारीख 27–12–2000 के पृष्ठ 4775–4777 में प्रकाशित द्वारा शब्दों "पंचायत समिति/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन" के स्थान पर रखा गया ।

.....

[1]{प्रस्तावक और समर्थक के हस्ताक्षर।}

स्थान.....

तारीख.....

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं इस नामांकन से सहमत हूँ और उक्त पद पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान.....

तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

प्ररूप–42

(नियम 85 और 86 देखें)

जिला परिषद्/पंचायत समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के परिणामों का प्रकाशन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं.....(विहित प्राधिकारी) जिला..... के जिला परिषद्/पंचायत समिति,

के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन परिणामों को निम्न प्रकार से प्रकाशित करता हूं.–

क्रम संख्या	पिता/पति के नाम सहित नाम और पता	पद का नाम अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	निर्वाचित
1	2	3	4

स्थान.....

तारीख.....

विहित प्राधिकारी।

जिला.....

प्ररूप–43

{नियम 94(3) देखें}

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1) 18/2000.।। तारीख 30–12–2005, हिमाचल प्रदेश राजपत्र(असाधारण) में तारीख 30–12–2005 के पृष्ट 5627–5646 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों " प्रस्तावक के हस्ताक्षर " के स्थान पर रखे गए ।

मैं.....इसके साथ निर्वाचन याचिका का याची, श्री/श्रीमती..... .....उक्त याचिका में प्रत्यार्थी संख्या.....का..... से निर्वाचन को प्रश्नगत करते हुए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान करते हुए/शपथ लेते हुए कहता हूं कि.–

(क) इसके साथ वाली निर्वाचन याचिका के पैरा.....में भ्रष्ट आचरण''.....किए जाने के बारे में किए गए कथन और इसके साथ उपाबद्ध पुनः सूची के पैरा.....में वर्णित ऐसे भ्रष्ट आचरण की विशिष्टि या मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है;

(ख) उक्त याचिका के पैरा.....में भ्रष्ट आचरण'..... किए जाने के बारे में किए गए कथन और उक्त याचिका के पैरा..... में ऐसे भ्रष्ट आचरण की तथा इसके साथ उपाबन्ध अनुसूची के पैरा..... में दी गई विशिष्टि मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है ;

(ग)
(घ)
इत्यादि

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर।

आज.....[1]{तारीख.....200.....} को मेरे समक्ष श्री/श्रीमती.....द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान किया गया/शपथ ली गई।

कार्यकारी मैजिस्ट्रैट।

यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक अन्तःस्थापित करें जैसा संगत हो.–

1. ग्राम सभा के निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का पद
2. ग्राम सभा से प्रधान का पद।
3. ग्राम सभा से उप–प्रधान का पद।
   के अध्यक्ष का पद.....
4. पंचायत समिति.....से निर्वाचन क्षेत्र.....से सदस्य का पद।
5. पंचायत समिति/जिला परिषद्.....के अध्यक्ष का पद।
6. पंचायत समिति/जिला परिषद्.....के उपाध्यक्ष का पद।

**यहां पर भ्रष्ट आचरण का नाम विनिर्दिष्ट करें।

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)–18/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को पृष्ठ संख्या 4443 से 4455 पर प्रकाशित द्वारा चिन्ह, शब्द और अंक "तारीख..... .....19....." के स्थान पर रखे गए ।

[1]{प्ररूप 44

{नियम 92(1) और 92(3) देखें}

निर्वाचन खर्चे का दिन प्रतिदिन का लेखा बनाए रखने और उसको प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

1. पंचायत का नाम.....
2. अभ्यर्थी का नाम.....
3. निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम.....
4. नामांकन फाईल करने की तारीख.....
5. परिणाम घोषित करने की तारीख.....

क्रम संख्या	खर्चे की तारीख	खर्चे का स्वरूप	खर्चे की राशि		संदाय की तारीख	पाने वाले का नाम और पता
			संदत	परादेय		
1	2	3	4	5	6	7

संदत्त रकम की दशा में बउचरों की संख्या	प्रादेय रकम की दशा में बिलों की संख्या	व्यक्ति जिसे परादेय रकम संदेय है, का नाम और पता	विवरण
8.	9.	10.	11.

[1] प्रारूप–44 से प्रारूप–47 तक अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1) 18/2000.।। तारीख 30–12–2005, हिमाचल प्रदेश राजपत्र(असाधारण) में तारीख 30–12–2005 के पृष्ट 5627–5646 पर प्रकाशित द्वारा जोड़े गए ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की सही प्रति है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

———————

[1]**{प्ररूप–45**
{नियम 93(3) देखें}
निर्वाचन खर्चों का ब्यौरा

1. पंचायत का नाम.....
2. अभ्यर्थी का नाम.....
3. निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम.....
4. नामांकन फाईल करने की तारीख.....
5. परिणाम घोषित करने की तारीख.....

खर्चे का मद	स्रोत जहां से धन प्राप्त किया गया	खर्चे की रकम	संदाय की तारीख	संदाय की रीति	लेखे के साथ संलग्न संदाय का साक्ष्य	लेखे विवरण के साथ संलग्न संदाय का साक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रतिभूति निक्षेप पर खर्च।						
2. निर्वाचक नामावली की प्रतियां क्रय करने पर खर्च।						
3. घोषणा–पत्रों, विज्ञापनों और इश्तहारों को छपवाने पर खर्च।						
4. इश्तहारों को चिपकाने का						

[1] प्रारूप–45 से प्रारूप–47 तक अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1) 18/2000.।। तारीख 30–12–2005, हिमाचल प्रदेश राजपत्र(असाधारण) में तारीख 30–12–2005 के पृष्ट 5627–5646 पर प्रकाशित द्वारा जोड़े गए ।

	खर्च।
5.	विज्ञापनों को दिवार पर लिखने और प्रकाशन पर खर्च।
6.	सार्वजनिक बैठकों, पंडालों इत्यादि के लिए स्थानों के भाड़ा प्रभार।
7.	सार्वजनिक बैठकों के लिए लाऊड स्पीकरों के भाड़ा प्रभार।
8.	अभ्यर्थी द्वारा यान पैट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकैंटस, मरम्मत इत्यादि के कारण भाड़ा प्रभार।
9.	निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रयोग किए यान पर मरम्मत और पैट्रोल, तेल तथा लयूब्रीकैंटस का भाड़ा प्रभार।
10.	उपर्युक्त सूचिबद्ध के अतिरिक्त अन्य विविध खर्चे।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

———————

प्ररूप–46

{नियम 93(3) देखें}

घोषणा प्ररूप

.....(पंचायत का नाम) के.....निर्वाचन क्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष श्री/श्री मती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....की घोषणा।

मैं,.....पुत्र/ /पत्नी/पुत्री..... आयु..... .....वर्ष.....निवासी.....एतद्द्वारा सत्य निष्ठा प्रतिज्ञान करते हुए निम्नलिखित घोषण करता/करती हूं :–

1. यह कि मैं,.....(पंचायत का नाम) निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन/उप–निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी था/थी, जिसका परिणाम..... ..... को घोषित किया गया था।

2. यह कि मैंने/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में..... .....(की तारीख) और.....(उसके परिणाम की घोषणा की तारीख) दोनों तारीखें सम्मिलित करके, के बीच मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत सभी खर्चे का (.....पृष्ठों पर लगातार) पृथक और सही लेखा रखा है।

3. यह कि उक्त लेखा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 92के अधीन विहित प्ररूप में बनाया गया था और उसकी सही प्रति उक्त लेख में वर्णित समर्थन के रूप में वाऊचरों/बिलों के साथ इसमें उपाबद्ध है।

4. यह कि इसमें उपाबद्ध मेरे निर्वाचन खर्चे के लेखे के अन्तर्गत मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्राधिकृत या उपगत किए गए निर्वाचन खर्चे की सभी मदें है और उसमें से कुछ भी छिपाया या विद्यारित किया/ दबाया नहीं गया है।

5. यह कि पूर्ववर्ती कथन के पैराग्राफ 1 से 4 में, मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सब सत्य है और कुछ भी मिथ्या नहीं है और कुछ भी सारवान् तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी।

आज तारीख.....20.....को मेरे.....द्वारा समक्ष सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)के हस्ताक्षर/मुद्रा
जिला.....हिमाचल प्रदेश।

प्ररूप–47

{नियम 92(4) देख}

अभिस्वीकृति

श्री.....(निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी)..... (निर्वाचन क्षेत्र) से जिसका परिणाम.....(तारीख) घोषित किया गया था, उसके द्वारा फाईल किया निर्वाचन खर्चे का लेखा और समर्थित घोषणा, विहित प्ररूप पर मैंने आज.....(तारीख)..... (मास).....(वर्ष) को प्राप्त कर ली है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

जिला.....हिमाचल प्रदेश।

(हिन्दी में, राजपत्र, (असाधारण) हिमाचल प्रदेश दिनांक 8 फरवरी, 1995 में प्रकाशित पृष्ठ सं0 689 से 763)